षष्ठम् माला, खंड 2, अंक 2, सोमवार, 13 जून, 1977/23 ज्येष्ठ, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. II, No. 2, Monday, June 13, 1977/Jyaistha 23, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. ....105(2)....
Date....15-12-77.......

सत्यमेव जयते

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. II contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, सोमवार, 13 जून, 1977/23 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
No. 2. Monday, June 13, 1977/Jyaistha 23, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTION	
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 5	Starred Questions Nos. 1 to 5	2—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 6 से 20	Starred Questions Nos. 6 to 20	15—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 147 और 149 से 175	Unstarred Questions Nos. 1 to 147 and 149 to 175 . . .	26—131
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	131
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	135
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance— . . .	136
27 मई, 1977 को बिहार के बेलची गांव में हरिजनों को जिन्दा जला दिए जाने की कथित घटना	Reported burning alive of Harijans in Belchi Village of Bihar on 27th May, 1977—	
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	Shrimati Parvati Krishnan . .	136
श्री चरणसिंह	Shri Charan Singh . .	136
बिहार के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में 10 जून, 1977 को चुनावों में हुई मुठभेड़ तथा पुलिस की गोलाबारी के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों के मारे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य—	Statement re. Reported death of some persons in Bihar, as a result of poll clashes and police firing on 10th June, 1977—	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	137
रेलवे बजट, 1977-78—सामान्य चर्चा—	Railway Budget, 1977-78—General Discussion—	
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	139

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	
श्री एस० कुन्डु	Shri S. Kundu . . .	141
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao .	143
डा० बापू कालदते	Dr. Bapu Kaldate . .	144
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	145
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee .	146
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav	148
श्री जार्ज फर्नानडिस	Shri George Fernandes .	149
श्री बी० राचैया	Shri B. Rachaiah . .	151
श्री धर्मवीर वशिष्ठ	Shri Dharma Vir Vasisht .	152
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	152
श्री वी० एम० सुधीरन	Shri V.M. Sudheeran . .	153
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee— . .	
प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत	First Report presented . . .	154

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 13 जून, 1977/23 ज्येष्ठ, 1899 (शक)
Monday, June 13, 1977/Jyaistha 23, 1899 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री के० के० वारियर के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनकी मृत्यु 69 वर्ष की अवस्था में 12 जून, 1977 को त्रिवेन्द्रम में हुई।

श्री वारियर वर्ष 1957—67 के दौरान दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे तीसरी लोक सभा में वह केरल राज्य के त्रिचूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा ब्रिटिश शासन के दौरान कई बार जेल गए। प्रख्यात समाजसेवी तथा मजदूर संघ नेता के रूप में उन्होंने हमेशा दलितों के हितों की रक्षा की। वे पत्रकार भी थे तथा त्रिपुरा से प्रकाशित दैनिक 'नवजीवन' के सम्पादक रहे। वह सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे तथा अपने सहज स्वभाव के कारण अपने सहयोगियों के निकट थे।

हम अपने मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने में सदन मेरे साथ शरीक होगा।

अब सदन में उपस्थित सदस्य दुःख प्रकट करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे

The members then stood in Silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

10+2+3 शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के बारे में प्रस्ताव

*** 1. श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या शिक्षा, समाज, कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या प्राइमरी से स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और वह कब से प्रभावी होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर): (क) से (ग) 10+2+3 शिक्षा पद्धति, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक की शिक्षा आती है की समीक्षा की जा रही है । कुछ संसद सदस्यों, शिक्षा विदों, कुलपतियों, शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों, शैक्षिक प्रशासकों, अभिभावकों तथा जनता से विचार विमर्श किया जा रहा है । इस संबंध में राज्यों से परामर्श लेना भी आवश्यक होगा । इसे समीक्षा के परिणामस्वरूप अंतिम रूप दिया जाना है ।

श्री जी० एम० बनतवाला : आवश्यक परिवर्तनों के लिए वर्तमान प्रस्ताव कौन से हैं ?

श्री प्रताप चन्द्र चन्दर : जैसा कि मैं उत्तर में पहले ही बता चुका हूं मामले पर विचार किया जा रहा है और जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में दोनों सदनों ने मिलकर बनाई थी । अतः, जो भी प्रस्तावित परिवर्तन होंगे, उन्हें सदन के समक्ष लाया जाएगा । लेकिन संक्षेप में मैं बताना चाता हूं कि 10 पद्धति तो ज्यों कि त्यों रहनी चाहिए क्योंकि यह सारे देश में लगभग एक जैसी है । लेकिन पुस्तकों का बोझ कम करना होगा क्योंकि यह आम शिकायत प्राप्त हुई है कि छात्रों को बहुत अधिक किताबें पढ़नी पड़ती हैं और वे ठीक प्रकार से उन्हें नहीं पढ़ पाते । छात्रों में पुस्तकें याद करने तथा रट्टा लगाने की प्रवृत्ति होती है जिससे छात्र के वास्तविक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता ।

दूसरे, +2 योजना के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह संकेत दिया गया है कि यह शिक्षा स्कूल में अथवा कालेज में अथवा स्थायी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है । हमारा विचार इसे स्कूलों में देने का है । राशि के अभाव में स्कूलों का दर्जा बढ़ाने का कार्य भली-भांति नहीं हो पाया है। अतः यह विचार किया गया है कि कम-से-कम कुछ समय तो यह शिक्षा स्कूलों में या कालेजों में या स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है ।

+2 पद्धति में व्यवसायिक पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक पाठ्यक्रम अब अलग-अलग हैं तथा यह शिकायत मिली है कि इन दोनों के बीच कुछ लचीलापन होना चाहिए। यह बताया गया है कि जो छात्र व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं उन्हें बाद में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नही आने दिया जाता और इसलिए उन छात्रों को नौकरी के अवसर देना सम्भव नहीं हो पाता जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं । अतः यह सुझाव दिया गया है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए।

+3 योजना के बारे में केन्द्रीय, परामर्शदात्री शिक्षा बोर्ड ने कुछ परिवर्तन के सुझाव दिए हैं।

यह सुझाव दिया गया है कि पास कोर्स के लिए 2 वर्ष तथा आनर्स कोर्स के लिए तीन वर्ष का समय रखा जाए। कुछ राज्यों में पास तथा आनर्स कोर्स के लिए दो वर्ष की अवधि रखी गई है। यह सुझाव दिया है कि यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाए। दूसरे शब्दों में यदि किसी राज्य का कोई विश्वविद्यालय .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूरी नीति की व्याख्या कर रहे हैं। यह प्रश्न-काल है और इसमें आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : मैं तो केवल सुझावों के बारे में बता रहा था। माननीय सदस्य यह जनाना चाहते थे कि किस प्रकार की चर्चा चल रही है। जब तक मैं तीनों पद्धतियों के बारे में नहीं बताता, तब तक इसे समझना सम्भव नहीं है। कुछ सुझाव मिले हैं। +3 योजना के बारे मैं यह सुझाव दिया है कि कुछ राज्यों में पास तथा आनर्स कोर्स पूरा करने के लिए दो वर्ष की अवधि होनी चाहिए।

श्री जी० एम० बनतवाला : इसके बारे में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। लेकिन क्या सरकार ने अपना भी कोई विचार बनाया है? क्या देश में इसे एकरूप देने के लिए राज्य सरकारों की भी राय मांगी गई है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : जैसा कि मैं उत्तर में पहले ही बता चुका हूँ कि राज्यों की सलाह लेना भी आवश्यक होगा और कई राज्यों में सरकारें नहीं हैं। वे चुनाव के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और परिणाम आने के बाद इस मामले पर उनसे बातचीत की जाएगी .... **(व्यवधान)**

डा० सुशीला नायर : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि स्कूलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण भारत के अभिभावकों को यह चिन्ता बनी हुई है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। 10+2 योजना के बारे में कौन निर्णय लेगा? मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि कई राज्यों में पास तथा आनर्स पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष प्रणाली (+3 योजना) विद्यमान है और उसे जारी रखा जा सकता है। यदि उसे जारी रखा जाए तो 10+2+3 का पूरा उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। क्या मंत्री महोदय इसे एक समान बनाने की सम्भाव्यता पर विचार करेंगे ताकि लोक सेवा आयोगों तथा नियोक्ताओं को विशिष्ट छात्र की शिक्षा के स्तर का पता चल सके, चाहे वह किसी भी राज्य का हो?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ; अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है और हम इस स्थिति में भी नहीं हैं कि अन्तिम निर्णय ले सकें। मुझे पता है कि व्यावसायिकीकरण की कई शिकायतें मिली हैं। हमें अध्यापकों तथा अभिभावकों के प्रतिनिधि भी इस बारे में मिले हैं। हम इस मामले पर विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक एक समान पद्धति का सम्बन्ध है, कोठारी आयोग ने भी यह कहा था कि भारत जैसे पड़े देश में एक समान पद्धति नहीं हो सकती। आयोग ने सिफारिश की थी कि स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए पद्धति लचीली हो सकती है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : ऐसे राज्यों के नाम कौन-कौन से हैं जो 10+2 योजना को लागू कर चुके हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : कोठारी आयोग द्वारा प्रतिवेदन देने से पूर्व केरल और लक्षद्वीप ने यह पद्धति अपना ली थी। इसके बाद वर्ष 1968 की राष्ट्रीय नीति के बाद 4 राज्यों—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोआ, दमन, दीव ने यही पद्धति अपनाई। जिन राज्यों ने यह पद्धति अपनाने का निर्णय ले लिया है और क्रियान्वयन हो रहा है, वे राज्य हैं—आसाम, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा तथा नागर हवेली, सिक्किम, अंडेमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश तथा दिल्ली। उत्तर प्रदेश

में 10+2+2 पद्धति पहले से ही लागू है । मेघालय तथा मिजोरम के बारे में नवीनतम स्थिति का पता नहीं चल पाया है । हमें सूचना मिली है कि मिजोरम में यह मामला विचाराधीन है ।

Shri H. C. Kachwai : The hon. Minister has just now stated that the Government is considering on the policy formulated in 1968. The Central Education Board has also submitted its point of view. Through you, I would like to know from the hon. Minister whether it was recommended that free education should be imparted upto primary level Mention has also been made about Kothari Commission. May I know whether new Government would implement all these recommendations. If so, by when ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : पिछली सरकार ने कोठारी आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था। उदाहरणार्थ, कोठारी आयोग ने बहुमत से यह निर्णय किया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में नहीं रखा जाना चाहिए लेकिन संविधन संशोधन के बाद इसे समवर्ती सूची में लाया गया। फिर, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि केवल ढांचे में एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से कोठारी आयोग लचीलापन चाहता था लेकिन उसे भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया । हम कोठारी आयोग के प्रतिवेदन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं तथा प्रस्ताव शीघ्र ही सदन में पेश किए जाएंगे ।

Shri H.C. Kachwai : Mr. Speaker, Sir, my first question has not been replied to. I would like to know whether in accordance with the policy formulated in 1968 and the recommendation of Central Education Board, free education will be given upto primary level ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : जहां तक निःशुल्क शिक्षा का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कराया है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क शिक्षा दी जाए लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया । गत सत्र में मैंने सदन में कहा था कि मैं निरक्षरता निवारण तथा प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दे रहा हूं । इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा ।

Smt. Morinal Goray : Those States in which 10+2+3 system have been introduced, teachers have not been trained for this properly as a result of which work is not being done in a proper way. May I know whether he is aware of this fact or not ?

Secondly, he has stated that there are very few vocational courses. Basic assumption behind introduction of new education system was to start vocational courses and to establish dignity of labour. But the assumption has not been implemented so far. What he has to say about this ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : जहाँ तक शिक्षकों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, पहले से ही कार्यवाही की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त एन० सी० आर० एल० ने कुछ विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है । यह स्वीकार किया गया है कि इस कार्य में सुधार होना चाहिए। सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है।

जहां तक व्यावसायिक बनाने का प्रश्न है, यह केवल शिक्षा मंत्रालय की समस्या नहीं, बल्कि देश की आम आर्थिक समस्या है और जब तक देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक व्यवसाय के क्षेत्र में शिक्षा छात्रों का अधिक लाभ नहीं कर सकती क्योंकि यह देखने में आया है कि तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा के बावजूद स्नातक तथा अन्य छात्र बेरोजगार हैं।

श्री हितेन्द्र देसाई : इस पाठ्यक्रम में अंग्रेजी पढ़ाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । यदि अलग से प्रश्न का नोटिस दिया जाए, तो मैं इसका उत्तर दूंगा।

श्री आर० के० महालगी : पूरी योजना की समीक्षा कब तक पूरी हो जाएगी ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : इस पर समय लगेगा। राष्ट्रीय दल चाहता था कि हर पांच वर्ष बाद समीक्षा की जाए । यह समीक्षा वर्ष 1973 में होनी थी लेकिन नहीं की गई । हमने समीक्षा शुरू कर दी है, हम जानकार लोगों की सलाह ले रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अन्त तक पूरी योजना बन जाएगी।

डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या माध्यमिक स्कूलों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भी सलाह लेने तथा एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ताकि 10+2 योजना बनाई जा सके ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : हमने औपचारिक रूप से कोई सम्मेलन नहीं बुलाया है । शिक्षा क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के विचारों का पता लगाने के लिए अनौपचारिक रूप से शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है । मुख्याध्यापकों, विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित जाने-माने संसद् सदस्यों को अनौपचारिक रूप से बुलाया गया है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बताया कि विभिन्न संगठनों तथा महत्वपूर्ण संसद् सदस्यों का सम्मेलन बुलाया गया है । सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे संगठनों तथा संसद् सदस्यों को बुलाने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया ? मैंने संगठनों की सूची में देखा कि भारतीय श्रमिक शिक्षक मंडल को भी बुलाया गया है । यह एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रत्यायोजित संस्था है। गत एक दशक के दौरान देश के लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देश में शिक्षा की एक समान पद्धति होनी चाहिए। मंत्री महोदय ने अपना पद संभालते ही कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या वह अपने मानदंड की बजाय शिक्षक प्रतिनिधियों, छात्रों, शिक्षा संस्थाओं तथा वास्तविक रुचि रखने वाले संसद सदस्यों का सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए । हमने विशेषज्ञों से परामर्श लिया है । किसी भी विशिष्ट संस्था के प्रतिनिधियों को चुनने के बारे में कोई अन्तिम बात नहीं की जा सकती । हम चाहें जिसे भी चुनें , प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और कठिनाई अवश्य उत्पन्न होगी।

श्री टी० ए० पाई : आजादी के 30 वर्ष बाद भी हमारे राष्ट्र में 70 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि वह प्राथमिक शिक्षा और समय पर निरक्षरता को दूर करने के बारे में विचार कर रहे हैं और वे एक वर्ष बढ़ाकर या घटाकर समस्या को गम्भीर बना रहे हैं और इस तरह हमारे बच्चों को निकम्मा बना रहे हैं। क्या उनका विचार शिक्षा की अवधि को कम करने के बजाय उसकी वस्तुविषय को बदलने का है । मंत्री महोदय केवल निहित स्वार्थों से ही परामर्श कर रहे हैं कि इस देश में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक राय है । प्रश्न नहीं है । **(व्यवधान)**

Shri Shiv Narain Sarsonia : I would like to know whether the teachers working in schools under the present scheme would become surplus under the proposed scheme ? If so, the arrangements proposed to be made for these surplus teachers ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्दर : सरकार समस्या के प्रति पूर्णतया जागरूक है और वह इसका समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है ।

श्री पी० वी० जी० राजू : भारत सरकार के पास एक अखिल भारतीय शिक्षा सेवा बनाने का प्रस्ताव था। यदि आसाम के अध्यापक केरल जाकर पढ़ाते हैं और गुजरात का अध्यापक आन्ध्र प्रदेश जाकर पढ़ाता है, तो इससे एकता आयेगी। इस सेवा का क्या हुआ ? क्या वर्तमान सरकार द्वारा इसे पुनः चालू नहीं किया जा सकता ?

श्री कंवर लाल गुप्त : इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध कैसे उठता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

तमिलनाडु में सूखा राहत कार्य

*2. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में तामिलनाडु में सूखा राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि व्यय करने का कार्यक्रम बनाया है तथा व्यय करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस धनराशि की अपर्याप्तता और राहत राशि में वृद्धि करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों के आधार पर राहत कार्यक्रम के लिये धनराशि में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) 1977 के दौरान तमिलनाडु में सूखा राहत कार्य पर व्यय करने का केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) सरकार को अभी तक तमिलनाडु राज्य से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 6 को भी इसके साथ लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह एक भिन्न प्रश्न है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : तमिलनाडु में सूखे की स्थिति बहुत गम्भीर है और यह बात इस सभा में सरकार के ध्यान में उस समय लाई गई थी जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। दूसरे, सभी प्रकार के सूखा राहत कार्य 31 मार्च को ठप्प हो गये थे ? अधिकांश जिलों के गांवों में पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। सरकार का तमिलनाडु के लोगों के लिये राहत कार्य के बारे में क्या करने का विचार है और उनके लिये भावी योजना क्या है ?

यह उत्तर—कि कोई धन व्यय नहीं किया गया है और कुछ नहीं किया जा रहा है—धक्का पहुंचाने वाला है।

श्री बीजू पटनायक : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को गलत समझा है। मैंने कहा है कि इस सरकार को तमिलनाडु सरकार से सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह सरकार 23 मार्च से तमिलनाडु की भी सरकार है।

श्री बीजू पटनायक : वहां अब भी तमिलनाडु सरकार है और तमिलनाडु सरकार से औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे तमिलनाडु सरकार से सूचना मिली है कि वह वर्ष 1977-78 में पीने के पानी की सप्लाई

सम्बन्धी योजना और रोजगार प्रधान योजना पर 739.24 लाख रुपये व्यय करेगी। हमें तमिलनाडु सरकार से उन्हें और अधिक योजना सहायता दिये जाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : प्रश्न यह नहीं है कि क्या तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है बल्कि प्रश्न यह है कि क्या सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सभा में भी उस समय इस सम्बन्ध में चर्चा की गई थी जब पिछले सत्र में तमिलनाडु बजट पर वाद-विवाद हुआ था। मामले को टाला जा रहा है। यहां पर सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इस सभा में उत्तर देना ही पड़ेगा क्योंकि तमिल नाडु में राष्ट्रपति शासन लागू है। मैं जानना चाहती हूं कि पीने के पानी की योजना के अलावा आरम्भ की जाने वाली और कौन सी योजना है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सूखा राहत सम्बन्धी योजनाओं का स्थायी प्रभाव रहेगा या नहीं? क्या सरकार ने इस पर विचार किया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री बीजू पटनायक : तमिलनाडु राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्र में वर्ष 1977-78 में निम्नलिखित योजना को कार्यान्वित करने के लिये स्वीकृत किया है :—

पीने के पानी की सप्लाई संबंधी योजना

1. कुएं खोदना (2547)	241.97 लाख रु०
2. पाइप जल सप्लाई	100.00 लाख रु०
3. पीने के पानी के कुओं को गहरा करना	24.00 लाख रु०

रोजगार प्रधान योजना

4. वनरोपण	3.64 लाख रु०
5. भू-संरक्षण	45.54 लाख रु०
6. खुश्क मौसमी सड़कें	98.96 लाख रु०
7. विशेष लघु सिंचाई कार्यक्रम	76.89 लाख रु०
8 त्वरित लघु सिंचाई कार्यक्रम	148.24 लाख रु०
जोड़	739.24 लाख रु०

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लोक सभा चुनावों के परिणाम घोषित होने से पूर्व राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष में सूखा राहत धन का प्रयोग प्रशासन द्वारा चुनाव कार्यों के लिये किया गया? कांग्रेस पार्टी के स्वयंसेवक भर्ती किये गये और उनका इस्तेमाल चुनाव कार्य में किया गया। चुनावों में कांग्रेस पार्टी के लिये काम करने के लिये इन्हें सरकार से पैसा दिया जाता था और यह सारा पैसा सूखा राहत के हिसाब में लिखा जाता था। क्या मंत्री इस व्यय की जांच करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में अलग से प्रश्न पूछें।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले स्थान में अनाज का जमा किया जाना

***3. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :**
श्री के० ए० राजन् :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 50 लाख टन अनाज को खुले स्थान पर रखा हुआ है;

(ख) क्या यह खराब हो रहा है और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारतीय खाद्य निगम से अनाज की अधिक निकासी के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां, कवर और प्लिथ स्टोरेज (कैप) के अधीन।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

कैप भण्डारण केवल अल्पकालीन अवधि के लिए है और एक आपातिक उपाय है। बाढ़ों, तूफानों आदि के कारण अनाज को कुछ क्षति पहुंचने की सम्भावना है। तथापि, इस क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक सावधानी बरती जाती है।

खाद्यान्नों की निकासी में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :—

(क) राज्य सरकारों की केन्द्रीय पूल से गेहूं और माइलों को आबंटिन करने से संबंधित मांगों को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी प्राधिकृत किया गया है कि वे खाद्य विभाग से औपचारिक आबंटन की प्रत्याशा में गेहूं और माइलो के निर्गम के लिए सीधे ही भारतीय खाद्य निगम के पास अपने मांग-पत्र भेज दें। कमी वाले राज्यों को उदारता से चावल का आबंटन किया जा रहा है।

(ख) सभी राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि :—

(i) फिलहाल राशन की वर्तमान मात्रा 8 किलोग्राम प्रति मास से बढ़ाकर 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दी जाए। अतिरिक्त मात्रा गेहूं अथवा होल मील आटा/माइलो के रूप में सप्लाई की जाए।

(ii) सभी प्रमुख सिंचाई और निर्माण परियोजनाओं तथा राहत कार्यों में लगे मजदूरों को बिना राशन कार्ड के प्रति वयस्क प्रति मास 12 किलोग्राम गेहूं/होल मील आटा सप्लाई किया जाए।

(iii) सिंचाई परियोजनाओं और विकास कार्यों तथा राहत कार्यों में लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का एक भाग गेहूं और माइलो के रूप में देने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

(iv) और अधिक राशन की दुकानें/उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएं ताकि उपभोक्ताओं को उनके घरों के पास ही खाद्यान्न उपलब्ध किए जा सकें और राशन की दुकानों के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया

हूं कि उचित मूल्य की दुकानों को विशेषतया ऐसी औद्योगिक क्षेत्रों, स्लम क्षेत्रों आदि में खोला जाना चाहिए जहां अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया लागू नहीं की जा सकी थी।

(v) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों को खरीदने के लिए अपने कर्मचारियों को तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि देने के लिए एक उपयुक्त योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार करना। यह योजना वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारी मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ब्याज-मुक्त अग्रिम धनराशि देने के लिए तैयार की थी।

श्री के० ए० राजन : माननीय मंत्री का उत्तर अस्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं कि कैंप भण्डारण के अधीन वास्तव में कितने टन अनाज क्षतिग्रस्त हुआ?

श्री बीजू पटनायक : प्रश्न बहुत सीधा है। उन्होंने पूछा है कि क्या भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में 50 लाख टन अनाज को खुले स्थान पर रखा गया है। मैंने इसका उत्तर सकारात्मक रूप में दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या कुछ अनाज खराब हो गया है या मानव खपत के काबिल नहीं रहा है और इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं। मैंने विवरण में इन सब बातों के बारे में बताया है। कैंप भण्डारण के अधीन कुल अनाज 54 लाख टन है। उसमें से 25,352 टन क्षतिग्रस्त हो गया है। कुल अनाज भण्डारण 157 लाख टन है और क्षति 1/2 प्रतिशत से कम है।

श्री के० ए० राजन : उत्तर में मद 5 में सुझाव दिया गया है कि सरकारी क्षेत्र और अन्य औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त योजनायें बनाई जा रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मामले में कोई ठोस और व्यावहारिक उपाय किये गये हैं?

श्री बीजू पटनायक : हमने 'फूड फार वर्क' योजनाओं के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को परामर्श दिया है। इन पर तेजी से अमल किया जा रहा है। 'फूड फार वर्क' योजनाएं आरम्भ की जा रही हैं। हम इन योजनाओं के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं।

Shri Mahi Lal : I would like to know from the hon. Minister as to for how many years this 5.4 million tonne foodgrains have been lying in the open place and in which year it was purchased?

श्री बीजू पटनायक : कुल भण्डारण लगभग 157 लाख टन है जिसमें से 54 लाख टन इस व्यवस्था के अन्तर्गत है। इसे खुली हवा में नहीं रखा गया है। यह पूरा ढका हुआ है। ऐसा होता है कि यदि कोई बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आती है, तो कुछ लेवी और अन्य बातों के लिये होती है। ऐसा प्रायः होता है। औसतन 50 प्रतिशत भण्डार में रखा जाता है तो 50 प्रतिशत निकाला जाता है। यह सदैव चक्रानुक्रम में चलता है और आज 18 महीने से पुराना कोई स्टाक नहीं है।

श्री विनोद बी० सेठ : क्या मंत्री हमें बतायेंगे कि गोदाम के निर्माण की लागत क्या है और अनाज की कितने मूल्य की क्षति हुई है और दूषित अनाज के कारण कितने लोगों कि मृत्यु हुई है?

श्री बीजू पटनायक : किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार मृत्यु नहीं हुई है। कुल हानि 1/2 प्रतिशत से जिसकी लागत लगभग 3-1/2 करोड़ रुपये है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया है कि अनाज, 'फूड फार वर्क' योजना के अन्तर्गत वितरित किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत कितना अनाज वितरित किया गया ?

श्री बीजू पटनायक : यह आमतौर पर राज्य सरकारों को दिया जाता है और अन्तिम आंकड़े देने के लिये हमें राज्य सरकारों से रिपोर्ट लेनी होती है । ऐसा उस समय भी होता था जब आपकी सरकार थी।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था

***4. श्री बी० एम० सुधीरन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को आवास देने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केरल सरकार ने कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों की स्थिति को सुधारना है । विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की आवास योजनाओं के अन्तर्गत समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न निष्पादन अभिकरणों द्वारा मकानों के निर्माण द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(ख) केरल सरकार ने अगस्त, 1975 में भूमिहीन मजदूरों को लगभग 78,000 आवास स्थल देने के लिए 6.00 करोड़ रुपये की और वित्तीय सहायता हेतु निर्माण और आवास मन्त्रालय से सम्पर्क स्थापित किया था।

(ग) केरल सरकार को सूचित किया गया था कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना राज्य क्षेत्र में है, इसलिए इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई प्लान निधियों में से ही किया जाना है और भारत सरकार के पास इस उद्देश्य के लिए सरकार को देने के लिए कोई पृथक निधियां नहीं हैं।

श्री बी० एम० सुधीरन : उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों और हरिजनों को मकानों के देने के बारे में किये गये वास्तविक काम के संबंध में कुछ नहीं बताया गया है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाये हैं और इस योजना द्वारा विभिन्न राज्यों में भूमिहीन मजदूरों और हरिजनों को दिये गये मकानों की कुल संख्या क्या है ?

श्री सिकन्दर बख्त : उन्हें दिये गये मकानों की संख्या के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री बी० एम० सुधीरन् : केरल सरकार ने एक लाख मकानों की योजना चालू की है जिसके अन्तर्गत 85,000 मकान तैयार किये गये हैं । उन्होंने और भी योजनायें बनाई हैं और केन्द्र की सहायता मांगी है । आप केरल सरकार को सहायता देने से इन्कार कर रहे हैं । केरल सरकार के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? क्या सरकार इस संबंध में आवश्यक सहायता देगी ?

श्री सिकन्दर बख्त : भेदभाव के बारे में माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है वह सही नहीं है। केरल सरकार ने 90,000 आवास स्थल और मकान देने का लक्ष्य रखा है। केवल इसी राज्य ने अपना काम पूरा किया है।

दूसरे, वर्ष 1971 में केन्द्रीय क्षेत्र में 96,000 आवास स्थलों की एक परियोजना तैयार की गई थी। पांचवीं योजना के शुरू में परियोजना राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दी गई थी। वर्ष 1973 में उन्होंने 77,793 आवास स्थलों के निर्माण की एक और परियोजना रखी। उन्हें कहा गया कि पहिले वे 96,000 आवास स्थलों को पूरा करें। बाद में उन्होंने 6 करोड़ रुपये की मांग की। उस समय उन्हें बताया गया कि यह अब राज्य क्षेत्र की परियोजना है और नियतन योजना परिव्यय में शामिल है।

Shri Lalji Bhai : Mr. Speaker, I would like to know from the hon. Minister as to how many families have been provided with land and how much land has been provided to them during the last one year ?

Mr. Speaker : It relates to provision of house-sites and houses.

Shri Lalji Bhai : I would like to know the number of houses leased out and the amount of premium fee recovered therefrom ?

श्री सिकन्दर बख्त : मुझे मालूम नहीं कि क्या यह मकान स्थलों या मकानों के लिये स्वीकृत की गई थीं। 28 फरवरी, 1977 तक के आंकड़ों के अनुसार 9.29 लाख मकान स्वीकृत किये गये थे जबकि 6.96 लाख मकान पूरे किये जा चुके हैं।

Shri Lalji Bhai : What is the premium fee realised on the basis of statistics of the family.

श्री सिकन्दर बख्त : यह प्रीमियम फी तो नहीं है। परन्तु प्रति आवास स्थल के विकास के लिये 150 रु० दिये गये थे। इसे संशोधित करके 1975 में मैदानी इलाकों में प्रति आवास स्थल 300 रुपए तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 500 रुपए कर दिये गये थे।

Shri Roop Nath Singh Yadava : Mr. Speaker, Sir, there are crores of homeless people in this country. Out of which a large number is that of Harijans. Is there any scheme of the Government to provide pucca houses to the Harijans ?

Shri Sikander Bakht : Yes sir, in the schemes for Harijans under fifth plan a sum of Rs. 600.92 crores has been provided and there are proposals to build houses of all types.

श्री ए० सी० जार्ज : मंत्री महोदय ने कृपा पूर्वक स्वीकार किया है कि वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद केरल में आवास कार्यक्रमों को भावी ढंग से क्रियान्वित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार ने मकान बनाने के लिये महान कार्यक्रम तैयार किये हैं। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 'हुडको' द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

श्री सिकन्दर बख्त : 'हुडको' निधि में से 36.81 लाख रुपये के परियोजना व्यय में से 36.75 लाख रुपये दिये गये है। यह उनकी अंतिम प्रार्थना के अनुरूप है।

निर्धन ग्रामीण

***5. श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि सरकार बदलने पर जमींदारों ने निर्धन ग्रामीणों को तंग करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या खेतिहर मजदूरों को निम्नतम मजूरी भुगतान के अन्तर्गत भूमिहीनों को बांटी गई भूमि को जमींदार छीन रहे हैं तथा समाप्त कर दिये गये ग्रामीण ऋण को चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो भूमिहीन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) जी हां ।

(ख) सरकार की जानकारी में इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर सही नहीं है । सरकार ने स्थिति की गम्भीरता नहीं समझी है । बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में बहुत सी घटनाएं हुई हैं । लोक नायक जय प्रकाश नारायण के राज्य बिहार में भूमि सुधार से प्रभावित भूमिपतियों ने हरिजनों, बटाइदारों और दलित वर्गों के विरुद्ध बहुत से जुल्म किये हैं । आंध्र प्रदेश में नन्दयाल निर्वाचन क्षेत्र जहां से आप निर्वाचित हुए हैं, में हरिजनों तथा गरीब ग्रामीणों पर भूस्वामियों एवं प्रभावी वर्गों द्वारा जुल्म किये गये थे, जिनका उल्लेख जिला कलकटर ने अपने 31–3–77 के वक्तव्य में किया है । आपने स्वयं अपने 19 अप्रैल के भाषण में जिला कलक्टर की निन्दा की थी । आपने कहा था कि अधिकारियों को सही ढंग से व्यवहार करना चाहिए । इन हालात में क्या मैं जान सकता हूं कि इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले ही बताया है कि इस बारे में एक अतारांकित प्रश्न संख्या 102 था जिसके अन्तर्गत सरकारों से विवरण मांगे गये हैं । अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए । कुछ संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि वहां पर ऐसे तंग करने के मामले नहीं हुए । माननीय सदस्य ने भाग (ख) का उल्लेख किया है कि जमीनदार भूमिहीनों को वितरित भूमि छीन रहे हैं । सरकार के पास ऐसे किन्हीं विशिष्ट मामलों की जानकारी नहीं मिली की भूमिहीनों को वितरित भूमि भूस्वामियों द्वारा छीनी गई है । अथवा ऐसे ग्रामीण ऋण जिन्हें समाप्त कर दिया गया था पुनः लागू कर दिये गये हैं । यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष मामला है तो वह मुझे बताये हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे ।

श्री के० मालन्ना : यह जांच आयोगों की सरकार है जो कानून के शासन को स्वीकार करती है । क्या उनका मंत्रालय भूमिहीनों के विरुद्ध किये गये अत्याचारों की जांच के लिये किसी समिति का गठन किया जायेगा ।

श्री बीजू पटनायक : अत्याचारों के यदि कोई मामले हैं तो उनके बारे में माननीय सदस्य गृह मंत्रालय से पूछें न कि कृषि मंत्रालय से ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मुझे माननीय कृषि मंत्री से यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । मैं अपने 15 दिन के चुनाव अभियान के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उड़ीसा और बिहार के बहुत से लोगों ने हमसे शिकायत की है कि उनसे उनकी भूमि छीनी गई है । यह एक सार्वजनिक मामला है । यदि सरकार केवल इतनी बात कहती है कि उन्हें रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तो यह प्रशासन के काम का तरीका नहीं है । यह गम्भीर मामला है । गरीब लोगों को जमीनें दी गई थीं और उन्हें उनसे वंचित किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : तो आपका प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बारे में कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री जहां उपस्थित नहीं हैं। क्या सरकार इस प्रकार चलाई जाती है ।

श्री बीजू पटनायक : विरोधी दल के नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि उनका प्रश्न क्या है । **(व्यवधान)** उन्होंने अपने वक्तव्य से कहा है कि उनके 1½ दिन के उड़ीसा के दौरे में उनसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें दी गई भूमि से वंचित किया जा रहा है । मेरा कहना है कि यह सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : विरोध पक्ष के नेता ने कहा है कि यह महत्वपूर्ण मामला है और कृषि मंत्री यहां पर नहीं है । हम सब जानते हैं कि सदस्यगण तथा मंत्री निर्वाचन कार्य में लगे हुए हैं । हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए । एक दो दिन में सब लोग पहुंच जायेंगे । इस बीच में उन्होंने उत्तर देते हुए कहा है "कि यह सही नहीं है" और उनका यह कथन अशिष्टाचार पूर्ण नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, may I know from the hon. Minister whether the land allotted to the poor people by the previous Government was taken back ? I also want to say that the new Government has not snatched lands from the poors and will the hon. Minister investigate the incidents in which the poor people have been deprived of their lands by the former Congress Government during the past 30 years ? A large number of such incidents have taken place and such happenings have declined during the present regime.

श्री बीजू पटनायक : बहुत से बड़े-बड़े जमींदार कांग्रेसी हैं ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न उठाने का नियम नहीं है। आप अपना अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछ सकते हैं ।

श्री बीजू पटनायक : विरोधी दल के नेता ने यह मामला उठाया है अतएव मुझे तथ्य बताने पड़ते हैं । यदि जमीनें छीनने की कुछ घटनाओं की जानकारी सरकार को मिली हैं, तो यह बड़े जमींदारों द्वारा किया गया है जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या मंत्री महोदय का ध्यान बिहार सरकार के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पिछले एक वर्ष में 100 हरिजनों की हत्या हुई है । दूसरे जुल्म के 1200 मामले पंजीकृत किये गये हैं। मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । परन्तु बिहार सरकार ने एक वक्तव्य में यह आंकड़े दिये हैं ।

श्री बीजू पटनायक : हत्या, लूटमार और आगजनी आदि के मामलों की जानकारी गृह मंत्रालय से मांगी जानी चाहिए, कृषि मंत्रालय से नहीं ।

Shri B.P. Mandal : Is the hon. Minister aware that thousands of people were deprived of their lands by the family of former Bihar Chief Minister, Dr. Jagannath Mishra, particularly during the last 3 years ? If not, will the Government investigate into the matter on the basis of my information ?

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने विशेष जानकारी दी है। मैं निश्चय ही इस पर ध्यान दूंगा।

श्री वयालार रवि : श्री पटनायक ने बताया है कि कांग्रेस में बहुत से बड़े जमीनदार थे। परन्तु जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद स्थिति बदल गई है। अब कांग्रेस के साथ गरीब लोग हैं। हरिजनों पर लूटमार, उनके जिंदा जलाये जाने के तथा भूमिहीन लोगों पर अत्याचार के गम्भीर मामलों की जानकारी प्राप्त हुई है। क्या आपने जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत मार्च, 1977 के बाद हुए अत्याचारों की जांच के लिये आयोग की नियुक्ति की है।

श्री बीजू पटनायक : सरकार की जानकारी के अनुसार गरीब लोगों ने जनता को वोट दिया तथा धनी लोगों ने कांग्रेस को।

Shri Dhanna Singh Gulshan : Is it true that during the year 1973-74, landless Harijans of Haryana launched an agitation against the Congress Government which had deprived them of their lands? If so, will the Government investigate the matter?

Shri Biju Patnaik : If it was so it would definitely be enquired into.

श्री चित्त बसु : क्या भारत सरकार ऐसे भूमिहीन लोगों को जिनसे जमीनें छीनी गई थीं, जमीनें वापस दिलाने के लिये कार्यवाही करेगी ?

श्री बीजू पटनायक : यदि ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आयेंगे तो सरकार यथाशक्ति प्रयत्न करेगी।

श्री चित्त बसु : ग्रामीण ऋणग्रस्तता का एक अन्य मामला है। क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता की देश में कितनी राशि है ? इसके कारण ग्रामीण लोगों को भारी कष्ट होते हैं। मैं समझता हूं कि हम इस बारे में लोगों को दिये गये आश्वासन पूरे नहीं कर पायेंगे।

श्री बीजू पटनायक : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं परन्तु मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है। यदि पृथक प्रश्न पूछा जाये तो मैं जानकारी दे सकूंगा।

श्री चित्त बसु : क्या सरकार ग्रामीण ऋणग्रस्तता की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये आयोग स्थापित करने को तैयार है ?

श्री बीजू पटनायक : ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बारे में जानकारी राज्य सरकारों के पास अवश्य होगी। इस बारे में विशेष प्रश्न पूछे जाने पर हम पूरी जानकारी दे पायेंगे और आवश्यक होने पर कुछ कदम उठाये जायेंगे।

श्री टी० बालकृष्णैया : क्या मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं कि यह तथ्य सभी समाचार पत्रों में छपा है—मंत्री महोदय कल का संडे स्टैंडर्ड देखें—कि विभिन्न राज्यों में हरिजनों और गरीब लोगों पर अत्याचार हुए हैं। सरकार इस समाचारपत्र के सम्पादकीय पर ध्यान दे और एक समिति की नियुक्ति करे। मैं अपना प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या यह सच है कि जनता सरकार के बनने के बाद कई स्थानों पर हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं ? क्या सरकार इस मामले पर ध्यान दे कर विभिन्न राज्य सरकारों से जानकारी मंगायेगी।

श्री बीजू पटनायक : कानून और व्यवस्था का प्रश्न गृह मंत्रालय से संबंधित है। खाद्य और कृषि मंत्रालय से नहीं।

श्री टी० बालकृष्णैया : तब आप उत्तर न दें। गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं उन्हें उत्तर देने दें।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the Government would ask the State Governments to conduct survey of the cases of landless persons expelled from their lands during the previous regime or during the present regime and direct the District Magistrates to restore their lands ? Would the Govt. see that the surplus land with them is also distributed early ?

श्री बीजू पटनायक : माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार राज्य सरकारों को आदेश दें जोकि यह सरकार नहीं कर सकती । सरकार केवल परामर्श दे सकती है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पिछली सरकार के समय में भी अलवाइन 60 दिन के दौरान कुछ बेदखलियां की गई हैं तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की सारी शक्ति गरीब लोगों के हक दिलाने में लगाई जायेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों में सूखा

***श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में गम्भीर सूखे की स्थिति है ;

(ख) इन राज्यों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इन राज्यों को अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (ग) तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों ने वर्ष 1976-77 के दौरान तथा कर्नाटक और उड़ीसा सरकारों ने वर्ष 1977-78 के दौरान सूखे की स्थिति की सूचना दी थी । इसके सिवाय हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में सूखे की स्थिति के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को अपने ही संसाधनों से सूखा-राहत खर्च की वित्त-व्यवस्था करनी है । आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष में कुछ धनराशि उन्हें केन्द्र द्वारा दी जाती है । राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार अग्रिम सहायता के लिए स्थिति का मूल्यांकन करती है । चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक और उड़ीसा के सिवाय किसी भी राज्य से योजना अग्रिम सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) वर्ष 1976-77 के दौरान सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए स्वीकृत की गई योजना में अग्रिम सहायता की रकमें इस प्रकार हैं : --

	करोड़ रुपए
तमिल नाडु	15.70
कर्नाटक	7.60
केरल	1.50
मध्य प्रदेश	6.15
उड़ीसा	5.10

1977-78 वर्ष के दौरान अब तक केवल कर्नाटक राज्य के लिए ही 4.75 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत की गई है । अग्रिम योजना सहायता के लिए उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ।

तमिलनाडु में पानी की कमी

*7. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में सिंचाई के लिये पानी की कमी की स्थिति का पता है ;

(ख) क्या तमिलनाडु को कर्नाटक से अधिक पानी दिलाने के प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कमी की स्थिति पर काबू पाने के लिये तमिलनाडु को कर्नाटक से उचित मात्रा में पानी दिलाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) 1976 में कावेरी बेसिन में बहुत कम वर्षा हुई । कर्नाटक सरकार ने सितम्बर-अक्तूबर, 1976 में कावेरी पर बने अपने जलाशयों में से तमिलनाडु के इस्तेमाल के लिए 15 टी० एम० सी० जल दिया था ।

(ग) संबंधित राज्यों के बीच अगस्त 1976 में हुए समझौते के अनुसार, कमी वाले वर्षों में कावेरी के जल के बंटवारे का तरीका एक समिति द्वारा निकाला जाना है, जिसमें केन्द्रीय सरकार और सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इस समिति द्वारा मुख्य मंत्रियों के अगले सम्मेलन में विचार किए जाने के लिए सिफारिशें की जायेंगी । इस समिति की रिपोर्ट जुलाई, 1977 के अन्त तक मिल जाने की आशा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का स्तर

*8. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ग्रामीण महिलाओं के स्तर में चिन्ताजनक रूप से ह्रास हो रहा है, जैसा कि महिला-अध्ययन सलाहकार संस्था के सभापति ने बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाने का कार्य एक सतत प्रयास है । प्रथम कदम के रूप में सरकार ने भारत में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उपचार उपायों का सुझाव देने के लिए 1971 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1 जनवरी, 1975 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, खराब बताई गई थी । भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने महिलाओं के अध्ययन से सम्बद्ध एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसके तत्वावधान में महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन तैयार किए जाते हैं और प्रोत्साहन दिया जाता है । इन अध्ययनों को नीति-निर्धारण और उपचारी कार्य के प्रवर्तन के योग्य बनाया जाता है, सरकार ने महिलाओं के अध्ययन से सम्बद्ध सलाहकार समिति के अध्यक्ष द्वारा अप्रैल, 1977 में प्रेस में की गई टिप्पणी का दृष्टिपात कर लिया है । जिस अध्ययन पर

उनका वक्तव्य आधारित है, अभी प्रगतिशील है। इस प्रकार, इस स्तर पर, न तो इसे स्वीकार किया जा सकता और न ही अस्वीकार कि गांव में महिलाओं की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है।

(ख) शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं के लिये भारत में महिलाओं की स्थिति से सम्बद्ध समिति द्वारा की गई 52 सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशें दीर्घकालीन हैं और सत्व एवं निरन्तर कार्यक्रम में हैं। जो सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं या कार्यान्वित की जा चुकी हैं निम्न प्रकार हैं :--

बहु-विवाह, दहेज, आडम्बर पूर्ण व्यय आदि के विरुद्ध जनमत संचारित करना और सामाजिक प्रयत्नों को सुदृढ़ करना (सिफारिश संख्या 1); हिन्दू विवाह अधिनियम का विस्तार संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में भी किया गया है (सिफारिश संख्या 4); दहेज संबंधी कानून में संशोधन करने के लिए उपाय--छः राज्यों ने इस बारे में कारवाई कर ली है और केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कानून का पुनरावलोकन करना; इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार दहेज लेना और देना एक अपराध है (सिफारिश संख्या 7); विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 में विवाह-विच्छेद के कारणों में "क्रूरता" और "परित्याग" को भी शामिल किया गया है; इस संशोधन में तलाक के लिए आपसी सहमति को भी शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त संशोधन में यह भी उपबन्ध किया गया है कि बालिग होने से पहले लड़की बाल विवाह से अस्वीकृति दे सकती है चाहे विवाह निष्पादित हुआ हो अथवा न हुआ हो (सिफारिश संख्या 8); श्रम मंत्रालय में एक सेल स्थापित किया गया है जो समान वेतन अधिनियम, 1976 को कार्यान्वित करने का कार्य करेगा (सिफारिश संख्या 19); श्रम मंत्रालय ने सभी राज्य-सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि समिति की इस सिफारिश पर विचार करें कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 को उन उद्योगों पर भी विस्तार किया जाये जो अभी इस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते जिनमें कृषि श्रमिक और घरेलू नौकर भी शामिल हैं (सिफारिश संख्या 20); फैक्टरी अधिनियम में संशोधन किया गया है कि काम पर लगी हुई कम से कम 30 महिला कामगरों के लिये शिशु सदनों के उपबन्ध की व्यवस्था की जाए (सिफारिश संख्या 21); समान वेतन अधिनियम, 1976 में पारित किया गया था और इस अधिनियम में उद्योगों को शामिल करने के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं। (सिफारिश संख्या 24); प्राथमिक स्तर पर सह-शिक्षा का एक सामान्य नीति के रूप में अनुसरण किया जाये (सिफारिश संख्या 33); 10वीं कक्षा तक लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सामान्य शिक्षा के लिए समान पाठ्यक्रम (सिफारिश संख्या 34); प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था प्रत्येक बच्चे के घर के नजदीक होनी चाहिये; स्कूल को छोड़ने वाले बच्चों को रोकने के लिये प्रोत्साहन देने की व्यवस्था (सिफारिश संख्या 36); जो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकतीं उनके लिये अंश-कालिक शिक्षा (सिफारिश संख्या 36); 15--25 वर्ष तक की आयु-वर्ग में महिलाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा (सिफारिश संख्या 41); शिक्षा के माध्यम से स्त्री और पुरुष की समानता को एक मुख्य धारणा के रूप में मन में बिठाना (सिफारिश संख्या 42); महिला-विकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना (सिफारिश संख्या 47); तथा गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में परिवर्तन की आवश्यकता (सिफारिश संख्या 48)।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की छात्रवृत्ति योजना

*9. **श्री शिव सम्पत्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्तियां देती है, यदि हां तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि कोई छात्र मैडिकल या इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले ले, तो क्या इस छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बन्द कर दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ; और

(घ) उन छात्रों को इस छात्रवृत्ति का भुगतान पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, जो मैडिकल अथवा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लेते हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी, हां । विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें योजना के विस्तृत ब्यौरे दिए गए हैं ।

(ख) जी, हां । उस योजना के अन्तर्गत ऐसा किया गया है जो 1976-77 शैक्षिक वर्ष तक तथा उसके दौरान लागू थी।

(ग) छात्रों को बुनियादी विज्ञानों तथा कृषि विज्ञानों को छोड़ने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि इन विज्ञानों की ओर पर्याप्त संख्या में प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित नहीं होते थे ।

(घ) प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित की गई छात्रवृत्ति धनराशि तथा प्रतीक्षा-सूची के उन छात्रों को जो औषध तथा इंजीनियरी में कुछेक के चले जाने के परिणामस्वरूप रिक्त स्थानों को भरते हैं, छात्रवृत्तियां प्रदान करके, उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है, इसलिए इस भुगतान को फिर से लागू करना सम्भव नहीं है ।

विवरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् बुनियादी तथा कृषि विज्ञानों में उच्च अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 1964 से लेकर 1976 तक अधिक से अधिक 350 छात्रवृत्तियां प्रदान करती रही हैं। छात्रवृत्तियां कक्षा 11 के अन्त में एक परीक्षा के आधार पर दी जाती है और छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पी० एच० डी० स्तर तक पहुंच सकते हैं बशर्ते कि छात्रवृत्ति अंतिम स्तरों तक वैध रहे । इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी तथा कृषि विज्ञानों में उच्च अध्ययन करने के लिए होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करना है।

योजना का पुनरीक्षण करने पर तथा छात्रों के अभ्यावेदनों के संदर्भ में, इस योजना में 1977 से संशोधन कर दिया गया है तथा इसके क्षेत्र को बढ़ाकर उस में बुनियादी तथा कृषि विज्ञानों के अलावा चिकित्सा, इंजीनियरी तथा समाज विज्ञानों को भी शामिल कर दिया गया है । 1977 के बाद से छात्रों को छात्रवृत्तियां कक्षा 10 के बाद ली जाने वाली एक परीक्षा के आधार पर, जमा 2 स्तर के बाद बुनियादी, समाज तथा कृषि विज्ञानों और इंजीनियरी तथा चिकित्सा में अध्ययन करने के लिए, प्रदान की जाएंगी । इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों की कुल संख्या भी 350 ही होगी।

दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र से निकाले गये परिवार

*10. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के दौरान तुर्कमान गेट क्षेत्र से निकाले गये व्यक्तियों को उसी क्षेत्र में फिर से बसाया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) क्या उनके लिये मकान बनाने का कोई विचार है; और

(घ) क्या इसे झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्र न मान कर गन्दी बस्ती क्षेत्र माना गया था और वर्तमान कानून के अन्तर्गत वे मकान प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आपातकाल के दौरान तुर्कमान गेट क्षेत्र से हटाए गए लोगों को उसी क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्रों में पुनः बसाया जा सकता है ।

(ख) आशा है कि इन लोगों को पुनः बसाने के लिए 1978 के अन्त तक टेनामेंट पूर्ण हो सकेंगे बशर्ते निधियां उपलब्ध हों ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, हां । इस क्षेत्र को गन्दी बस्ती माना गया था और गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अनुसार प्रभावित वास्तविक परिवारों को वैकल्पिक टेनामेंट दिए जाते हैं ।

खाद्यान्न व्यापार संबंधी समस्याओं के बारे में ज्ञापन

11 **श्री चित्त बसु** : क्या **सिंचाई और कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत अप्रैल में खाद्यान्न व्यापार संबंधी समस्याओं के बारे में अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्था संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी, हां ।

(ख) संघ के मुख्य मुख्य सुझाव ये थे :—(i) गेहूं और चावल के संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटा लिया जाए; (ii) जौ और चना के सहाय्य मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 90 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाएं तथा ज्वार, बाजरा और मक्का के 85 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाएं ; और (iii) राज्य सरकारों को निदेश दिए जाएं कि विशेषतया आपात स्थिति के दौरान व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत सुरक्षा नियम, आंसुका आदि के अन्तर्गत रजिस्टर किए गए छोटे-छोटे तकनीकी किस्म के अपराधों का पुनरीक्षण करें और उन्हें वापस ले लें ।

सरकार ने गेहूं के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबंधों को हटाने का पहले ही निर्णय ले लिया है । जौ और चना को सहाय्य मूल्य क्रमशः 65 रुपये और 95 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जा चुके हैं । चावल के जोनों का विस्तार किया जा चुका है । इस संबंध में और संशोधन करने का प्रश्न तथा ज्वार, बाजरा और मक्का तथा खरीफ के अन्य अनाजों के समर्थन मूल्यों से संबंधित प्रश्न पर सितम्बर-अक्तूबर, 1977 में खरीफ नीति के बारे में निर्णय करते समय विचार किया जाएगा ।

जहां तक खाद्य संबंधी अपराध करने के बारे में रजिस्टर किए गए मामलों का पुनरीक्षण करने और उनको वापस लेने से संबंधित संघ के सुझाव का संबंध है, यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने "आपात स्थिति" को समाप्त करने के संदर्भ में आंसुका और भारत की सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा विनियमों के अधीन की गई कार्यवाही के बारे में स्थिति पर विचार किया है ।

राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे जहां देश की सुरक्षा के हितों से संबंधित साफ-साफ मामले जुड़े हुए हों अथवा हाल ही में हिंसक गतिविधियों के कारण पकड़े गए व्यक्तियों से संबंधित मामलों को छोड़कर, आंसुका के अधीन पकड़े गए सभी व्यक्तियों को छोड़ने के प्रश्न पर विचार करें । जहां तक भारत की सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा विनियमों के अधीन किए गए आर्थिक अपराधों का संबंध है, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में चल रहे मामलों अथवा ऐसे व्यक्तियों के मामलों में जिनके बारे में अभी जांच चल रही है, आगे कार्यवाही करें । राज्य सरकारों को खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंसिंग आदेशों अथ.ा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर किए गए मामलों के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि राज्य सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वे प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करें और यह निर्णय करें कि ऐसे मामलों पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए अथवा नहीं ।

सिंचाई की दरों में असमानता

*12. **श्री बसंत साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण फसलों के लिए ली जाने वाली सिंचाई की दरों में भारी असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण फसलों के लिए विभिन्न राज्यों में ली जाने वाली सिंचाई की दरों में विद्यमान असमानता का क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या देश के उत्तरी राज्यों में ली जाने वाली पानी की दरें देश के मध्य, पश्चिम तथा दक्षिण भागों की तुलना में काफी कम है ; और

(घ) यदि हां, तो पानी का उपयोग कुछ एकाधिकारी व्यक्तियों द्वारा किए जाने को रोकने तथा उसका लाभ छोटे किसानों को देने के लिए सिंचाई की दरों को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) ब्यौरा उपाबन्ध में दिया गया है । सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी की शुल्क दरें राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं । इस समय राज्यों द्वारा निर्धारित जल-दरें कुल कार्य-प्रचालन व्यय एवं ब्याज प्रभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । जल-दरों को बढ़ाने एवं युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर बहुत से सम्मेलनों एवं बैठकों में विचार किया जा चुका है । राज्य सरकारें सामान्यतः इस आवश्यकता को महसूस करती हैं परन्तु जल-दरों में वृद्धि उतनी ही नहीं की गई जितनी की इन सम्मेलनों में सिफारिश की गई थी । जोत-भूमियों के आधार के अनुसार जल-दरों को युक्तिसंगत बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 294/77]

जनपथ, नई दिल्ली, पर प्लाट का आबंटन

*13. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिसम्बर, 1976-जनवरी, 1977 में प्रगति का नवीन युग प्रदर्शिनी (न्यू ईरा आफ प्राग्रेस एग्जीबिशन) के लिये जनपथ पर कोई प्लाट पट्टे पर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पट्टे के किराये पर की राशि नाममात्र थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या किराया तथा अन्य देय राशियों का भुगतान कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) निर्माण और आवास मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को बतलाया कि इण्डियन क्राफ्टस् सोसाइटी को 20 अक्तूबर, 1975 से 15 जनवरी, 1976 की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह नामपात्र की लाइसेंस फीस पर प्रगति का नवीन युग प्रदर्शनी लगाने के लिए विण्डसर प्लेस, नई दिल्ली में लगभग 8412 वर्ग गज भूमि का अस्थायी तौर पर आबंटन करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं थी बशर्ते कि प्रदर्शनी की समस्त आमदनी प्रधान मंत्री के राहत कोष में दान दें। प्रदर्शनी की अवधि 30 अप्रैल, 1976 तक या प्रदर्शनी समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ा दी गई । इण्डियन क्राफ्ट्स सोसाइटी को अग्रिम लाइसेंस फीस जमा करना अपेक्षित था और 5.00 रुपये प्रति वर्ग गज प्रतिमाह की दर से अनुमोदित हर्जाने की राशि के बराबर एक बैंक गारंटी भी देना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त सोसाइटी को प्रदर्शनी की आमदनी का एक लेखा परिक्षित विवरण तथा प्रदर्शनी की समस्त आमदनी प्रदर्शनी के समाप्त होने के एक महीने के भीतर प्रधान मंत्री के राहत कोष में जमा करने का एक प्रमाण पत्र देना था सोसाइटी ने न तो जमीन के इस्तेमाल की लाइसेंस फीस अदा की है और न ही बैंक गारंटी दी है । सोसाइटी ने प्रदर्शनी की आमदनी का लेखा परिक्षित विवरण अथवा प्रदर्शनी की समस्त आमदनी प्रधान मंत्री के राहत कोष में जमा करने का प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया है ।

दिल्ली शिक्षा अधिनियम, 1973 का क्रियान्वयन

*14. **श्री लालजी भाई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, शिक्षा अधिनियम, 1973 को व्यवहारतः लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुरूप चिकित्सा सुविधायें प्राप्त हो रही हैं ;

(ग) क्या उन्हें यात्रा भत्ता तथा छुट्टी यात्रा रियायत भी प्राप्त हो रही है ; और

(घ) उन शिक्षकों को जो 2-9-72 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्होंने नई पद्धति का विकल्प स्वीकार किया था, दिल्ली प्रशासन के ऐसी ही श्रेणियों के कर्मकारियों के समान पेंशन उपदान भविष्य निधि आदि मिल रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, हां । इन मामलों में प्राप्त व्यक्तिगत शिकायतों की तुरन्त जांच की जाती है ।

(घ) वर्तमान अधिनियम के मुताबिक, केवल वे ही अध्यापक इन लाभों के हकदार हैं जो दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के लागू होने के बाद अर्थात् 31-12-1973 के बाद सेवा निवृत्त हुए हैं, बशर्ते कि उन्होंने इसका विकल्प स्वीकार किया हो।

Handing over of Flats to allottees by D.D.A.

*15. **Chowdhry Balbir Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the flats allotted by D.D.A. during December, 1976 have not so far been handed over to the allottees although their cost has been recovered months ago;

(b) whether D.D.A. has not given any assurance to those allottees about payment of interest to them on this amount keeping in view that D.D.A. charges interest at the rate of 12½ per cent on delayed payments; and

(c) the latest position in regard to handing over the flats to the allottees ?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Out of 1175 flats allotted in December 1976, possession of 250 flats has not been given to the allottees yet.

(b) Delhi Development Authority has decided to pay interest at the rate of 7% p.a. to such allottees till it hands over physical possession of the flats.

(c) Delhi Development Authority expects to hand over physical possession of these flats by the end of June, 1977.

"दि स्टे-पुट टेनेन्ट्स"

*16. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 26 अप्रैल, 1977 के फाइनेंन्सियल एक्सप्रैस में "दि स्टे-पुट-टेनेन्टस्" शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें अनेक भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों और वर्तमान सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में लगाये गये आरोप सही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस स्थिति को सही करने के बारे में क्या उपाय करने का विचार किया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं लोक सभा के 102 सदस्य जिनमें 5 भूतपूर्व मंत्री भी शामिल हैं, और जो अब सदन के सदस्य नहीं रहे, अब भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं। अन्य 67 सदस्यों ने आंशिक रूप से ही अपने आवास खाली किए हैं।

अन्य सब की तरह, मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों को भी अपनी पसन्द के अनुसार आवास के आकार, स्थिति-निर्धारण आदि के संबंध में अधिकार हैं। यथा संभव उन्हें उनकी संसद् के अनुसार आबंटन किए गये हैं। यहां ऐसी कोई अनावश्यक समस्या नहीं रही जैसे कि अखबारों में छपी है।

श्री जार्च फर्नेन्डीज को उपयुक्त आवास दिया जा चुका है तथा श्री राजनारायण को भी शीघ्र ही आवास दिए जाने की आशा है।

(ग) 96 भूतपूर्व सदस्यों तथा 4 भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो अनधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रह रहे हैं।

भू-जल

*17. **श्री सोनमाथ चटर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भू-जल की अनुमानित संभाव्यता क्या है ;

(ख) इस समय तक इसका कितना वास्तविक उपयोग किया गया है ;

(ग) इस क्षेत्र में धीमी प्रगति होने के क्या कारण है, और

(घ) क्या भू-जल के उपयोग के लिये कोई सस्ते तरीके निकाले गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) वर्तमान सर्वेक्षणों और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वर्ष भर में उपयोग होने वाले भूमिगत जल की संभावित माता लगभग 280 सौ करोड़ घन मीटर है।

(ख) प्रथम योजना के आरम्भ से भूमिगत जल की माला का अनुमानित प्रयोग नीचे दिया गया है :—

सौ करोड़ घन मीटर

वर्ष	1950-51	1960-61	1965-66	1968-69	1973-74
भूमिगत जल की उपयोग हुई माता	39	49	57	72	105

(ग) ऊपर (ख) में दिये गये अंकों से पता चलता है कि भूमिगत जल विकास की कुल प्रगति (विशेषकर 1956–66 की अवधियों के पश्चात्) धीमी न होकर संतोषजनक रही है। तथापि यह प्रगति पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप नहीं रही है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल विकास में कुछ निम्नलिखित अड़चनें रही हैं:—

(1) अधिक वर्षा के कारण कभी-कभी सिंचाई के लिए मांग का अनुपूरक स्वरूप।

(2) व्यक्तिगत आधार पर निजी स्वामित्व के कुओं तथा नलकूपों पर निवेश के रास्ते में आने वाली छोटी और विखण्डित जोतें।

(3) सहकारी वित्तीय ढांचे की सामान्य दुर्बलता।

(4) अपूर्ण अभिलेख जिसके कारण ऋण आवेदनों के परिसंस्करण और उनकी स्वीकृति में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

(5) बिजली की लाइनों के जाल की कमी के कारण ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की पर्याप्त प्रगति न हो सकना।

(घ) जी हां। पिछले दशक के दौरान भूमिगत जल विकास के क्षेत्र में सस्ते तरीकों जैसे कौयर स्ट्रेनर बांस के पाइपों, गढ़ों के विकास, कठोर चट्टानी क्षेत्रों में कुओं को बेधने तथा गहरा करने के लिए वायवीय उपकरणों इत्यादि के उपयोग को प्रोत्साहन दिया गया है।

गेहूं का वसूली लक्ष्य निर्धारित न किया जाना

*18. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष गेहूं का कोई वसूली लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस नीति से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाने वाली खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की लगातार सप्लाई पर विशेषकर कमी वाले राज्यों में बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) इस समय सरकार के पास वसूल किए गए गेहूं तथा चावल की मात्रा कितनी है और वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में उनकी मात्रा कितनी थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) क्योंकि यह निर्णय किया गया है कि सरकारी खाते में गेहूं की खरीदारी केवल समर्थन मूल्य के रूप में की जाएगी इसलिए 1977-78 के लिए गेहूं का वसूली-लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है और वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेहूं और माइलो की जितनी भी मात्रा आवश्यक होगी उसे सप्लाई करने की स्थिति में है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की सप्लाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, यह आशा की जाती है कि गेहूं के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के हटाने से कमी वाले राज्यों में खुले बाजार में गेहूं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी ।

(घ) देश के अन्दर अधिप्राप्त और विदेशों से आयातित खाद्यान्न को मिलाकर एक संयुक्त भण्डार बना लिया जाता है जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता पूरी की जाती है और इसलिए दोनों की अलग-अलग मात्रा बताना व्यवहार्य नहीं है । सरकार के पास 31 मार्च, 1975, 31 मार्च, 1976 और 31-3-1977 को जो कुल स्टाक था वह परिशिष्ट-1 के विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(हजार मीटरी टन में)

तारीख	खाद्यान्न	केन्द्रीय भण्डार में	राज्य सरकारों के पास	जोड़
31-3-75	चावल	783	1073	1856
	गेहूं	602	365	967
	मोटे अनाज	40	183	223
	जोड़	1425	1621	3046

तारीख		खाद्यान्न	केन्द्रीय भण्डार में	राज्य सरकारों के पास	जोड़
31-5-76	•	चावल	2261	2462	4723
		गेहूं	4346	513	4859
		मोटे अनाज	550	350	900
		जोड़	7157	3325	10482
31-5-1977*	•	चावल	4326	2013	6249
		गेहूं	9711	1411	11122
		मोटे अनाज	391	274	665
		जोड़	14338	3698	18036

*अस्थायी--इसमें संशोधन हो सकता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को समाप्त करना

*19. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना दो उद्देश्यों अर्थात् "भूमि के मूल्यों को नियन्त्रित करने तथा भूमि की कीमतों को स्थिर रखने" को लेकर की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान सरकार ने इस प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(घ) क्या इस प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में कोई जांच की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं । योजनानुसार दिल्ली का विकास करने तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत सांविधिक शक्तियों सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था । इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को अन्य शक्तियों के साथ-साथ भूमि तथा अन्य सम्पत्ति के अर्जन करने, रखने, प्रबन्ध करने तथा उसके निपटाने की भी शक्ति प्रदान की गई थी । ये उद्देश्य अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दिए गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं । किन्तु भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्य कलापों की जांच की । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1975 में प्रस्तुत की थी ।

गेहूं के मूल्यों का समर्थन मूल्य से भी नीचे गिरना

*20. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं का बाजार भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया है;

(ख) क्या सरकारी एजेन्सियां बाजार में आने वाले गेहूं की आधी मात्रा की भी खरीद नहीं कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) सरकार ने 110 रुपये क्विंटल का जो समर्थन मूल्य घोषित किया है वह उचित औसत किस्म के गेहूं के लिए है और वसूली करने वाली सरकारी एजेंसियां यह सुनिश्चित करती हैं कि उचित औसत किस्म का मूल्य इस स्तर से नीचे न जाने पाये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Proper use of Chemical Fertiliser

1. **Shri Ishwar Chaudhury :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether excessive use of chemical fertiliser has proved harmful for the land; and

(b) if so, whether Government are taking steps to educate the farmers about it ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) There is no evidence to show that excessive use of chemical fertilisers has proved to be harmful to the land. However, in this country we have not yet reached the state of excessive use of fertilisers; the fertiliser use in general is much below the level of recommended rate of application.

(b) Question does not arise.

Ukranalla Irrigation Scheme in Bihar

2. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Ukranalla Irrigation Scheme in Monghyr District has been approved by the Central Government;

(b) if so, the time by which work thereon is likely to be completed;

(c) whether Government have under consideration an irrigation scheme to construct a dam in a valley between two hills near Jamalpur (Monghyr); and

(d) if so, the reasons for not according priority to such a scheme which involves less cost and is of much utility ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) to (d) No such irrigation schemes have been received from the Government of Bihar. However, a major irrigation scheme named Dakranalla Pump Canal in Monghyr district in Bihar has been approved by the Planning Commission on 13th April, 1976, for an estimated cost of Rs. 8.43 crores and has been taken up for execution by State Government. The scheme envisages lifting of 8.61 cusecs of water from Ganga to irrigate an area of 8,900 hactares in Monghyr district. The pumping is proposed to be done in two stages. Pumps in the first stage are to be located about 4.8 Km. south of Monghyr district at confluence of Dakranalla with the Ganga. The pumps in the second state would be located about 11.3 Km. south of Jamalpur Railway Station. The scheme is likely to take 7 years to complete.

Economic Development of Farmers

3. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the new schemes being formulated by Government to provide financial assistance and marketing facilities to farmers by giving agriculture a scientific and technical bias while treating it as a base for all-round economic development of India so that farmers' backwardness is removed and their economic condition improved ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : There are a number of continuing and new Central Sector Schemes which are being taken up during 1977-78 for scientific agricultural development. These schemes, *inter alia* provide for giving financial assistance and marketing facilities to the farmers. The details are included in the Budget Proposals to be placed before the Parliament.

Permanent Rehabilitation of Refugees from Pakistan settled in Rajasthan

4. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of those refugee families still living in Barmer, Jaisalmer and other places who crossed over to Rajasthan from West Pakistan in 1971;

(b) the schemes formulated by the Central Government for their permanent rehabilitation and the amount of Central assistance given to them so far; and

(c) the number of families, out of them allotted land in Rajasthan canal command area ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) According to information received from the Government of Rajasthan, the number of such displaced persons' families in that State is 8994. Of these, 8628 families are living in relief camps set up by Government.

(b) and (c) These displaced persons are entitled to return to Pakistan in safety and honour as and when the conditions permit. As such, schemes for their permanent rehabilitation have not been formulated. No land has so far been allotted to any of them in the

Rajasthan Canal Project Command area. However, certain schemes to make them self-dependent are under consideration so that they may not continue indefinitely in camps.

Meanwhile, relief assistance is being provided to them in camps. Those who are outside the camps can also get the relief assistance if they seek admission to the camps.

A sum of Rs. 8.91 crores has so far been released to the Government of Rajasthan to provide relief assistance in camps to these displaced persons.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के आबंटन के उद्देश्य

5. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का आबंटन करने में मूल उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आवंटन नीति की अच्छी आर्थिक स्थिति उन लोगों के पक्ष में बहुत अधिक हैं, जो मकान की सारी कीमत या उसके अधिकांश भाग की तत्काल अदायगी कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नीति मूल उद्देश्यों से पूर्णतः मेल खाती है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) उचित मूल्य पर मकानों के निर्माण द्वारा दिल्ली में मध्य आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता तथा सामुदायिक सेवा कार्मिकों के लिए आवास की कमी को कम करना।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण 1966-67 से नकद तथा किराया-खरीद आधार पर फ्लैटों को पेशकश करती आ रही है तथापि 1976 में, निर्माण के चरण में वृद्धि करने और साधनों को बढ़ाने के लिए वरीयता उन लोगों को दी गई जिन्होंने पूर्ण राशि या उसका 75 प्र०श०, 50 प्र०श० या इसी प्रकार से नकद भुगतान किया हो और शेष किश्तों में दिया हो।

(ग) जी नहीं। नीति पुनरीक्षणाधीन है।

Civic Amenities for unauthorised colonies in Union Territory of Delhi

6. **Shri Shiv Narain Sarsonia** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names of colonies in the union territory of Delhi which are termed as unauthorised colonies and the steps being taken to regularise them;

(b) whether the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi have been issued orders to provide civic facilities in those unauthorised colonies which are to be regularised as per new housing policy; and

(c) the steps taken by local bodies for providing civic amenities and the names of the colonies which have not been paid any attention so far in this respect ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) A list of the unauthorised colonies is attached herewith. **[Placed in Library :**

See No. L.T. 295/77]. A High Level Implementation Body to watch the progress of regularisation and development of unauthorised colonies in accordance with the policy laid down by the Government in February, 1977 has been constituted.

(b) & (c) Instructions have been issued to Delhi Development Authority and Municipal Corporation Delhi to implement the order of February, 1977.

Civic facilities as far as feasible are being provided by the Delhi Development Authority and the Municipal Corporation of Delhi. The Municipal Corporation of Delhi has already laid water mains in 32 unauthorised colonies. Further as per existing policy of the Delhi Electric Supply Undertaking, general electrification of unapproved colonies is carried out on the specific request of promoters/residents welfare association subject to comletion of usual commercial formalities. The names of the colonies which have not been paid any attention so far are being collected.

Allotment of Land to the New Members of House Building Society of Works and Housing and Communications

7. **Shri Krishna Kumar Goyal :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether membership of some of the members of the House Building Society of Works and Housing and the Communication Ministries, who could not pay the instalments of the cost of land in time due to financial difficulties, was cancelled and land was allotted to new members enrolled in their places;

(b) whether Government proposes giving old share holders an opportunity for making payment of the cost of land by adopting a sympathetic attitude towards them; and

(c) the action proposed to be taken by Government doing justice to the old share holders who have been members of the society since its inception *vis-a-vis* the new members enrolled after ten or fifteen years ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) Presumably the Honourable member is referring to the case of membership of Ministry of Works, Housing and Supply Cooperative House Building Society Limited. If so, the reply is in affirmative.

(b) No. Under the Co-operative Societies Act, Rules & Bye-laws it is the Managing Committee of the society who is to consider all such cases.

(c) In view of (b) above the question does not arise.

Complaints against Vice-Chancellor of Udaipur Agriculture University

8. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any complaint of corruption has been received by Government against Vice Chancellor of Udaipur Agriculture University (Rajasthan);

(b) if so, the nature thereof;

(c) whether there were corruption charges against him when he was a Director of Agriculture in Madhya Pradesh and whether those charges are being probed; and

1 LSS/77—3.

(d) action being taken in this regard ?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) & (b) Yes, Sir. Prime Minister's Secretariat had forwarded a letter from one Shri K.C. Sharma, an advocate of New Delhi, along with which Shri Sharma had enclosed a copy of representation by a group of students coming from Rajasthan and Haryana making certain allegations against Dr. P.S. Lamba, Vice-Chancellor, University of Udaipur. The nature of allegations, in brief, is as under :—

(i) Dr. Lamba was appointed firstly as Dean, College of Agriculture and Director of Research in Haryana Agricultural University and later on as Vice-Chancellor of Udaipur University because he was a favourite of the then Chief Minister, Ch. Bansi Lal, as Dr. Lamba had helped him in hushing up a case of attempted murder.

(ii) He has inflicted gross atrocities on students and faculty members of the University during the emergency.

(c) Along with the above memorandum of the students sent by Shri Sharma, a statement of charges framed against Dr. Lamba when he was Additional Director of Agriculture in Madhya Pradesh, has also been forwarded. The statement alleges that as a member of the store purchase committee, he purchased certain items without calling for tenders or observing other formalities.

These are matters falling with the purview of State Governments. The Ministry of Agriculture and Irrigation is not conducting any probe into them.

(d) As the University of Udaipur is an autonomous body over which the ICAR and the Ministry of Agriculture and Irrigation have no administrative control, no action is being taken by ICAR or the Ministry.

However, the complaint has been passed on to the Chancellor of Udaipur University for necessary action.

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की गोपनीय रिपोर्ट

9. **श्री दाजीबा देसाई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री 11 अप्रैल, 1977 के इण्डियन एक्सप्रेस (बम्बई संस्करण) में प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की गोपनीय रिपोर्ट मांगी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा, समाज-कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० पी० सी० चन्द्र) : (क) उक्त समाचार पत्र की रिपोर्ट सही नहीं है और भारत सरकार ने ऐसी कोई गोपनीय रिपोर्ट नहीं मांगी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रबी के अनाजों की वसूली

10. **श्री धर्मवीर वशिष्ट : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक गेहूं तथा मोटे अनाजों की राज्यवार कुल कितनी वसूली हुई है; और

(ख) किसानों को प्रति क्विंटल क्या औसत दर दी गई ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) 7 जून, 1977 तक कुल 38.85 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली हो चुकी है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी जाती है। रबी के मोटे अनाजों की अब तक मूल्य साहाय्य खरीदारी नहीं की गई है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने हरियाणा में खुले बाजार में 9.44 हजार मीटरी टन जौ की वाणिज्यिक खरीदारी की है।

(ख) सरकारी एजेंसियों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुसार खरीदारी की जाती है। ग्रेड 1 किस्म के गेहूं का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल है। घटिया किस्म के गेहूं के मूल्य में उपयुक्त कटौती की जाती है। इस समय खरीदी गई गेहूं का औसत मूल्य निकालना सम्भव नहीं है।

जौ की खरीदारी खुले बाजार के मूल्यों पर 91.00 और 144.00 रुपये प्रति क्विंटल के बीच की गई है।

स्कूलों के विलय के कारण दिल्ली में फालतू शिक्षक

11. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने मई, 1976 से आज तक कितने मिडिल स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विलय किया है और जोनवार कितने-कितने शिक्षक फालतू हो गए हैं ;

(ख) क्या इस बीच पश्चिम जोन के सभी फालतू शिक्षकों को नियमित रिक्तियों पर नियुक्त कर दिया गया है; और क्या उन्हें उनके निवास स्थानों के निकट नियुक्त करने का ध्यान रखा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम जोन में नियमित रिक्तियों पर अभी तक नियुक्त न किए गए शिक्षकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उन्हें वेतन नियमित रूप से समय पर दिया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा कब तक किया जा सकेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क), (ख), (ग) और (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार मिडिल से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में विलय हुए स्कूलों की संख्या तथा अतिरिक्त घोषित हुए अध्यापकों की क्षेत्र-वार संख्या निम्नलिखित है:—

क्षेत्र का नाम	विलय किए गए स्कूलों की संख्या	अतिरिक्त घोषित हुए अध्यापकों की संख्या
पूर्व	6	31
पश्चिम	6	47
उत्तर	6	कुछ नहीं
दक्षिण	8	70

उपरोक्त विवरण को देखने से पता चलता है कि पश्चिम क्षेत्र में अतिरिक्त घोषित हुए अध्यापकों की संख्या 47 है। इनमें से 45 अध्यापकों को अभी तक उपलब्ध नियमित रिक्त स्थानों पर खपा लिया गया है तथा शेष दो को उनके समायोजन तक नियमित रूप से वेतन दिया जा रहा है। इन अतिरिक्त घोषित हुए अध्यापकों की तैनाती उनके निवास स्थानों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

Supply of Pulses to Consumers Cooperative Store, Patna

12. **Shri Chandradeo Prasad Verma** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Food Corporation of India in Bihar had supplied pulses worth about Rs. 22 lakhs to the Consumers Co-operative Store, Patna for sale in retail;

(b) whether this cooperative store passed on the entire quantity of pulses to a big trader of Patna;

(c) whether officials of Food Corporation of India and those of the Consumers Co-operative Store have a hand in this bungling; and

(d) if so, the action taken by Government so far in the matter ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Yes, Sir.

(b), (c) & (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

हनुमानगढ़ में चीनी कारखाने की स्थापना

13. **चौधरी हरीराम मक्कासर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गंगा नगर में हनुमानगढ़ कस्बे में एक चीनी कारखाना स्थापित करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम

14. **श्री बशीर अहमद** :

श्री ब्रज भूषण तिवारी :

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है जिससे उसकी अल्पसंख्यकता पुनः कायम रखी जा सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संस्थापना एक केन्द्रीय विधायक कानून द्वारा की गई और केन्द्रीय अनुदान से पोषित यह आरंभ से ही एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, हालांकि इस बात के प्रतिवेदन समय-समय पर होते रहे हैं कि इसको अल्पसंख्यक संस्था घोषित किया जाए। प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है।

सरकार के पास सुरक्षित खाद्यान्न

15. **श्री बसन्त कुमार पंडित :**
श्री राघवजी :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सरकार के पास कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कुल खाद्यान्न है;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान (एक) भंडारण क्षमता के कम होने (दो) चूहों तथा अन्य कृन्तकों (तीन) एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने-ले-जाने (चार) गोदामों की खराब स्थिति के कारण उपरोक्त कितना-कितना खाद्यान्न नष्ट हुआ, या उसका नुकसान हुआ था या वह बरबाद हुआ; और

(ग) आगामी वर्ष खाद्यान्न रिजर्व के बारे में सरकार की क्या नीति है तथा नुकसान होने अथवा बरबाद होने से रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) अस्थायी रूप से अनुमान लगाया गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के पास 1 अप्रैल, 1977 को 180 लाख मीटरी टन खाद्यानों का स्टाक था। इसमें से, भारतीय खाद्य निगम के पास 2180 करोड़ रुपये के मूल्य का लगभग 160 लाख मीटरी टन का स्टाक था। राज्य सरकारों के पास रखे शेष 20 लाख मीटरी टन स्टाक का अनुमानित मूल्य लगभग 270 करोड़ रुपये बैठता है।

(ख) उपयुक्त भण्डारण क्षमता की कमी, चूहों के कारण क्षति, और गोदामों के खराब हो जाने आदि जैसे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत खाद्यान्नों की हुई क्षति का अलग अलग अन्दाज़ा लगाना तकनीकी रूप में व्यवहार्य नहीं है। इस समय 1976-77 में क्षतिग्रस्त हुए, खो गये, नष्ट हुए खाद्यान्नों की कुल मात्रा के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सरकार ने खाद्यान्नों का बफर स्टाक तैयार करने के सभी पहलूओं का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय खाद्य सचिव की अध्यक्षता में एक तकनीकी ग्रुप नियुक्त किया था। इस ग्रुप ने यह सिफारिश की है कि पांचवीं योजना के अन्त तक अन्ततः 120 लाख मीटरी टन का न्यूनतम बफर स्टाक बनाया जाए। तथापि, उनका यह भी दृष्टिकोण था कि स्त्रोतों और भण्डारण स्थान पर दवाब देखते हुए, आगामी दो-तीन वर्षों में 100 लाख मीटरी टन का मामूली कम बफर स्टाक तैयार किया जाए। यह स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपेक्षित परिचालन स्टाक से अतिरिक्त होगा। सरकार तकनीकी ग्रुप की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।

सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण कर भण्डारण की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न पग उठाए गए हैं/जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को भी गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वे उन्हें भारतीय खाद्य निगम को किराये पर दे सकें। खाद्यान्नों की समय-समय पर जांच करने और उनकी उपयुक्त रूप से हिफाजत करने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ को भेजा जाता है।

1. सफदरजंग रोड, नई दिल्ली पर हुआ व्यय

16. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सफदरजंग रोड, नई दिल्ली स्थित बंगला नम्बर 1 आवास पर उनके आवास के दौरान परिवर्तन और परिवर्तन पर कितनी धनराशि व्यय की;

(ख) कार्यालय और सुरक्षा प्रयोजनों के लिये लिये गए सन्निकट बंगलों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ग) सफदरजंग रोड स्थित बंगला नम्बर, 1 पर फर्नीचर के नवीकरण और अन्य बातों पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) उक्त बंगले के रख-रखाव पर वर्षवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) बंगले पर हुए किराये को ध्यान में रखते हुए उक्त बंगले का वर्तमान बाजार किराया क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 4,77,972 रुपये ।

(ख) 3,21,413 रुपये ।

(ग) तथा (घ) :—जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) वर्तमान बाजार किराया नीचे दिया गया है :—

मानक बाजार किराया	25748
पलित बाजार किराया	8721

भाग "ग" तथा "घ" **विवरण**

क्रम सं०	वर्ष	1 सफदरजंग रोड पर फर्नीचर तथा अन्य मदों के नवीकरण पर वर्षवार कुल व्यय	उक्त बंगले के अनुरक्षण पर वर्षवार किया कुल व्यय
1	2	3	4
		(रुपये)	(रुपये)
1.	66-67	1,759	71,783
2.	67-68	2,278	59,336
3.	68-69	17,201	67,612
4.	69-70	7,041	89,454

1	2	3	4
5.	70-71	9,335	1,00,457
6.	71-72	5,799	1,14,714
7.	72-73	6,901	1,27,212
8.	73-74	8,979	96,894
9.	74-75	28,088	1,52,798
10.	75-76	3,072	1,80,807
11.	76-77	9,791	1,97,230
	योग . .	1,05,244	12,58,297

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

17. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व अध्यक्ष और भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध पक्षपात, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा-वाद और अनियमितताओं आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इनमें से किसी अथवा दोनों के विरुद्ध जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के विरुद्ध (1) दिलकुश बाग कोठी की भूमि को अर्जन से मुक्त करने, (2) खिचड़ीपुर पुनर्वास कालोनियों के बारे में लेखा-जोखा न रखने, (3) पिछली सरकार की पार्टी के लिए धन एकत्र करने में सरकारी पद का दुरुपयोग करने और (4) वसन्त बिहार जैसी कालोनी में अतिरिक्त प्लाट काटने के मामलों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार के कतिपय आरोप प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही ।

(ग) और (घ) : भूमि के आबंटन में पक्षपात, कुछ लोगों की बेदखली, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं आदि के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी कुछ शिकायतें और कई आरोप प्राप्त हुए थे । भूतपूर्व अध्यक्ष और भूतपूर्व उपाध्यक्ष के बारे में वास्तविक रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है । आरोपों की जांच की जा रही है, इस कारण से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में मकान निर्माण के लिये आबंटित धनराशि

18. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष (एक) 1975-76 और (दो) 1976-77 में उड़ीसा सरकार की मकान निर्माण के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई और उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 में कितनी धनराशि व्यय की ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए आवास हेतु उड़ीसा का प्लान परिव्यय क्रमशः 347 लाख रुपये और 260 लाख रुपये था। परिव्यय की तुलना में 1975-76 के लिए उड़ीसा सरकार का वास्तविक खर्च 345 लाख रुपये था और 1976-77 के लिए प्रत्याशित खर्च 262 लाख रुपये है।

समेकित ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

19. **श्री ए० बाला० पजनौर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास की योजनाओं के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी सिद्धांतों के साथ-साथ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय विकास का उपयोग करने के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के लिए विस्तृत संसाधन सूचियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यवाही कार्यक्रमों की पहली पारी ग्राम विकास तथा रोजगार संबंधी केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तथा स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जल प्रौद्योगिकी केन्द्र (ज० पौ० के०) तथा संबंधित कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा निम्न 10 जिलों में संसाधन सूचियों को तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है :—

1. कन्नानौर (ज० प्रौ० के०)
2. महबूबनगर (ज० प्रौ० के०)
3. वर्धा (ज० प्रौ० के०)
4. हिसार
5. धर्मपुरी
6. होशियारपुर
7. तुमकुर
8. बंसवाड़ा
9. टीहरी-गढ़वाल
10. बांकुरा

तथापि, अन्तिम परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना जैसी कि एक समन्वित संसाधन सूची से प्राप्त होगी, चुने कार्यक्रमों को आरम्भ करके शुरूआत की जा रही है जो क्षेत्र के लिए समन्वित ग्राम विकास की किसी योजना में प्रत्यक्षतः स्थान पाएंगे।

(ख) व (ग) जी हां।

ग्रामीण विकास के लिए परियोजना पहुंच गांधीवादी सिद्धान्तों पर आधारित है और वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उन्नति का उपयोग करेगी । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम संबंधी पहुंच पत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि ग्रामीण समुदाय के अधिकांश अल्प-सुविधा-प्राप्त वर्गों के जीवन-स्तर, रोजगार तथा क्रय शक्ति में सुधार कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में मुख्य मानदण्ड होगा । इस प्रकार "अन्त्योदय" का सिद्धान्त समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अधीन प्राथमिकता सुनिश्चित करने का कार्य करेगा ।

इस कार्यक्रम में मुख्य बल ग्रामीण समुदाय के निम्न अल्प सुविधा-प्राप्त वर्गों अर्थात् भूमिहीन श्रमिक, सीमान्त किसानों, कारीगरों, महिलाओं तथा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर दिया जाएगा । विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सोद्देश्य निवेशों के माध्यम से परिस्थिति की तथा अर्थ-शास्त्र के ठोस सिद्धान्तों पर आधारित कम मूल्य, सम्बद्ध तथा छोटे पैमाने की प्रौद्योगिकी पर बल देते हुए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सुलभ किए जाने हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, बागवानी, मछलीपालन, सूअरपालन, कुक्कुटादिपालन आदि के क्षेत्र आएंगे और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों ग्रामीण कारीगरों की दशा सुधारने तथा निजी-रोजगार पैदा करने के विचार से छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों पर अधिक बल दिया जाएगा । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय की सीधी भागीदारी से नीजी प्रवर्तन तथा नीजी पुनरावृत्ति प्राप्त करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिये गये परिवहन के ठेके

20. **डा० बापू कालदते** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने टेंडर आमंत्रित किये बिना अनेक परिवहन के ठेके दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त ठेकों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अनियमितताओं के लिये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि केवल दो मामलों में टेंडर आमन्त्रित किए बिना परिवहन के ठेके दिए गए थे । इनमें से एक मामले में स्टाक को आपातिक आधार पर भेजना था और भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार की स्वीकृत दरों पर ट्रक यूनियनों से ट्रक लिए गए थे । दूसरा मामला भारतीय खाद्य निगम के जालन्धर (पंजाब) डिपो से सम्बन्धित है । यहां जनवरी, 1977 के दौरान ठेकेदार की अनुपस्थिति में दैनिक ढुलाई काम करने के लिए परिवहन सम्बन्धी प्रबन्ध किए गए थे । दूसरे मामले की जांच की जा रही है ।

नई शिक्षा नीति के बारे में ज्ञापन

21. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपनी नई शिक्षा नीति तैयार करने के आहवान के उत्तर में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बद्ध में विचार किया है और उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या सरकार संसद के चालू सत्र में अपनी शिक्षा नीति की घोषणा करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) : मौजूदा शिक्षा प्रणाली और उसमें परिवर्तन करने के बारे में विभिन्न संगठनों तथा अलग अलग व्यक्तियों से अनेक अभ्यावेदन और सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों और विशेषज्ञों से भी परामर्श किया जा रहा है। यह विचार विमर्श जिसमें स्वाभाविक ही कुछ समय लगता है इसलिए संसद के चालू सत्र से पहले पूरा नहीं हो सकता। स्वाभाविक ही है कि इस विचार विमर्श में कुछ समय लगेगा और इसलिये हो सकता है कि संसद के चालू सत्र से पहले पूरा न हो सके।

Linking up of Ganga with Godavari

*22. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme under consideration of Government to link the river Ganga in the North with Godavari in the South; and

(b) if so, the details thereof, the expenditure involved and when the same is likely to be completed ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) & (b) Paper studies were carried out for the scheme of inter-linking some of the rivers including Ganga in the North with Godavari and the Cauvery in the South some years ago.

Before investigations on any such long-term scheme are taken up it is essential to first study, in depth, the position of surpluses and shortages in various basins, sub-basins and regions and determine possibilities for inter-basin and inter-regional transfer of waters taking into consideration minimum needs of drought-prone areas. Such a study is on hand by the Central Water Commission.

Such country-wide studies and investigations are by their nature long range and would take quite some time.

New Sites for Resettlement coming under Residential Area

23. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the new sites where people have been resettled by the Delhi Development Authority during the last two years;

(b) whether these sites came under residential areas according to the Master Plan of Delhi;

(c) if not, whether the Master Plan has been amended; and

(d) if so, when ?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) A statement showing 27 Resettlement Colonies is annexed.

(b) These resettlement colonies fall in the residential area of the Master Plan, except the resettlement colonies in the Patparganj complex (Kalyanpuri, Khichripur and Trilok-puri), Sultanpuri and Gokulpuri, which are located in the area earmarked for agricultural green belt.

(c) Not yet.

(d) Does not arise.

Statement

ANNEXURE

New Resettlement Colonies

Sr. No.	Name of Colonies
1.	Dakshinpuri-I
2.	Dakshinpuri-II
3.	Dakshinpuri-III
4.	West of Khan Pur.
5.	Chaukhandi.
6.	Khayala-I.
7.	Khayala-II.
8.	Khayala-III.
9.	Gokalpur.
10.	Nangloi-IV.
11.	New Seemapuri.
12.	Shakurpur Ph. I.
13.	Shakurpur Ph. II.
14.	Shakurpur Ph. III.
15.	Shakurpur Ph. IV.
16.	Nand Nagari Ph. I.
17.	Nand Nagari Ph. II.
18.	Khichri Pur.
19.	Kalyanpuri.
20.	Trilok Puri.
21.	Mangol Pur Ph. I.
22.	Mangol Pur Ph. II.
23.	Mangol Pur Ph. III.
24.	Dakshinpuri Extn.
25.	Sultan Puri.
26.	Himmat Puri.
27.	Jhangir Puri.

बम्बई में भारतीय खाद्य निगम के क्षमता से अधिक भरे गोदाम

24. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में खाद्य निगम के कुछ गोदाम क्षमता से अधिक भरे पड़े हैं और बड़ी संख्या में गेहूं के बोरे खुले में पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोरों की संख्या कितनी है; और

(ग) गेहूं के बोरों को और खराब होने से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क), (ख) और (ग) : बृहत्तर बम्बई में भारतीय खाद्य निगम के किसी गोदाम में क्षमता से अधिक अनाज नहीं है । तथापि, ढके हुए भण्डारण स्थान की कमी के कारण बहुत अधिक संख्या में गेहूं की बोरियां खुले में रखी जाती हैं । इस समय लकड़ी के क्रेटों पर खुले में 6,69,557 गेहूं की बोरियां रखी गई हैं जिन्हें पोलीथीन के कवरों से अच्छी तरह ढक कर और नाइलोन के रस्सों से बांधा गया है । स्टाक की उचित देखभाल करने के लिए पर्याप्त पग उठाए जा रहे हैं ।

Accommodation to Former Prime Minister

25. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the arrangements made to provide accommodation to the former Prime Minister in Delhi;

(b) whether an air-conditioned house is under construction in the farm of the former Prime Minister; and

(c) whether Government have given any grant for that house, and if so, the details thereof ?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) The former Prime Minister has been allotted bungalow No. 12, Willingdon Crescent on payment of rent under F.R. 45-B plus departmental charges (Rs. 2,824/- per month)

(b) Government have no information.

(c) In view of reply to (b) above, the question does not arise.

खाद्य नीति

26. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई खाद्य नीति का गेहूं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण क्या है ;

(ग) क्या नई खाद्य नीति का अनाज की वसूली पर भी प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : सरकार ने गेहूं की सभी किस्मों के लिए निर्धारित 110 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर किसानों द्वारा बिक्री के लिए लाए गए उचित औसत किस्म की गेहूं की सारी मात्रा खरीदने का निश्चय किया है । गेहूं के संचलन पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है ताकि खेतिहारों को उनकी उपज का इससे अधिक मूल्य मिल सकें और कमी वाले राज्यों में बाजार में अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । क्योंकि इस वर्ष वसूली अधिकतर साहाय्य खरीदारी के रूप में होगी इसलिए कुल वसूली पिछले वर्ष

की अपेक्षा कम होगी। तथापि सरकार के पास स्टाक की स्थिति अच्छी होने और बाज़ार में उपलब्धता सुगम होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सारी मांग पूरी की जाएगी और इस तरह खुले बाज़ार में मूल्यों पर निगरानी रखी जाएगी।

Demand for increase in sugarcane prices

27. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the cane growers have demanded an increase in the procurement price of sugarcane keeping in view the rise in the price of chemical fertilisers, electricity rates, various agricultural implements and increase in wage rates;

(b) if so, the steps taken by the Government in this regard; and

(c) the general criteria adopted by the Government in determining the price of sugarcane ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) There have been representations from time to time about increase in the notified minimum prices of sugarcane.

(b) & (c) A statement is attached.

Statement

(b) & (c) Every year the Central Government requests the Agricultural Prices Commission to recommend minimum prices of sugarcane that might be notified for the ensuing sugar season. For the forthcoming year also the Agricultural Prices Commission have been asked to make their recommendations. State Governments/other bodies have been requested to send their views and suggestions. Minimum prices will then be notified after the Agricultural Prices Commission report and views of the State Governments etc. have been considered.

Various factors relevant are taken into account in fixing the minimum price of sugarcane, and would include cost of production of sugarcane; return to the growers from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities; availability of sugar to the consumer at a fair price; the price at which sugar produced from sugarcane is sold by producers of sugar; and recovery of sugar from sugarcane.

Land allotted to Schools by D.D.A.

†28. **Shri Satya Deo Singh** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Development Authority has allotted, during the last two years, land at concessional rates to several aided and recognised schools in Delhi;

(b) if so, the names of those schools and the area of land allotted to each school indicating the names of places where and the dates on which the land was allotted; and

(c) whether schools which are not recognised were also allotted land at concessional rates and if so, their names and the area of land allotted as also the reasons for such allotment ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Yes, Sir.

(b) As per statement attached. [Placed in Library, *See* No. L.T. 276/77].

(c) The names of such schools are listed at S. Nos. 16-22 of the attached statement. Out of these, schools at S. Nos. 16-19 were allotted land at the rate of Rs. 1.00 lac per acre. The schools at S. Nos. 20—22 were allotted land at concessional rate of Rs. 5,000/- per acre. The reasons are indicated against each of these schools in the attached statement.

नई दिल्ली स्थित विश्वायतन योगाश्रम

29. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार से सम्बन्धित श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को और अशोक रोड, नई दिल्ली पर स्थित उनके विश्वायतन योगाश्रम के लिये किन-किन शर्तों पर भूमि आवंटित की गई ; और

(ख) उसका क्षेत्रफल कितना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस क्षेत्र में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है ।

2. 25 अगस्त, 1969 को विश्वायतन योगाश्रम जिसके प्रवन्ध न्यासी श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, के कार्यालय, पुस्तकालय, कक्षा के कमरे तथा योगिक उपचार अनुसंधान प्रयोगशाला और वास्तविक रिहायशी प्रयोजनों के लिए 1.866 एकड़ भूमि के आबंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी गई थी ।

(1) 1.393 एकड़ भूमि के लिए प्रीमियम के रूप में 5000 रुपये प्रति एकड़ तथा उसका 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि किराये के रूप में जिसके कार्यालय, पुस्तकालय, कक्षा के कमरे तथा योगिक उपचार अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए प्रयोग में लाया जाना था ।

(2) शेष 0.473 एकड़ भूमि के लिए प्रीमियम के तौर पर एक लाख रुपये तथा वार्षिक किराये के तौर पर 1800 रु० प्रति एकड़ जिन्हें उन्हें अपने वास्तविक रिहायशी उपयोग के लिए प्रयोग में लाना था ।

(3) विश्वायतन योगाश्रम को 62,674 रुपये की राशि स्थल पर मौजूदा संरचना की लागत के ह्रास मूल्य के संबंध में अदा करनी भी अपेक्षित थी और ये संरचनाएं 6 मार्च, 1969 से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व गिरायी जानी थीं । संरचनाओं को विशिष्ट अवधि के भीतर न गिराये जाने की दशा में विश्वायतन योगाश्रम को उपर्युक्त 62,674 रुपये की राशि के अतिरिक्त संरचना की लागत के तौर पर 6 सितम्बर, 1971 को 86,176 रुपये की राशि एकमुक्त अदा करनी अपेक्षित थी । 62,674 रुपये के भुगतान की तारीख तक योगाश्रम द्वारा 2,793 रुपये की दर से अदा किया गया चैमरियों का मासिक किराया 62,674 रुपये के ह्रासमूल्य के विपरीत समायोज्य था ।

(4) योगाश्रम को दखल में देने की तारीख से नामतः 6 मार्च, 1969 से जोकि विक्रय की तिथि भी है चार वर्ष के भीतर स्थल पर भवन को पूरा करना था ।

(5) योगाश्रम को पट्टे की भूमि पर निर्मित परिसर के किसी भाग को उप किरायेदारी पर देने की अनुमति नहीं थी।

(6) योगाश्रम की सरकार को स्थान स्थल वापस करने की तारीख तक अर्थात् 27 अक्तूबर, 1969 तक श्री निवासपुरी में पहले आवंटित 0.6 एकड़ भूमि के बारे में 5000 रु० के नेशनल प्रीमियम पर 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भूमि किराया अदा करना भी अपेक्षित था।

3. सितम्बर, 1970 में 1053 वर्गगज अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिए स्वीकृति दी गई थी जिसका प्रीमियम एक लाख रुपये प्रति एकड़ तथा वार्षिक भूमि किराया 1800 रुपये प्रति एकड़ था जिसे योगाश्रम द्वारा आश्रम के लिए भवन के निर्माण हेतु और साथ ही इसी प्रयोग के लिए पहले से आवंटित भूमि को प्रयोग में लाया जाना था किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं।

(ख) 2.084 एकड़

Minor Irrigation Schemes in M.P.

30. Shri Nirmal Chandra Jain : Will the Minister of Agriculture & Irrigation be pleased to state :

(a) whether Government have any plan to provide a network of minor irrigation schemes through tanks and tube-wells;

(b) if so, whether any allocation is earmarked or proposed to be earmarked for such minor irrigation schemes in Madhya Pradesh particularly in Jabalpur and Seoni districts of the State; and

(c) if not, whether such schemes are likely to be prepared in the near future and if so, by what time ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Yes Sir, minor irrigation schemes namely tanks and tubewells form important item of the minor irrigation programme being implemented in the country.

(b) The approved Plan outlay for all minor irrigation schemes in Madhya Pradesh for 1977-78 is Rs. 22 crores. In addition an institutional investment of the order of Rs. 40 crores is likely to be mobilised for minor irrigation schemes during 1977-78. The schemewise and districtwise breakup of the outlays is not available.

(c) Does not arise in view of above.

उत्तर प्रदेश में नगरों को सुन्दर बनाने के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण

31. **श्री एस० एन० चतुर्वेदी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में आगरा तथा इसके अन्य कस्बों को सुन्दर बनाने, इनके विस्तार और विकास के लिए अच्छी कृषि भूमि को खाली भूमि घोषित कर अधिगृहीत किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग अपनी जीविका से वंचित हो गये हैं और यदि हां, तो सरकार उनको बसाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादित कृषि भूमि को अधिकतम भूमि सीमा कानून क्षेत्र से मुक्त करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन में धोखाधड़ी

32. **श्री पी० के० कोड़ियन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आबंटन में कथित धोखाधड़ी की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है और उन पर कार्यवाही की जा रही है।

शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली के बारे में सम्मेलन

33. **श्री डी० डी० देसाई** :

श्रीमती मृणाल गोरे :

श्री उग्रसेन :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मई के तीसरे सप्ताह में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के बारे में नई दिल्ली में शिक्षाविदों का एक अनौपचारिक सम्मेलन बुलाया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जी हां। सर्वसम्मति यह थी कि शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति संकल्प का ही केवल एक भाग है, जो 1966 के कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है तथा कुल मिलाकर जिस ढंग से इन सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण करना आवश्यक हो गया था जैसा कि संकल्प में अपेक्षित था। तदनुसार, मंत्रालय ने कार्रवाई की है।

दिल्ली में 'वक्फ' भूमि का मुआवजा

34. **श्री मुहम्मद शफी कुरेशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली के विभिन्न भागों में वक्फ भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गैर-कानूनी ढंग से अपने कब्जे में ले लिया है;

(ख) क्या सरकार के पास इस भूमि का कोई सही अनुमान उपलब्ध है; और

(ग) इस भूमि को कब तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को हुई हानि का पूरा मुआवजा देकर वापस कर दिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) यह मालूम हुआ है कि एक ओर वक्फ बोर्ड और दूसरी ओर भूमि तथा विकास कार्यालय और डी० डी० ए० के बीच कुछ सम्पत्तियों के स्वामित्व के बारे में झगड़ा है और कुछ मामले न्यायाधीन भी है। इन परिस्थितियों में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता।

Reported discontentment among farmers on fixation of Wheat Price

35. **Shri. K. Lakkappa** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the price of wheat has been fixed at Rs. 110 per quintal;

(b) whether there is a great discontentment among the farmers as a result thereof and whether they have made a demand to fix the wheat price minimum at Rs. 150 per quintal; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Government have decided to purchase all wheat offered for sale by the farmers at the price of Rs. 110 per quintal fixed for fair average quality during 1977-78.

(b) & (c) Government are not aware of any discontent amongst the farmers though representations have been received to the effect that the procurement price of wheat may be fixed higher than Rs. 110 per quintal. In fact with the removal of Zonal restrictions on movement of wheat, the farmers are likely to get a price higher than Rs. 110 per quintal for their produce.

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाना

36. **श्री शंकर सिंह जी बमेला** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के शिक्षा जिलों को आदेश दिए गए हैं कि वे शिक्षकों के वेतन पन्द्रह दिन के अन्दर बढ़ाकर उनके कनिष्ठ शिक्षकों के समान बनाने के मामलों को अन्तिम रूप दे दें;

(ख) क्या दिल्ली शिक्षा विभाग के डिस्ट्रिक्ट साउथ में शिक्षकों के वेतन उनके कनिष्ठ शिक्षकों के समान बनाने के बहुत से मामले कई महीनों से विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां तो उन शिक्षकों का ब्यौरा क्या है जिनके मामले डिस्ट्रिक्ट साउथ में अन्तिम रूप देने के लिए विचाराधीन हैं और इसके क्या कारण हैं तथा ये मामले कब से पड़े हुए हैं; और

(घ) पन्द्रह दिन के अन्दर ऐसे मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं। तत्काल वेतन नियत करने तथा देय राशि का भुगतान तीन मास के भीतर करने के लिए मई 1975 में अनुदेश जारी किए गए थे।

(ख) दिल्ली शिक्षा विभाग दक्षिण जिले के कार्यालय में ऐसे किसी मामले की लंबित होने की सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा पंचाट

37. **श्री एफ० पी० गायकवाड** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधीकरण द्वारा नर्मदा पंचाट कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ख) क्या सरकार यदि इसमें अनुचित विलम्ब की आशा है तो राष्ट्र हित में पंचाट शीघ्र दिलायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) न्यायाधिकरण द्वारा अपना काम जितनी जल्दी हो सके पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। न्यायाधिकरण की रिपोर्ट लगभग एक वर्ष के अन्दर प्राप्त होने की संभावना है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय से 'बटर आयल'

38. **श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेल की कमी के कारण भारत सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से तुरन्त 'बटर आयल' सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इसे खुले बाजार में तथा उचित दर दुकानों से बेचने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय एफ० ओ० बी० के आधार पर उपहार के रूप में 3000 मीटरी टन बटर आयल सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। बटर आयल की बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि को पशु तथा डेरी विकास के एक कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

(ग) उपहार रूप में प्राप्त होने वाले बटर आयल को दुग्ध योजनाओं, सुपर बाजार, सहकारी समितियों आदि के माध्यम से खुले बाजार में बेचा जाएगा।

Development of Rajasthan Desert

39. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in the implementation of the scheme for converting the desert areas of Rajasthan into a green belt as it had been assured by the previous Government to remove the drought conditions in the State;

(b) if so, the outline of the scheme; and

(c) the time by which the desert area of Rajasthan is likely to be converted into a green belt ?

The Minister of Agriculture & Irrigation (Shri Prakash Singh Badal) : (a) This Government is unaware of any assurance by the previous government for converting the desert areas of Rajasthan into a green belt. The Planning Commission is, however, now reviewing the entire strategy for overall desert development not only in Rajasthan but also in the adjoining States of Haryana and Gujarat.

(b) & (c) Do not arise in view of the position stated against (a).

हिमाचल प्रदेश में सूखा

40. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में विशेषकर कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में सूखे की गम्भीर स्थिति का पता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से इन मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी है यदि हां तो उसमें क्या लिखा है।

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार उस राज्य में सूखा की स्थिति को कम करने के लिए स्थाई उपाय और योजना बना रही है और यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां । राज्य सरकार ने पहले सूचना भेजी थी कि शीतकालीन वर्षा के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश जिसमें कांगड़ा तथा हमीरपुर शामिल हैं के कुछ भागों में प्राय: सूखे जैसी परिस्थितियां मौजूद हो गई थीं।

(ख) जी हां। राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार संबंधित जानकारी एकत्र कर रही है और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में स्कूलों का बन्द होना

41. **श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना पार क्षेत्र (दिल्ली) में तीन स्कूलों अर्थात् डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संख्या एक और दो तथा गीता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संख्या एक को शिक्षा विभाग दिल्ली प्रशासन दिल्ली ने दिनांक 9 दिसम्बर, 1975 को बन्द कर दिया था; और यदि हां तो इसके क्या कारण थे तथा इस मनमानी कार्यवाही के लिए कौन ज़िम्मेदार था ;

(ख) क्या अधिकारियों ने उक्त विद्यालयों की मान्यता भूतलक्षी प्रभाव से बहाल कर दी है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके कर्मचारियों को आज तक का वेतन दे दिया गया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उनके मूल विद्यालयों में उनकी नियुक्ति नियमित करने में कितना समय लगेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) ये स्कूल जन सुरक्षा को बनाए रखने के प्रतिकूल हरकतों में लगे हुए थे। अतः सक्षम प्राधिकारियों ने इन स्कूलों के छात्रों को विभिन्न पड़ोसी सरकारी/दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया। जब इन स्कूलों के छात्रों को इस तरह से समायोजित किया गया तो ये स्कूल बन्द हो गए।

(ख) इन स्कूलों को अब 28-3-1977 से मान्यता दे दी गई है। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियम, 1973 के अन्तर्गत इन स्कूलों को उस अवधि के लिए मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता जब ये बन्द पड़े थे।

(ग) इन स्कूलों के मौजूदा स्टाफ का 28-3-1977 से लेकर अब तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

(घ) इन स्कूलों के सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने स्कूल में 28-3-1977 से फिर से अपना कार्यभार संभाल लिया है, सिवाय उन 52 कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें विभिन्न स्कूलों में खपाया गया था। इन 52 कर्मचारियों को इन स्कूलों में फिर से नियुक्त कर दिया जाएगा, यदि वे अथवा उनका प्रबन्ध निकट भविष्य में ऐसा करना चाहे।

वसूली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही

42. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को शोषण से बचाने के लिए गेहूं, जौ और अन्य खाद्यान्न के लिए समर्थन-मूल्य देने हेतु राज्यों में वसूली व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए चिन्तित है कि किसानों के हितों की पूरी तरह सुरक्षा की जाए और किसी भी उत्पादक को उचित औसत किस्म के गेहूं, जौ और चने का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से किसी भी हालत में कम नहीं मिलना चाहिए। राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को अप्रैल, 1977 के दूसरे सप्ताह में व्यापक अनुदेश जारी किए गए थे। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि ऐसा कोई भी क्षेत्र न रहे जहां समर्थनमूल्य देने की व्यवस्था न की गई हो और इस सम्बन्ध में निरंतर चौकसी बरती जाए। उन्होंने सूचित किया है कि तदनुसार पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं।

फालतू खाद्यान्न का जरूरतमंद देशों को उधार

43. **श्री सुख देव प्रसाद :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी जरूरतबंद देशों को फालतू खाद्यान्न उधार दिये जाने के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल): (क) और (ख) 9 मई, 1977 को कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक के साथ हुए विचार विमर्श के दौरान, भारत के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के एक हिस्से को जरूरतमंद विकासशील देशों को इस विशेष शर्त के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर वह खाद्यान्न भारत को उपलब्ध करा दिया जाएगा, उधार देने की संभावना के बारे में पूछा गया था। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में सूखा

44. **श्री पी० के० देव**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में सूखा से कौन से क्षेत्र तथा कितने व्यक्ति प्रभावित हुए, हैं और

(ख) इस असाधारण स्थित का सामना करने तथा जनता की तकलीफ को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल): (क) उड़ीसा से सूखे से 1.19 लाख वर्ग-मील का क्षेत्र तथा लगभग 158 लाख जनसंख्या पर कुप्रभाव पड़ा है।

(ख) बताया गया है कि राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:—

(1) 11.50 लाख रु० के लागत से फसल-बाधों की व्यवस्था की गई है।

(2) उठाव सिंचाई के लिए बिजली मुहैय्या की गई है।

(3) फसल के क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए डीजल पंपों की मरम्मत की गई है।

(4) अप्रैल, 1977 तक खुदाई के 36 हजार कुएं तैयार किये गये। सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 60 हजार कुएं तैयार करने का कार्यक्रम था।

(5) पीने का पानी मुहैय्या करने के लिए 7000 सतही कूपों की खुदाई की गई।

(6) 1976-77 में 680 नलकूपों को तैयार किया गया। 1977-78 में 900 नलकूप तैयार करने का विचार है।

(7) नालों, नदियों तथा तालाबों आदि की समीपवर्ती सूखी भूमि में अस्थायी कुएं खोदे गये ताकि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जनता तथा पशुओं को पीने का पानी मुहैय्या किया जा सके।

(8) सहकारी समितियों तथा बैंकों के माध्यम से कृषि उत्पादन हेतु ऋण दिये गये।

(9) प्रभावित जनता को रोजगार प्रदान करने की योजनाओं पर 24 करोड़ रु० प्रतिवर्ष खर्च किये गये। इस वर्ष रोज़गार प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए 14 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(10) 'फूड फार वर्क प्रोग्राम' के अंतर्गत 16 हजार मीट्रिक टन गेहूं दिया गया।

(11) सामान्य हित की योजनाओं के अंतर्गत 15 लाख व्यक्तियों तथा आपातकालीन आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख अतिरिक्त लोगों को लाभ पहुंचा है इसके अतिरिक्त सीमित आधार पर वृद्धावस्था पेंशन तथा संकट के विशेष मामलों में राहत प्रदान की गई।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर में अनियमितताएं

45. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1972 से रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर में हो रही भारी अनियमितताओं और विषमताओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो समूचे मामले की जांच करने तथा इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर में हुई निम्नलिखित दो अनियमिताएं हमारे ध्यान में लाई गई हैं :—

(1) कालेज निधियों का गबन

31-7-75 को कालेज की तिजोरी में 23,714 रुपए की कमी पाई गई थी। निधियों में गबन के लिए (1) श्री पी० सी० चौधरी, मख्य खचांजी तथा (2) श्री एच० के० बैनर्जी, कालेज के रजिस्ट्रार के विरुद्ध पुलिस में एक एफ० आई० आर० दर्ज कराई गई थी तथा पुलिस ने 3-8-75 को धारा 409 आई० पी० सी० के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, शासी बोर्ड ने श्री पी० सी० चौधरी, मुख्य खजांची को 10-10-75 को मुअत्तिल कर दिया है।

(2) अंशदायी भविष्य-निधि का निवेश न किया जाना

1971-72 तथा 1972-73 के दौरान कर्मचारियों की भविष्य-निधि का निवेश नहीं किया गया था तथा धनराशि को चालू-खाते में रखा गया था। 1969 के दौरान कुछ समय के लिए कालेज के सामान्य कार्य में बाधा पड़ी तथा कालेज में असामान्य स्थिति रही। 6-2-70 से 18-12-71 तक कोई नियमित प्रिंसिपल भी नहीं था तथा इस प्रकार कालेज प्रशासन में कुछ असामान्य स्थिति हो रही थी। 1973-74 से भविष्य निधियों का निवेश नियमित आधार पर किया जा रहा है तथा भविष्य-निधि की उस धनराशि को भी, जो 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान निवेश नहीं की जा सकी, दीर्घकालीन डिपाजिट में जमा करा दिया गया है। 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान भविष्य-निधि के निवेश में देरी के कारणों की जांच करने तथा इस देरी के लिए जिम्मेदारी का पता लगाने के लिए कालेज द्वारा 17-12-76 को एक समिति स्थापित की गई है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

Agriculture College in Bundelkhand Area of M. P.

46. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to advise the State Government of Madhya Pradesh to establish an Agriculture College either in Chhatarpur or Tikamgarh district of Bundelkhand area for the betterment of farmers keeping in view the agricultural potential of these districts and also the fact that there is no agricuture college in the area so far; and

(b) whether Central Government of Madhya Pradesh Government propose to conduct a survey in these districts for setting up an Agriculture college there ?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Government does not propose to advise the State Government of Madhya Pradesh to establish an agricultural college either in Chhatarpur or in Tikamgarh districts of Bundelkhand. Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, Jabalpur, along with its seven campuses in M.P., is expected to serve the region.

(b) Neither the Central nor the M.P. Government propose to conduct a survey of these districts for setting up an Agricultural College.

Banning of Students Unions in Universities

*47. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether students unions in different Universities were banned during the emergency;

(b) the decision taken in regard to their revival; and

(c) how far has that decision been implemented ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) to (c) Soon after promulgation of emergency the Education Ministry had advised the State Governments that Students Unions should not be allowed to become an instrument of disruption of academic life and wherever necessary the Unions may be suspended and an alternate machinery for articulation of the feelings of the students may be devised. That communication to the State Governments has since been withdrawn permitting sutdents to function as beofore.

दालों की खेती की भूमि और दालों का उत्पादन

48. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी भूमि पर मुख्य दालों की खेती हुई और इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) अनाज के बढ़े हुए उत्पादन के समान दालों का उत्पादन न बढ़ने के क्या कारण हैं, और

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) प्रमुख दालों के क्षेत्र और उत्पादन संबंधी आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

(ख) धान्य अर्थात् गेहूं और चावल के मामले में अधिक उपज देने वालों तथा उर्वरकों के अनुकूल किस्में विकसित कर ली गई है तथा अपनायी गई है, किन्तु दालों की ऐसी किस्में अब तक विकसित नहीं की जा सकी हैं। ये फसलें अब भी वर्षा पर आश्रित स्थिति में उगायी जाती हैं तथा व्यवस्था का तरीका अभी भी घटिया ही है ।

(ग) अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की अनुपस्थिति में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्तमान नीति है :--(1) बहु-फसली क्रम के अंतर्गत उड़द, मूंग और लोबिया की अल्प अवधि की किस्मों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना तथा (2) उनकी खेती के लिए 'पैकेज" पद्धति अपनाना ।

उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए चौथी योजना में दालों के विकास से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गयी थी जो पांचवीं योजना में भी जारी रखी जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, किसानों को सुधरी प्रणालियां अपनाने को प्रेरित करने के लिए इन फसलों के बारे में प्रदर्शनी की व्यवस्था करने, संवर्धक और आधारी बीजों में वृद्धि करने, किसानों को दालों के अल्प अवधि उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों की साहाय्य दरों पर दालों की खेती में इस्तेमाल करने के लिए वनस्पति रक्षण रसायनों तथा वनस्पति रक्षण उपकरणों की कीमतों पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

विवरण

सन् 1973-74 से सन् 1975-76 तक प्रमुख दालों का क्षेत्र और उत्पादन

वर्ष/फसल	क्षेत्र (हजार हैक्टार में)	उत्पादन (हजार मीटरी टनों में)
1973-74		
चना	7,761	4,099
तुर	2,646	1,409
अन्य खरीफ दालें	7,446	2,210
अन्य रबी दालें	5,574	2,290
कुल दालें	23,427	10,008
1974-75		
चना	7,041	4,015
तुर	2,529	1,834
अन्य खरीफ दालें	7,286	1,731
अन्य रबी दालें	5,168	2,434
कुल दालें	22,024	10,014
1975-76		
चना	8,373	5,932
तुर	2,668	2,094
अन्य खरीफ दालें	8,021	2,377
अन्य रबी दालें	5,603	2,732
कुल दालें	24,665	13,135

वर्ष 1976-77 के बारे में सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है ।

कामराज कालेज के बारे में कामराज नेशनल कमेटी की सिफारिश

49. **श्री के० टी० कोसलराम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामराज नेशनल कमेटी की इस सिफारिश का पता है कि तमिलनाडु के तुतीकोरिन नामक स्थान पर कामराज कालेज को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा उसका केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विकास करना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का कब कार्यवाही करने का विचार है तथा यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख) कामराज कालेज, तुतीकोरिन के अध्यक्ष ने दिनांक 20-4-1977 के अपने एक ज्ञापन में यह निवेदन किया है कि रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों की व्यवस्था द्वारा कालेज को स्वर्गीय श्री कामराज के लिए राष्ट्रीय स्मारक के रूप में उन्नति की गुंजाइश है । ज्ञापन की जांच की जा रही है ।

खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक के साथ बातचीत

50. **प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की खाद्य तथा कृषि संगठन नामक विशेष जानकारी प्राप्त एजेंसी के महानिदेशक ने हाल में भारत का दौरा किया था तथा दिल्ली में सरकारी नेताओं और अधिकारियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक से सामान्य तौर पर विश्व खाद्य तथा कृषि स्थिति तथा भारत के विशेष संदर्भ में खाद्य एवं कृषि संगठन की भूमिका के बारे में विचार-विमर्श किया । निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया :—

(1) विकासशील देशों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुउद्देशीय तथा द्विपक्षीय सहायता को और अधिक बढ़ाने तथा विश्व खाद्य सम्मेलन में सुझाई गई कम से कम 4 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से उत्पादन स्तर को बढ़ाने में खाद्य तथा कृषि संगठन का योगदान ।

(2) खाद्यान्नों के रूप में सहायता के अतिरिक्त पोषण स्तर को सुधारने, पशुधन विकास कार्यक्रमों को शामिल करने तथा खाद्य तेल, डेरी उत्पाद आदि जैसी नई जिन्सों को शामिल करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य सहायता के क्षेत्र में विस्तार।

(3) कटाई के बाद होने वाले नुकसानों को कम करने के उद्देश्य से खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सृजित की जाने वाली 200 लाख डालर की विशेष निधि का भारत आदि विकासशील देशों द्वारा उपयोग करना।

(4) खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा सृजित तकनीकी सहयोग कार्यक्रम निधि में 185 लाख डालर का भारत आदि विकासशील देशों द्वारा उपयोग करना।

(5) भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिए भारत में खाद्य तथा कृषि संगठन के कार्यालय के दर्जे को बढ़ाना

(6) पशुधन विकास और पशु पालन कार्यक्रमों में खाद्य तथा कृषि संगठन का योगदान ।

(7) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन लोगों को जो सन् 1975 और सन् 1976 में गंभीर सूखे से प्रभावित हो गए थे, रोजगार और राहत प्रदान करने के लिए उड़ीसा की कार्य परियोजना हेतु आपात खाद्य के लिए, 12,500 मीटरी टन गेहूं का आबंटन।

फसल बीमा

51. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में किसी स्थान पर फसल बीमा योजना लागू की है, और

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में यह योजना लागू की गई है उनके नाम क्या हैं और उसके परिणाम क्या निकले हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) भारत सरकार ने कोई फसल बीमा योजना शुरू नहीं की; तथापि सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार भारतीय सामान्य बीमा निगम ने 1973 में स्वैच्छिक आधार पर कुछेक राज्यों में कुछेक चुनी फसलों के लिए प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं शुरू की थीं।

(ख) प्रायोगिक फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वियन में प्राप्त परिणाम निम्न प्रकार हैं :

राज्य	फसल	बीमा-किस्म	दावे
गुजरात	कपास	59,755	11,01 667
	मूंगफली	1,17,133	19,86,206
महाराष्ट्र	कपास	32,171	78,872
	गेहूं	17,390	5,830
तमिलनाडु	कपास	30,656	19,547
आन्ध्र प्रदेश . . .	कपास	14,391	शून्य
	मूंगफली	42,982	3,63,966
कर्नाटक . . .	कपास	18,576	55,030
पश्चिम बंगाल	आलू	5,426	2,735

प्रायोगिक फसल बीमा योजनाएं, जो उपर्युक्त राज्यों में शुरू की गई थीं धीरे धीरे-बन्द कर दी गई थीं, क्योंकि उनका स्वरूप व्यापक आधार पर कार्यान्वियन के लिए अलाभकर तथा अनुपयुक्त पाया गया था।

सिंचाई की राष्ट्रीय ग्रिड

52. **श्री संतोषराव गोडे : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई की राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी पूंजी लगेगी;

(ग) इसके लिये कुल कितनी जनशक्ति अपेक्षित होगी; और क्या बेरोजगारी की समस्या हल करने में यह लाभदायक होगी; और

(घ) यह परियोजना कितने वर्षों में पूरी होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (घ) इस बात को देखते हुए कि देश में वर्षा पर्याप्त नहीं होती और उसका वितरण भी समान नही है देश में सिंचाई के लिए एक समेकित प्रणाली का होना जरूरी समझा जाता है। लेकिन इस प्रकार की दीर्घकालीन स्कीम के बारे में अन्वेषण-कार्य शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमियों के बारे में गहन अध्ययन किया जाए तथा सूखा-प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जल के अन्तर्बेसिन और अन्तक्षेत्रीय ट्रांसफर की संभावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है।

इन अध्ययनों और अन्वेषणों का स्वरूप ऐसा है कि इनमें काफी लम्बा समय लग जाना स्वाभाविक है। इस समय इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

तमिलनाडु में बांधों का निर्माण

53. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार का धर्मपुरी जिले में मुल्लीक्कडु वेणियार बांध और कोप्पायरू बांध बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर कार्य कब शुरू होगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) तमिलनाडु सरकार से अभी तक ऐसी कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Constitution of Water Council

*54. **Shri Dharmasinghbhai Patel :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute a 'Water Council' for the preservation, utilisation and planning of the water resources of the entire country; and

(b) the action taken in this regard.

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) & (b) At present the State Governments virtually exercise full control on planning, development,

regulation, distribution and control of the waters, flowing through their territories. However, most of the water resource is contributed by the inter-State rivers whose basins lie in more than one State. Differences with regard to use, distribution or control of the water of inter-State rivers sometimes do arise and efforts are being made to resolve them by negotiations either by the concerned State s themselves or with the assistance of the Centre. Disputes which cannot be resolved by negotiations are being referred to the Tribunals to be constituted under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. It is, however, increasingly felt that the Centre should play a more active role, particularly regarding allocation and regulation of waters of inter-State rivers and more expeditious modalities of resolving differences among the States need to be evolved. This would call for legislation by the Parliament. All these matters including appropriate institutional arrangements and new legislation are being vigorously studied by the Government.

Study on condition of children working in factories

55. **Shri Uggrasen** : Will the Minister of **Education, Social welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Child Welfare has recently undertaken a study of slave-like miserable condition of 7 and 14 years of small agc children working in many factories, shops and other establishments in Delhi and submitted a report thereon to the Department of Social Welfare;

(b) if so, the salient features of the report; and

(c) the fresh steps being taken by Government to be more vigilant towards proper and strict compliance of the existing labour laws to ensure that good behaviour is meted out to these child employees ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) Under the scheme of the Department of Social Welfare to sponsor research studies, the Indian Council for Child Welfare undertook a study on Working Children in Urban Delhi.

(b) The salient features of the Report are annexed.

(c) Enforcement of legislation is a continuous process. The field staff of the Factories Inspectorate and the Delhi Shops & Establishments Section have been directed to enforce the provisions of the Factories Act, 1948 and the Delhi Shops & Establishments Act, 1954, relating to the employment of children and their working hours vigorously.

Statement

The salient features of the study are as follows :—

(i) The study covered working children 5 to 14 years of age. It is based on household enquiries, 7 occupation surveys and 10 case studies of child workers.

(ii) Although in absolute terms the percentage of child workers increased by 40.5 per cent in 1971 over 1961, the percentage of child workers to toal children in the age group 0-14 years remained almost the same, i.e., about 1.1 per cent; in the case of girls there was a slight decrease. The percentage of child workers to total workers decreased from 1.4 in 1961 to 1.3 in 1971.

(iii) Child workers are engaged in a variety of occupations ranging from domestic service to working as sales assistant, hawkers or as workers in printing, composing, book binding, vehicle repairs, engineering trades, etc.

(iv) 60 per cent of the child workers were in the age-group 13-14 years. The rest were younger.

(v) 57.4 per cent of the child workers were working in establishments 25.0 percent as unpaid family workers in household enterprises and 17.6 per cent were in selfemployment and domestic workers.

(vi) The environment of the workplace in establishments, particularly in old Delhi was mostly congested and unsatisfactory. The hours of work of children working in establishments and self-employment vary—16.3 per cent work for less than six hours a day, 67.3 per cent between 6 to 10 hours and the rest for longer period. In the case of establishments covered by Delhi Shops and Establishment Act, 1954, violations of the relevant provision of the legislation have been noticed.

(vii) The earnings of child workers are low, about four-fifths earning less than Rs. 60 per month. The prevailing wages for most children were less than the prescribed rate.

(viii) The seven occupational surveys showed that child workers engaged in tea shops and dhabas, auto and cycle repair shops, domestic service, picking of rags and other waste and show shining, have hours of work spread over a long period, low earnings, lack of legal protection except in the case of shops, etc. registered under the Delhi Shops and Establishments Act, unsatisfactory environment of the work place in most cases, etc. Some children do part time work such as hawking evening newspapers or home delivery of milk. In some cases, such earnings helped to support the child's education.

(ix) 39.7 per cent of the working children are illiterate, 7.3 per cent are literate without formal education and 53.0 per cent studied upto primary standard or above. Occupational studies showed that among child workers in auto and cycle repair workshops and in domestic service, there is comparatively better incidence of education than those working as rag pickers or in tea shops and in dhabas.

(x) A large number of working children are keen to have vocational training. Suggestions have been made for providing opportunities for training of children, amendment of Apprentices Act to cover children less than 14 years and enforcement of labour legislation

New Barley Variety

56. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the information given in the news item under the caption "Jau Ki Bauni Kisam Ka Vikas (Development of dwarfish variety of barley)" appearing in the daily 'Nav Bharat Times' dated the 26th April, 1976 to the effect that per hectare yield of D.L. 70 barley is 50 quintals and that of H.D. 2160 and H.D. 2122 wheat is seven tons, is correct;

(b) whether several communications were sent to the Ministry of Agriculture and Irrigation and to Indian Council of Agricultural Research for correct information in this regard but no reply was received;

(c) whether a demand for its seed was also made several times in writing but no reply was received; and

(d) if so, whether Government propose to take an early action in this regard?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) The yield figures reported in the news item represent the approximate yield potential of barley variety D.L. 70. This variety showed an yield potential of approximately 5 tonnes/ha in different trials, while the two wheat varieties H.D. 2160 and H.D. 2122 have given yields of the order of nearly 6 tonnes/ha in the experimental plots.

(b) Some communications from the Hon'ble Member were received in the ICAR wherein he had asked for the seeds of these varieties. Replies were sent to the Hon'ble Member on June 28, 1976 and October 28, 1976.

(c) The Hon'ble Member had asked for seeds of these varieties, but vide letter dated June 28, 1976 he was informed that these new varieties were still at the mini-kit trial stage. The seeds of these varieties were, therefore, not available for sale.

(d) The Director, Indian Agricultural Research Institute has in the month of March, 1977 addressed a letter to the Hon'ble Member that he will be sending sample packets of these seeds to him after harvesting. No further action in this regard is proposed to be taken.

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस भेजना

57. **श्रीमती रेनुका देवी बड़कटकी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्य कर रहे बहुत से कर्मचारियों को विभिन्न राज्यों में अपने मूल विभागों में वापस जाने को कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) विनियमों में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ नियुक्तियां सामान्यतया तीन वर्षों की अवधि के लिए की जा सकती हैं और यदि आवश्यक समझा जाए तो इस अवधि को पांच वर्षों अथवा उससे अधिक तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे प्रतिनियुक्तों को समय-समय पर उनकी अवधि पूरी होने पर उन्हें उनके मूल विभागों को वापस भेज दिया जाता है।

केवल पश्चिमी बंगाल के बारे में राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के बीच हुए लिखित करार के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी भारी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर हैं जोकि भारतीय खाद्य निगम को अपने कार्य के साथ स्थानान्तरित किए गए हैं। ऐसे कर्मचारी भारतीय खाद्य निगम में उस समय तक प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे जब तक करार की शर्तों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम राज्य में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता रहता है।

भूमि के स्वामित्व का ब्यौरा

58. **श्री बी० सी० काम्बले :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है,

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा कमी हो रही है और इसके कारण क्या हैं, और

(ग) इस बारे में सामाजिक न्याय करने के बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (ग) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

(क) प्रत्येक राज्य में ऐसे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है जिनके पास या तो बिल्कुल भी भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार सन् 1960-62 (16 वां तथा 17वां चक्र) और सन् 1971-72 (26वां चक्र) की अवधि के लिए ऐसे परिवारों की संख्या उपलब्ध है जिनके पास या तो बिल्कुल भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है । जिन परिवारों के पास या तो बिल्कुल भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है उनकी राज्यवार संख्या जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्टों से प्राप्त हुई है संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्टों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ऐसे परिवारों जिनके पास या तो कोई भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है, की संख्या जो सन् 1960-62 में 465 लाख थी वह सन् 1971-72 में बढ़कर 553 लाख हो गई । अखिल भारतीय स्तर पर ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास या तो कोई भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है सन् 1960-62 की तुलना में सन् 1971-72 में 18.9% बढ़ गई । जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार इसका मुख्य कारण, देश में 1961 की तुलना में 1971 में परिवारों की कुल संख्या में 19% की तदनुसार वृद्धि होनी है ।

(ग) कृषि भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी उपायों में फालतु भूमि को भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत कृषकों और गांव के गरीबों के अन्य उपयुक्त वर्गों में बांटने के बारे में विचार किया गया है । इन उपायों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सन् 50 के दशक के उत्तरार्ध और सन् 60 के दशक के दौरान लगभग 19 लाख एकड़ फालतु भूमि वितरित की गई थी । प्राप्त सूचना के अनुसार 1972 के राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुकूल राज्यों द्वारा और 19.3 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ले ली गई है। इन में से 11.75 लाख एकड़ भूमि 7.9 लाख लाभानुभोगियों में वितरित की गई है ।

उपरोक्त आंकड़ों के अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों ने 160 लाख 1 एकड़ पड़ती भूमि, कृषि योग्य पड़ती भूमि आदि जो उनके पास सन् 1950 से उपलब्ध थी, वितरित की है। पट्टेदारी सुधार और पट्टेदारों को स्वामित्वाधिकार प्रदान करने के कार्यक्रमों के अंतर्गत पट्टेदारों की बड़ी संख्या को या तो पट्टेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं अथवा वे उस भूमि के स्वामी बन गये हैं जिसमें वे खेती करते थे।

सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों तक आर्थिक विकास के लाभों को पहुंचाने के लिए 46 लघु कृषक और 41 मध्यम कृषक एवं कृषि श्रमिक परियोजनाएं आरंभ की हैं। चौथी योजना के दौरान इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय 103 करोड़ रु० था। पांचवी योजना में परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 150 हो गई है तथा 175 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार ऐसे परिवारों की अनुमानित संख्या जिनके पास या तो बिल्कुल भी भूमि नहीं है अथवा एक एकड़ से कम भूमि है।

क्रम सं०	राज्य	परिवारों की सं० (हजारों में) 16-17वां चक्र (1960-61-62)	परिवारों की सं० (हजारों में) 26वां चक्र (1971-72)	प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी (कालम 3 की तुलना में 4 कालम)
1.	आंध्र प्रदेश	4221	5111	21.1
2.	असम	1111	1139	2.5
3.	बिहार	4702	5191	10.4
4.	गुजरात	2096	2529	20.7
5.	हरियाणा	*	975	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	111	—
7.	जम्मू और कश्मीर	209	244	16.7
8.	कर्नाटक	2085	2586	24.0
9.	केरल	2463	2534	2.9
10.	मध्य प्रदेश	2458	2822	14.8
11.	महाराष्ट्र	4022	5798	44.2
12.	मणिपुर	उ० न०	59	--
13.	मेघालय	उ० न०	84	—
14.	नागालैण्ड	उ०न०	उ०न०	उ० न०
15.	उड़ीसा	1242	2164	74.2
16.	पंजाब	2895** (2700)†	1725 (2700)†	—6.7
17.	राजस्थान	1315	1190	9.5
18	तमिलनाडु	5254	6272	19.4
19.	त्रिपुरा	उ०न०	93	—
20.	उत्तर प्रदेश	7584	8627	13.8
21.	पश्चिम बंगाल	4257	5010	17.7
22.	दिल्ली	उ०न०	794	--
23.	गोआ, दमन और द्वीव	उ०न०	84	--
24.	पांडिचेरी	उ०न०	49	—
25.	शेष संघ राज्य क्षेत्र	572	—	—
	अखिल भारत	46486	55274	18.9

* पंजाब में शामिल है।

** पंजाब के पुनर्गठित होने से पूर्व से संबंधित।

† तुलना करने के उद्देश्य से कोष्ठकों में दिए गये आंकड़ों में हरियाणा के आंकड़े शामिल हैं।

Minor Irrigation Schemes in M.P.

59. **Shri Kalyan Jain** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) average irrigated area in the country;

(b) the area covered by minor irrigation schemes in Madhya Pradesh; and

(c) the schemes Government have under consideration to bring in future more land under minor irrigation projects.

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) The area irrigated in the country according to the lastest Land Utilisation Statistics available for the year 1973-74 was 40249 thousand hectares (gross). The Statewise break-up is given in Statement.

(b) The estimated area irrigated by minor irrigation works in Madhya Pradesh in the year 1973-74 was 1,100 thousand hectares.

(c) The Minor Irrigation schemes tahen up or under consideration in Madhya Pradesh include :

(i) Surface, water flow irrigation schemes viz. storage tanks, diversion schemes, check dams, etc.

(ii) Surface Water Lift Irrigation Schemes on rivers and nallahs.

(iii) Private wells, tubewells and pumpsets.

(iv) Boring and deepening of wells.

(v) Public tubewells.

Statement

(Thousand Hectares)

Sr. No.	Name of State	Gross irrigated area 1973-74
1	2	3
1.	Andhra Pradesh	4154
2.	Assam (a)	572
3.	Bihar	2797
4.	Gujarat	1549*
5.	Haryana	2584
6.	Himachal Pradesh	156
7.	Jammu & Kashmir	362
8.	Karnataka	1422
9.	Kerala	638
10.	Madhya Pradesh	1733
11.	Maharashtra	764

1 LSS/77—5.

1	2	3
12.	Manipur	75
13.	Meghalaya	51(b)
14.	Nagaland	33
15.	Orissa	1188
16.	Punjab	4619
17.	Rajasthan	2679
18.	Sikkim	N.A.
19.	Tamilnadu	3674
20.	Tripura	30
21.	Uttar Pradesh	8492
22.	West Bengal(c)	1541
23.	Union Territories	136
	All India	40249

(a) Relates to the year 1953-54.
(b) Relates to the year 1972-73.
(c) Relates to the year 1967-68.
*Relates to the year 1971-72
N.A.-Not Available.

Gross Irrigated Area : refer to total area irrigated under all crops during the year. Irrigated area sown with crops move than once being counted as separate area for each crop.

Demand of Delhi Adhyapaka Parishad

60. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state whether the Delhi Adhyapaka Parishad (Delhi Teachers Council) had demanded that adverse remarks entered in the service records of teachers during Emergency should be expunged and the cases of irregular promotions given to certain teachers to be reviewed ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : Yes, Sir. The matters are under consideration.

Student Cooperation in Implementation of Economic Programmes

61. **Shri Kalyan Jain :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state the plan Government have under consideration to enlist students' cooperation in the implementation of economic programmes ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : National Service Scheme, which has been in operation since 1969-70, already provides for involvement of university and college students in social service and developmental activities. The NSS activities from 1976-77 are centred around programmes for rural re-construction. The coverage under this Scheme is being gradaually expanded.

Planning Forums, set up in universities and colleges, create an awareness of the need for planned development of the country among the student community and involve them in the national development effort right from the planning stage.

Medium Irrigation Schemes in Jhalawar (Rajasthan)

62. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether medium irrigation schemes under construction in Jhalawar district (Rajasthan), which is a backward region, have since been completed and the expenditure incurred on them so far as also the total expenditure involved thereon and the extent of benefits likely to accrue from them; and

(b) whether the State Government have undertaken or propose to undertake any new big or medium irrigation projects in this district ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Bhimsagar Scheme estimated to cost Rs. 5.16 crores to irrigate 7,000 ha. of area and Harish Chander Sagar Scheme estimated to cost Rs. 2.99 crores to irrigate 8,000 ha. annually, now under construction, would benefit Jhalawar District of Rajasthan. An expenditure of Rs. 62 lakhs and Rs. 64 lakhs respectively has been incurred by March, 1977.

(b) The Government of Rajasthan have reported that they have undertaken investigation on the following three new medium irrigation projects in Jhalawar District :—

(1) Manoharthana Project;

(2) Chhapi Project; and

(3) Gagarin Project,

and the investigation work is in progress.

Central aid for small irrigation schemes in Rajasthan

63. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance proposed to be given for small irrigation schemes in Rajasthan for the ensuing year; and

(b) the names of the districts having centrally aided small irrigation schemes and the time by which these Schemes are likely to be completed

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Central assistance to State Plan schemes is given in the form of block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any specific schemes or head of development. The outlay approved for Minor Irrigation in the State Plan of Rajasthan for 1977-78 however is of the order of Rs. 3.40 crores.

(b) Names of the districts in Rajasthan in which Minor Irrigation Schemes have been taken up under different Central Sector programmes include Ajmer, Alwar, Bharatpur, Bhilwara, Chittorgarh, Udaipur, Barmer, Banswara, Churu, Dungarpur, Jaisalmer, Jalore, Jodhpur, Nagaur, Pali and Kota.

Minor Irrigation Schemes generally take one to three years for their completion.

संगीत नाटक अकादमी का कार्यकरण

64. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अप्रैल, 1977 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे समाचार के अनुसार संगीत नाटक अकादमी के कार्यकरण के बारे में प्रमुख नर्तकों द्वारा व्यक्त निराशा के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रेस की रिपोर्ट देख ली है और सरकार को सम्बन्धित कलाकारों से एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है।

(ख) संगीत नाटक अकादमी के क्रियाकलापों से सम्बन्धित इस ज्ञापन में दिए गए विविध प्रश्नों की जांच उस संस्था से परामर्श करके की जा रही है।

निरक्षरता को समाप्त करने के लिए योजना

65. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निरक्षरता को समाप्त करने हेतु 2000 करोड़ रुपये की एक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) साक्षरता प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय में अनेक सुझाव तथा योजनाएं प्राप्त हुई हैं। ऐसा पता चला है कि इन योजनाओं में से एक योजना समाजसेवी प्रकाशकों, अध्यापकों आदि की ओर से भेजी गई है। इस योजना पर होने वाला खर्च 2483 करोड़ रुपये का है। जिसमें वे मद शामिल नहीं हैं जिनके बारे में अभी हिसाब लगाया जाना है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षाविदों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ प्रौढ़ शिक्षा पर विचार-विमर्श किया है और इस विषय में नीति तथा कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कोठारी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

66. **श्री वसन्त साठे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) कोठारी आयोग की स्वीकृति सिफारिशों को राष्ट्रीय संकल्प नीति (1968) में शामिल कर लिया गया था और ये केन्द्र तथा राज्य सरकारों और उनसे सम्बन्धित अन्य संगठनों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। इस संकल्प में, की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने और भावी विकास के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं तैयार करने की व्यवस्था है। सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा संकल्प नीति का पुनरीक्षण किया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कोठारी आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

दिल्ली में भूमि सम्बन्धी प्राधिकरणों को अधिकता को दूर करने की समस्या

67. **श्री वसन्त साठे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि के मामलों में उचित तथा समन्वित नियन्त्रण सुलभ कराने के लिए दिल्ली में भूमि सम्बन्धी प्राधिकरणों की अधिकता को दूर करने सम्बन्धी समस्या पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) मामला अब भी विचाराधीन है।

दिल्ली में नगरीय विकास के लिये योजना

68. **श्री अरविंद बाला पजनौर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा चुनाव परिणामों के बाद दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले बहुत-से लोग, जिनका पुनर्वासन किया गया था, फिर से अपने मूल स्थानों को वापस आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने लोग वापस आए हैं;

(ग) वापिस आए ऐसे लोगों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाने का विचार है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के नगरीय विकास संबंधी वर्तमान योजनाओं का कितना पुनरीक्षण किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) यदि "पुनर्वासित गन्दी बस्ती निवासी" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिन्हें गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956 के अधीन "गन्दी बस्ती क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों से हटाया गया है तो मूल रिहायशी स्थानों की ओर आने वालों की विशेष आमद ज्ञात नहीं है। तथापि यदि "पुनर्वास गन्दी बस्ती निवासी" से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिन्हें उस सरकारी भूमि से हटाया गया था जिसका उन्होंने उल्लंघन किया था और जिन्हें नई पुनर्वास कालोनियों में वैकल्पिक वास दिया गया था, जबकि पिछले कुछ महीनों से उन क्षेत्रों में जहां से उन्हें हटाया गया था, कई अतिक्रमण हुए हैं।

यह सही तौर पर कहना संभव नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें नई पुनर्वास कालोनियों में भेजा गया था, किस सीमा तक नए अतिक्रमण किए हैं जबकि पिछले कुछ महीनों से अतिक्रमण द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बनाई गई झुग्गियों तथा इसी प्रकार की संरचनाओं की कुल संख्या लगभग 6,000 है। बहुत-से ऐसे नए अतिक्रमण लोकसभा चुनावों के परिणामों के घोषित होने से पहले ही बनाए जा चुके थे।

(ग) तथा (घ) सरकार ने शहर में किसी नए अतिक्रमण को रोकने की अपनी नीति पहले ही घोषित कर दी है। तथापि समस्या को दिल्ली की योजना तथा उसके पर्यावरण के व्यापक संदर्भ में देखना होगा।

Narmada Dam Project

69. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of Agriculture **and Irrigation** be pleased to state :

(a) the stpes taken so far to finalise the Narmada Dam Project in Madhya Pradesh;

(b) whether the Commission on the Narmada Project has completed its work and if not, the time by which it is likely to be completed : and

(c) the action being taken in this respect and the stage of construction work at present ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Prakash Singh Badal) : (a) to (c) The Narmada Project of Madhya Pradesh lies in the Narmada baisn. The dispute relating to the Narmada waters amongst the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan is at present under adjudication by the Narmada Water Disputes Tribunal. The scope of the project and its implementation will depend on the decision of the Tribunal.

Every effort is being made by the Narmada Water Disputes Tribuna l to complete its work as expeditiously as possible. The Tribunals' report is likely to be available in about a year.

Translation of Sanskrit Works

70. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the speech made by the Hon'ble Minister of External Affairs at a special function organised in Delhi (dated 23rd May, 1977) in which he had stated that important works in Sanskrit should be translated into different languages so that society may get their full benefit ; and

(b) whether Government have formulated any comprehensive scheme in this regard and if so, the details thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder):

(a) Yes, Sir.

(b) A scheme is already in force. The salient features of the scheme are :

(i) Financial assistance is given for preparation and publication of Sanskrit Classes with translation;

(ii) Assistance can be given to Voluntary Organisations/educational institutions of other similar organisations;

(iii) Grants will not normally exceed 60 % of the total approved expenditure.

सोनीपत (हरियाणा) के अध्यापकों की शिकायतें

71. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के अध्यापकों से आपात् स्थिति के पश्चात् भी ज्यादतियों के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्रालय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में आवास समस्या

72. **श्री के० मायातंवर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में आवास समस्या कितनी विशाल है;

(ख) विभिन्न आवास योजनाओं के द्वारा कितनी सफलता मिली है;

(ग) कम कीमत वाले मकान बनाने के प्रयासों के ठोस परिणाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आवास समस्या का समाधान एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समस्या को काफी हद तक हल करने के लिए सरकार के कार्यक्रम के विभिन्न चरण कौनसे हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जैसा कि पांचवीं योजना के प्रारम्भ में अनुमान लगाया गया था अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को देश में आवास की कमी 156 लाख थी।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध ताजा रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण और आवास मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के अन्तर्गत 6,94,624 मकान बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल की व्यवस्था करने के लिए योजना के अन्तर्गत भूमिहीन परिवारों को 70 लाख से अधिक आवास स्थलों का आवंटन किया गया है। इसके

अतिरिक्त आवास तथा नगर विकास निगम, जिसने 1971 से काम करना शुरू किया है, ने 357.89 करोड़ रुपये की योजनाओं की मंजूरी दी है जिसमें 259.51 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है। इन योजनाओं से 1,93,240 मकानों तथा 39,417 आवासीय प्लाटों का निर्माण होगा।

राष्ट्रीय सहकारिता आवास संघ लिमिटेड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, सहकारिता आवास सोसाइटियों द्वारा 30 जून, 1976 तक लगभग 3,76,400 मकान बनाए गए होंगे।

(ग) विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(घ) और (ङ) संसाधनों के दबाव तथा योजना प्रक्रिया में आवास को कम प्राथमिकता देने के कारण, देश में आवास की समस्या को हल करने के लिए फ्रेज और समयबद्ध कार्यक्रम बनाना सम्भव नहीं है।

विवरण

निम्न लागत आवास को, आवास तथा नगर विकास निगम, राज्य आवास बोर्डों आदि की नीतियों और कार्यक्रमों में प्राथमिकता दी जाती है। इस मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं में निम्न लागत आवास के लिए आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है।

2. कम लागत वाले मकानों को बढ़ावा देने के लिए देश में, भवन निर्माण की लागत में कमी करने सम्बन्धी अनुसन्धान तथा जांच के कार्य को बढ़ाया गया है। भवन निर्माण की लागत में काफी कमी करने के लिए नयी तकनीकी और सामग्री का विकास किया गया है। निम्न लागत के मकानों के क्षेत्र में अनुसन्धान के परिमाणों को, कई एक उपायों, जिनमें सिम्पोजिया, बैठकें, सेमिनार कार्यशालाएं प्रकाशन, प्रदर्शन मकानों का बनाना तथा निम्न लागत मकानों की प्रदर्शनियां शामिल हैं, के जरिए विभिन्न निष्पादित अभिकरणों को भेजा जा रहा है। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन की प्रयोगात्मक आवास योजना में निर्माण की उन प्रयोगात्मक मदों की लागत पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है यदि परियोजना में निर्माण की नई तकनीकियां और तरीके अपनाए जाएं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के ग्रामीण आवास विंग भी ग्रामीण आवास के क्षेत्र में अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रदर्शन के लिए निम्न लागत ग्रामीण मकानों के समूह का निर्माण किया है। इसमें स्थानीय भवन निर्माण सामग्री और दुर्लभ और मूल्यवान सामग्री के कम से कम उपयोग पर बल दिया जाता है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मद्रास के कार्यों की जांच के लिये मांग

73. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम्** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, मद्रास के कुछ वरिष्ठ प्रोफेसरों और वैज्ञानिकों ने इंस्टीट्यूट के कार्यों और प्रशासन की पूरी-पूरी जांच की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास की सीनेट ने, जिसमें वरिष्ठ शिक्षक भी सम्मिलित हैं, हाल ही में

एक संकल्प में निदेशक द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर असंतोष प्रकट किया है। किसी जांच की मांग नहीं की गई है। तथापि, सरकार मामले पर ध्यान दे रही है।

बच्चों के लिये पोषक आहार की सप्लाई

74. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति वर्ष कुपोषण के कारण लगभग 5 लाख बच्चे मर जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय इससे बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से कतिपय योजनाओं पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रालय इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कर रहा है और बच्चों को बचाने के लिये उन्हें पोषक आहार सप्लाई कर रहा है; और

(घ) केन्द्रीय मंत्रालय बच्चों को बचाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए क्या अन्य उपाय कर रहा है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) "पोषाहार एवं जन स्वास्थ्य––वर्तमान भारतीय परिस्थिति" से सम्बद्ध हाल के एक व्याख्यान में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक डा० सी० गोपालन का एक वक्तव्य कि "कुपोषण के फलस्वरूप प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक बच्चों मरते हैं" सरकार के नोटिस में आया है। उसी व्याख्यान में डा० गोपालन ने यह भी उल्लेख किया है कि "कारण स्पष्ट है कि कुपोषण के फलस्वरूप हमारे देश में जो बच्चे मरते हैं उनकी संख्या के बारे में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त करना कठिन है।"

(ख) बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में बच्चों के लिए पोषाहार, प्रतिरक्षण तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर विशेष महत्व दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा कृषि एवं सिंचाई मंत्रालयों के सहयोग से पहले ही निम्नलिखित पोषाहार कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है:––

1. विशेष पोषाहार कार्यक्रम
2. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
3. बालबाड़ी पोषाहार कार्यक्रम
4. समेकित बाल विकास सेवा योजना
5. पौष्टिक रक्तक्षीणता के विरूद्ध रोगनिरोधन
6. विटामिन ए की कमी के कारण बच्चों में नेत्रहीनता के विरूद्ध रोगनिरोधन
7. व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम
8. (क) बालाहार के विकास की तरह गैर-परम्परागत प्रोटीन संसाधनों का अनुसंधान/विस्तार।

(ख) अनिवार्य विटामिनस, मिनरल्स, अमिनो एसिड तथा प्रोटीन के साथ खाद्यान्न को हृष्ट और पुष्ट बनाना।

(ग) नये खाद्य संचालन के लिये उपभोक्ता की ग्राहयता और खपत नमूने पर अध्ययन।

(घ) पोषाहार शिक्षा, प्रशिक्षण, जनसंचार अभियान तथा विस्तार।

(ग) 1. ऊपर निर्दिष्ट (1) से (4) योजनाओं के अधीन पौष्टिक खाद्य, समाज के कमजोर वर्गों, कुछ सूखाग्रस्त, तथा आदिवासी क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तयों के बच्चों को दिया जाता है । पोषाहार पूरक में प्रति दिन प्रति बच्चे के लिये 300 कलोरीज और 10 से 20 ग्राम प्रोटीन शामिल है। गर्भवती स्त्रियों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को भी पोष्टिक खाद्य दिया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 1 करोड़ 90 लाख लाभप्राप्तकर्ता शामिल हैं।

2. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के तत्वाधान में राज्य पोषाहार प्रभागों और राष्ट्रीय पोषाहार प्रबोधन ब्यूरो द्वारा भोजन एवं पोषाहार सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। "आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषटिक स्थिति का सर्वेक्षण" शुरु करने के लिये एक अनुसंधान परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है।

(घ) गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों के उपचार के लिये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक योजना विचाराधीन है। इस योजना में निम्न प्रकार से देखभाल का प्रस्ताव है:—

1. अस्पताल में रख-रखाव

2. पोषाहार चिकित्सा विज्ञान केन्द्र

इस योजना के अधीन, चुने गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पोषाहार पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

खाद्यान्न भण्डारण की समस्या

75. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भण्डारण के लिए उपलब्ध सभी स्थानों को उपयोग में ले लिया गया है और अब वैज्ञानिक ढंग से तैयार की गई कोई भण्डारण-क्षमता उपलब्ध नहीं है तथा लगभग 50 लाख टन खाद्यान्नों की छतों वाले स्थानों पर भण्डारण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय तथा राज्यों के भाण्डागार निगमों की इस समय कुल क्षमता कितनी है;

(ग) क्या गत वर्ष की भारी फसल और इस वर्ष की संभावित अच्छी फसल के फलस्वरूप भण्डारण की समस्या पैदा हो गई है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हाल ही में क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार भाण्डागारों की स्थापना के लिये विश्व बैंक से सहायता मांगने के प्रश्न पर सक्रियता से विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगमों (अपनी, किराये की और प्लिंथ) के पास उपलब्ध कुल भण्डारण क्षमता 239.8 लाख मीटरी टन है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इन उपायों में ये उपाय शामिल हैं:——अतिरिक्त भण्डारण स्थान तैयार करना, मौजूदा क्षमता का अधिकतम उपयोग, गारंटीबद्ध अधिभोग पर गोदामों का निर्माण करवाने के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित करना, विश्व बैंक की सहायता से बफर भण्डारण के लिए गोदामों का निर्माण करवाना, आदि।

सिंचाई व्यवस्था के लिए योजनाएं

76. श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :

श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री डी० डी० देसाई :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशव्यापी सिंचाई व्यवस्था के लिये कतिपय योजनायें क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य रूपरेखा क्या है और उन पर कितना परिव्यय करने का विचार है; और

(ग) उनके कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (ग) इस बात को देखते हुए कि देश में वर्षा पर्याप्त नहीं होती और उसका वितरण भी समान नहीं है, देश में सिंचाई के लिए एक समेकित प्रणाली का होना जरूरी समझा जाता है। लेकिन इस प्रकार की दीर्घकालीन स्कीम के बारे में अन्वेषण कार्य शुरु करने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमियों के बारे में गहन अध्ययन किया जाए तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जल के अन्तर्बेसिन और अन्तर्क्षेत्रीय ट्रांसफर की संभावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है।

समूचे देश भर में इस प्रकार के अध्ययन और अन्वेषण करने का काम अपने आप में ऐसा कार्य है जिसमे काफी लम्बा समय लगना स्वाभाविक है। उसके बाद ही लागत के अनुमान लगाए जा सकते हैं।

गेहूं का समर्थन मूल्य

77. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :**

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम में गेहूं के 110 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया है;

(ख) बढ़े हुए मूल्य पर केन्द्रीय सरकार को कुल कितनी राजसहायता देनी होगी और अर्थ-व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या जोन समाप्त कर देने से किसानों को लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिली है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) कुल मिलाकर, जी हां।

(ख) 110 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर वसूल की गई देशी गेहूं का स्टाक पिछले वर्ष के बचे स्टाक में मिला दिया जाएगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाने वाली कुल राजसहायता दोनों देशी और आयातित खाद्यान्नों की एकीकृत इक्नामिक लागत, बफर स्टाक आदि की मात्रा पर निर्भर करेगी। तथापि, यह परिकल्पना करते हुए कि 1977-78 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लगभग 70 लाख मीटरी टन गेहूं निर्मुक्त किया जाएगा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप अनुमानतः लगभग 13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजसहायता के भार को वहन करना पड़ेगा। तथापि, ठीक-ठीक आंकड़े वर्ष के अन्त में उपलब्ध हो पायेंगे। इससे अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ग) जी, हां।

मिर्जापुर जिले, उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधाएं

78. **श्री शिव सम्पत** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की कनूर रेंज के दक्षिण में सिंचाई की सुविधाएं बहुत ही असंतोषजनक हैं; और

(ख) कनूर रेंज के दक्षिण में सिंचाई को समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की कनूर रेंज के दक्षिण के क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

(ख) सोन पम्प नहर परियोजना से, जिस पर 5.64 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और जिससे 66,270 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी, कनूर रेंज के दक्षिण में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था हो जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कन्हार सिंचाई परियोजना से, जिस पर 16.74 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, इस क्षेत्र में 26,860 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी।

इसके अलावा 5,191 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए 1.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दो और स्कीमों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें छोटे बन्ध बनाने की परिकल्पना की गई है।

World Bank Aid for Dairy Projects in Rajasthan

79. Shri Krishna Kumar Goyal : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether financial assistance has been given by the World Bank for dairy projects in Rajasthan ; and

(b) the nature of the projects, the time by which production of milk is likely to start therein and the conditions of the aid given by the World Bank ?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Prakash Singh Badal) : (a) Yes Sir.

(b) The total cost of the project will be U.S. $ 51.80 million or Rs. 41.44 crores out of which International Development Association Credit will amount to U.S. $ 27.70 million or Rs, 22.16 crores approx. The milk production programme has already been initiated.

Credit has been made available by the International Development Association on the following terms :—

1. The closing date shall be December, 31, 1982 or such other date as shall be agreed between the Borrower (Govt. of India) and the Association.

2. The Borrower shall pay to the Association a service charge at the rate of three fourths of one per cent (3/4th of 1 %) per annum on the principal amount of credit withdrawn and outstanding from time to time, service charges shall be payable semi-annually on January 1 and July 1 in each year.

3. The Borrower shall repay the principal amount of the Credit in semi-annual instalments payable on each January 1 and July 1 commencing January 1, 1985 and ending July-1 2024, each instalment to and including the instalment payable on July, 1, 1994 to be one-half of one per cent (1/2 of 1 %) of such principal amount and each instalment thereafter to be one and one-half per cent (1–1/2 %) of such principal amount.

सरकारी मकानों में रह रहे भूतपूर्व मंत्री और संसद् सदस्य

80 . **श्री शिव सम्पत :**

श्री जी० एस० तोहरा :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व मंत्रियों और संसद् सदस्यों की संख्या कितनी हे और उनके नाम क्या क्या हैं जो इस समय सरकारी मकानों में रह रहे हैं और उनमें से प्रत्येक के द्वारा कितना किराया अदा किया जा रहा है;

(ख) क्या कोई भूतपूर्व मंत्री अथवा संसद् सदस्य बाजार भाव पर मकान का किराया अदा करके अनिश्चित काल के लिये सरकारी मकान को रख सकता है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे प्रत्येक अनधिकृत व्यक्ति जो सरकारी मकान का हकदार नहीं है, से मकान खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस समय 5 भूतपूर्व मंत्री तथा 97 भूतपूर्व संसद् सदस्य, जैसा कि संलग्न विवरण-I में उल्लिखित हैं, सरकारी वास में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। प्रत्येक मामले में वास हेतु किराया दर विवरण में अंकित है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 297/77)।

अन्य 67 संसद् सदस्यों ने जैसा कि संलग्न विवरण-II में उल्लिखित है, सरकारी आवास खाली कर दिए हैं परन्तु उन्होंने अभी भी नौकरों के क्वार्टर और/अथवा मोटर गैरेज रखे हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 96 भूतपूर्व संसद् सदस्यों और चार भूतपूर्व मंत्रियों, जो अभी भी अनधिकृत रूप से सरकारी वास में रह रहे हैं, के विरूद्ध निष्कासन कार्रवाई की गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता

81. **श्री शिव सम्पत : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में प्रत्येक वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं;

(ख) क्या सभी स्तरों पर आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व पूरा है; और

(ग) यदि नहीं, तो सभी स्तरों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचित भूमि की प्रतिशतता

82. **श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खेती योग्य कुल भूमि में सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक अन्य अनेक राज्यों की तुलना में सिंचाई के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है और अधिक क्षेत्र के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यदि अपर तुंगा परियोजना आरंभ की जाये तो इससे कर्नाटक के बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है; और

(घ) क्या वह योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त (1973-74) तक सकल फसली क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र तथा फसली क्षेत्र की तुलना में सिंचाई क्षेत्र के प्रतिशतांश का राज्यवार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कर्नाटक में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशतांश अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है। राज्य सरकारें सिंचाई को उच्च प्राथमिकता दे रही हैं। पांचवीं योजना के दौरान 5.24 लाख हैक्टेयर की शक्यता सृजित करने का आयोजन किया गया है; इस योजना के अन्त में कर्नाटक में, अन्ततः सृजित की जा सकने वाली सिंचाई शक्यता के लगभग 50 प्रतिशत शक्यता का विकास हो चुका होगा।

(ग) और (घ) अभी तक केन्द्रीय जल आयोग को कर्नाटक सरकार से अपर तुंगा परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

सिंचित क्षेत्र का प्रतिशतांश—राज्यवार

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य	कुल फसली क्षेत्र (सकल) 1973-74	सिंचित क्षेत्र (सकल)	फसली क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशतांश
1.	आन्ध्र प्रदेश	13238	4154	31.4
2.	असम	3076	572	18.6
3.	बिहार	10767	2797	26.0
4.	गुजरात .	10130	1549†	15.3
5.	हरियाणा .	5150	2584	50.3
6.	हिमाचल प्रदेश	907	156	17.2
7.	जम्मू व कश्मीर	913	362	39.6
8.	कर्नाटक	10893	1422	13.1
9.	मध्य प्रदेश	21212	1733	8.1
10.	केरल	2999	638	21.3
11.	महाराष्ट्र	19486	1764	9.0
12.	मणिपुर	194*	75	38.6
13.	मेघालय	178*	51	28.6
14.	नागालैण्ड	107	33	30.3
15.	उड़ीसा	7315*	1188	16.3
16.	पंजाब	6016	4619	76.8
17.	राजस्थान	17886	2679	15.0
18.	तमिलनाडु	7648	3674	48.1
19.	त्रिपुरा	377	30	7.9
20.	उत्तर प्रदेश	23006	8492	35.9
21.	पश्चिम बंगाल	7462	1541	20.7
22	संघ शासित क्षेत्र . . .	543	136	25.1
	अखिल भारत . . .	169503	40249	23.7

*अनुमानित।

†1971-72 वर्ष से संबंधित है।

गन्ने के मूल्य में असमानता

83. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गन्ने के क्या मूल्य निश्चित किये गये हैं;

(ख) मूल्यों में असमानता होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस नीति के कारण राज्यों के तथा विशेषकर कर्नाटक राज्य के गन्ना उत्पादकों को बहुत हानि हुई है; और

(घ) मूल्यों में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के लिए प्रत्येक चीनी मौसम हेतु गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है और न कि प्रत्येक राज्य के लिए। केन्द्रीय सरकार द्वारा 30 सितम्बर, 1976 को अधिसूचित किए गए मूल्यों का विवरण अनुबन्ध 1 में दिया गया है। तथापि, राज्य में स्थित फैक्टरियों द्वारा दिए जाने वाले मूल्य राज्य सरकारें अक्सर निर्धारित करती हैं और यह मूल्य आमतौर पर राज्य के लिए अथवा राज्य के किसी ज़ोन के लिए समान होते हैं। प्रत्येक राज्य में फैक्टरियों द्वारा सूचित किए गए राज्य द्वारा निर्धारित किए गए इन मूल्यों का ब्यौरा अनुबन्ध-2 में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 298/77]

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में अन्तर मुख्यतया गन्ने से सुक्रोज़ की वसूली के कारण होता है। "राज्य के परामर्श से निर्धारित किए गए मूल्य" केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं और इसलिए मूल्यों में अन्तर होता है।

(ग) और (घ) उत्पादन लागत, गन्ने से चीनी की वसूली, वैकल्पिक फसलों से किसान को लाभ, चीनी के उत्पादकों द्वारा जिस मूल्य पर चीनी बेची जाती है, जैसी बातों को ध्यान में रखकर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। अतः निर्धारित किए गए मूल्य सामान्यतया उचित और समान होते हैं।

जामा मस्जिद क्षेत्र के दुकानदारों का पुनर्वास

84. **श्री एफ० एच० मोहसिन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामा मस्जिद क्षेत्र के अनेक दुकानदारों को अभी तक वैकल्पिक स्थान देकर फिर से नहीं बसाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अभी ऐसे कितने व्यक्ति ऐसी स्थिति में हैं; और

(ग) उनको उचित किराये पर अथवा नाम-मात्र मूल्य पर कोई वैकल्पिक स्थान देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वासमंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन दुकानदारों को जिन्हें उस समय अनुसरण की जा रही नीति के अनुसार आवंटन के लिए पात्र समझा गया था वैकल्पिक वास दे दिया गया है। तथापि क्षेत्र में उन दुकानदारों के पुनर्वास के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिन्हें पहले वास नहीं दिया गया था।

कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

85. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष (1977-78) के लिये गेहूं की वसूली और उसके मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की अनिवार्य बातें क्या हैं; और

(ख) इन सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) रबी मौसम 1977-78 के लिए गेहूं की वसूली करने और उसका मूल्य निर्धारण करने से सम्बन्धित कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों की महत्वपूर्ण बातें यह थी कि गेहूं के वसूली मूल्य को 105 रुपये प्रति क्विंटल पर ही बनाए रखा जाए और गेहूं के वसूली मूल्य का सांकेतिक लक्ष्य 55 लाख मीटरी टन निर्धारित किया जाए। सरकार ने यह निर्णय किया कि किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए गेहूं को उचित औसत किस्म के गेहूं के लिए निर्धारित किए गए 110 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। गेहूं के सचलन पर क्षत्रीय प्रतिबन्धों को भी हटा लिया गया है। इस दृष्टि से और यह देखते हुए कि गेहूं की वसूली केवल समर्थन के रूप में की जाएगी इसलिए वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत योजना

86. **श्री बसंत साठे** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या से कारगर ढंग से निपटने के लिए द्रुत योजना पुनः आरम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने के लिए अन्य कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी नहीं। ग्राम रोजगार की त्वरित योजना को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्तमान सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी की समस्या पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण, ग्रामीण जल आपूर्ति आदि जैसे ग्रामीण आधार-भूत ढांचे के विकास के अनेकों कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को चालू वर्ष के दौरान बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है जिससे ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा, ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के फालतू खाद्य भंडारों का उपयोग करने हेतु एक योजना शुरू की गई है।

नलकूपों में बांस के पाईपों का उपयोग

87. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में नल-कूपों के लिये बांस के बने पाईपों का व्यापक रूप से उपयोग करने की उपादेयता का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकार के विस्तृत मूल्यांकन के अनुसार बलुई तथा उथले जल के स्रोतों वाले क्षेत्रों में भू-जल विकास के लिए नलकूपों हेतु बम्बू पाइपों का उपयोग एक सस्ती व्यवस्था है। पूर्णिया, कटिहार और बिहार के सहरसा जिलों में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों द्वारा 'गतिशील दशक' (डायनमिक डिकेड) के बारे में प्रकाशन

88. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, जिन्होंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के तथा कथित "गतिशील दशक" (डायनमिक डिकेड) के बारे में पुस्तकें स्मारिकायें और पुस्तिकाय प्रकाशित कीं अथवा विचार गोष्ठियों या अन्य समारोहों का आयोजन किया था;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों का कोई उपकुलपति या उनमें से कोई आयोजिक किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रायोजित 'नेशनल फोरम आफ टीचर्स' का सदस्य था; और

(ग) क्या अध्यापकों से इन उप-कुलपतियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सभी 105 विश्वविद्यालयों से 10 वर्षों की अवधि के बारे में विस्तृत सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी जिसमें लगने वाला समय और श्रम प्रयोजन को देखते हुए अनुपातिक नहीं होगा। कुलपतियों के विरुद्ध शिक्षकों तथा अन्य लोगों की शिकायतों और अभिवेदनों पर ध्यान दिया जाता है और जहां भी विशेष कार्रवाई की आवश्यकता होती है, की जाती है।

Abolishing of Lease of DDA Flats

89. **Chowdhury Balbir Singh :** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether lease of D.D.A. flats is being abolished and they are being made free-hold as per the assurance made in the manifesto of Janta Party ; and

(b) whether the abnormal increase in prices of these flats is being curtailed ?

The Minister of Works and Housing and Supply & Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht) : (a) The question is under consideration.

(b) The pricing policy is under review.

गोहत्या पर रोक

90. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहत्या पर रोक लगाने के लिए परमधाम आश्रम, पौनार, वर्धा के आचार्य विनोबा भावे द्वारा गत वर्ष अनशन करने के निश्चय सहित की गई मांग पर पिछली सरकार ने उक्त विषयक एक योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को किस सीमा तक लागू किया गया है;

(ग) क्या उस समय केरल और पश्चिम बंगाल को इस योजना की परिधि से बाहर रखा गया था; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) केन्द्र सरकार ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में किसी स्कीम की घोषणा नहीं की है। पशुओं के संरक्षण, रक्षा और सुधार का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 2 की प्रविष्टि 15 के अन्तर्गत आता है और इसलिए यह राज्य का विषय है। फिर भी केन्द्र समय समय पर इसके बारे में राज्य सरकारों को सलाह देता रहा है। इस स्थिति के बारे में 3-9-1976 को गृह मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री ने राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया था।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) केरल में पशुओं के वध को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। फिर भी पंचायती कानूनों में उपयोगी पशुओं के वध को रोकने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में भी उपयोगी पशुओं के वध पर रोक लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में पशुओं के वध पर पहले ही आंशिक प्रतिबंध है। राज्य सरकार मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करने तथा गो पशुओं की नस्लों में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठा रही है।

गंगा को कावेरी के साथ जोड़ना

91. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में गंगा को कावेरी के साथ जोड़ने संबंधी योजना के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला अब किस स्थिति में है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) कुछ वर्ष पहले गंगा और कावेरी सहित कुछ नदियों को परस्पर जोड़ने की स्कीम के बारे में कागजी अध्ययन किए गए थे। इस प्रकार की किसी दीर्घकालीन स्कीम के बारे में अन्वेषण कार्य शुरू करने से पहले यह जरूरी है कि विभिन्न बेसिनों, उप-बेसिनों और क्षेत्रों में फालतू जल और जल की कमियों के बारे में गहन अध्ययन किया जाए तथा सूखा-प्रवण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर जल के अन्तर्बेसिन और अन्तक्षेत्रीय ट्रांसफर की सम्भावनाओं का पता लगाया जाए। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी के बंगले की बिक्री

92. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 के अन्त में रायसीना रोड, नई दिल्ली स्थित एक बड़ा बंगला लान और सर्वेंट्स क्वार्टर सहित कांग्रेस पार्टी को बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बंगले का कुल भूमि क्षेत्र कितना है ;

(ग) इस भूमि क्षेत्र का प्रतिमीटर निर्धारित वाणिज्यिक मूल्य कितना है तथा इस इमारत का कुल मूल्य कितना है ; और

(घ) कांग्रेस पार्टी को यह किस मूल्य पर बेचा गया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) रायसीना रोड का बंगला नम्बर 3 के तले की 3,960 वर्ग मीटर (4736.1) वर्ग गज भूमि का प्लाट सितम्बर, 1975 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जवाहर भवन ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बोर्ड को अलाट कर दिया गया था। 3832.251 वर्ग मीटर (4583.325 वर्ग गज) का एक और प्लाट उन्हें दिसम्बर, 1976 में अलाट किया गया। दिसम्बर, 1976 में अलाट किए गए प्लाट में डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड के बंगला नं० 2 और 4 के नीचे की भूमि शामिल है। आवंटन 149.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर (125 रुपये प्रति वर्ग गज) के हिसाब से किया गया था। आवंटन के समय में दोनों प्लाटों के बारे में पूर्व निर्धारित वाणिज्यिक दर 598 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी और रिहायशी दर 299 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।

बोर्ड के न्यासियों को रायसीना रोड पर बंगला नं० 3 के लिए 96,212 रुपये तथा डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड पर बंगला नं० 2 और 4 के लिए, 1,18,980 रुपये की राशि मूल्यह्रास के तौर पर अदा करनी भी अपेक्षित थी। ये राशियां बोर्ड के न्यासियों द्वारा अदा की जा चुकी है।

खेल-कूद परिषद के निर्णय को क्रियान्वित किया जाना

93. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेल-कूद में प्रशिक्षण के सम्बन्ध में खेल-कूद परिषद का निर्णय क्रियान्वित करने के काम में सरकार को कहां तक सफलता मिली है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1980 की ओलम्पिक खेलों के लिये हमारे पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों का चयन करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये समितियां गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) खेल परिषद की सिफारिशों का कार्यान्वयन खेल फेडरेशन/एसोसिएशन पर छोड़ दिया गया है तथा टीमों को अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार की विशेष सहायता की अनुमति देते समय सरकार ऐसी सिफारिशों को ध्यान में रखती है।

(ख) जी नहीं। ये कार्य भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन तथा विभिन्न ओलम्पिक विषयों से सम्बन्धित राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों/एसोसिएशनों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ही आते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'पब्लिक स्कूलों' संबंधी नीति

94. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पब्लिक स्कूलों सम्बन्धी सरकारी नीति का नये सिरे से अवलोकन करने और इन संस्थाओं को समाप्त करने का निर्णय लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के प्रति नये दृष्टिकोण संबंधी संगत बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) पब्लिक स्कूल वह माने जाते हैं जो कि भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। अभी ऐसे स्कूलों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का उपयुक्त भंडारण

95. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों का उपयुक्त भण्डारण नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में किसी शिकायत का पता है तथा तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) खाद्यान्नों का उपयुक्त रूप से भण्डार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) अब तक कुल कितने खाद्यान्न का भण्डार किया गया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल): (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पहली मई, 1977 को भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के पास खाद्यानों का स्टाक क्रमशः 155.1 लाख मीटरी टन और 14.8 लाख मीटरी टन था।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा अपने गोदामों में भण्डारित खाद्यान्नों को उचित प्रकार और वैज्ञानिक ढंग से रखा जाता है। हाल ही में, सरकार के पास खाद्यान्नों का अभूतपूर्व स्टाक होने से भारतीय खाद्य निगम को कवर और प्लिंथ पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ा था और किराए पर ज्यादा गोदाम लेने पड़े थे जो कि किसी भी हालत में सन्तोषजनक नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्टाक का समुचित ढंग से परिरक्षण करने के लिए हर सावधानी बरती जाती है लेकिन पिछले वर्ष के दौरान स्टाक खासकर कवर और प्लिंथ पर भण्डारित वर्षा, तूफान, बाढ़ आदि के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हुआ था।

अधिप्राप्त खाद्यान्नों का उचित ढंग से भण्डारण करने और बफर स्टाक तैयार करने के लिए सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण करवाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम में विश्व बैंक की सहायता से 32 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा, जो अन्य उपाय किए गए हैं उनमें मौजूदा भण्डारण क्षमता का अधिकतम उपयोग, गारण्टीबद्ध अधिभोग आदि पर गोदामों के निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित करना, आदि शामिल हैं।

गुजरात में सूखा

96. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**: क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष सूखे के कारण गुजरात को भारी क्षति हुई थी और अधिक क्षति किसानों को हुई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस राज्य की ज्यादा सहायता नहीं की थी और खाद्यान्नों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई थी;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को कुल कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया था और उनकी कुल मांग कितनी थी;

(घ) क्या मूंगफली की कमी के कारण भी किसानों की दशा शोचनीय हो गई थी; और

(ङ) क्या किसानों का नैतिक बल बढ़ाने के लिए उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) गुजरात सरकार ने वर्ष 1976-77 के दौरान सूखे की स्थिति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। जबकि उन्होंने तूफान तथा भारी वर्षा के कारण फसलों को हुई क्षति के बारे में सूचना दी है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रकार की उचित सहायता दी है और तूफान तथा वर्षा से पैदा हुई स्थिति का जायजा लेने के लिए जिस केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था उसकी सिफारिशों पर राज्य सरकार को 4.25 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की। जहां तक उस समय के खाद्यान्नों के मूल्यों का संबंध है राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है।

(ग) राज्य सरकार को 1,30,000 मीटरी टन गेंहूं तथा 30,000 मीटरी टन मोटे अनाजों की सप्लाई की गई थी और उनकी सम्पूर्ण मांग को पूरा कर दिया गया था।

(घ) तथा (ङ) राज्य सरकार से जानकारी इकठ्ठी की जा रही है।

साक्षरता

97. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में साक्षरता की प्रतिशतता तेजी से नहीं बढ़ी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : देश में साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ रही है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

आयु वर्ग	साक्षरता की प्रतिशतता		
	1951 की जनगणना	1961 की जनगणना	1971 की जनगणना
5+ . .	18.31	28.30	34.45
15 + ...	19.26	27.76	34.08

नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम का क्रियान्वयन

98. **श्री प्रसन्नभाई मेंहता :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 1976 की क्रियान्विति से संबंधी नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्तमान सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अधिनियम को समाप्त कर देने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम 17 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

(ख) अधिनियम उन सभी राज्यों में जहां यह लागू है और सभी संघ राज्य क्षेत्रों में पहले ही कार्यान्वित किया जा रहा है। की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(1) सक्षम अधिकारी नगर-भूमि ट्रिब्यूनल तथा अपील अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है।

(2) अधिकतम सीमा के भीतर रखी हुई खाली भूमि के हस्तान्तरण के बारे में अधिनियम की धारा 26 के अधीन नोटिस दिए जा चुके हैं तथा दिए जा रहे हैं।

(3) अधिनियम की धारा 27 के अधीन नगर सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिए पिछली अनुमति के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई है और की जा रही है तथा अनुमति दी जाती है।

(4) अधिनियम के कार्यान्वियन को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति नियुक्त की गई है।

(5) खाली भूमि का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(6) अधिक भूमि के लिए दी जाने वाली राशि की दर निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए विभिन्न जोनों को नगर समूहों में विभाजित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(7) व्यक्तियों के दखल में अधिक खाली भूमि के विवरण सक्षम अधिकारी को प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

यह कर्नाटक सरकार से मालूम हुआ है कि सरकार के पास पहले से ही कुछ खाली भूमि मौजूद है।

(8) अधिनियम की धारा 20 के अधीन लोकहित या कठिनाई के आधार पर छूट देने के लिए आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। अभी तक निम्नलिखित मामलों में छूट दी जा चुकी है :—

आन्ध्र प्रदेश .	122
गुजरात .	685
कर्नाटक . .	153
महाराष्ट्र	5
पंजाब	2
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिमी बंगाल	25
दिल्ली	89
छावनी क्षेत्र	2

(ग) तथा (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति में प्रगति

99. **श्री एस० बी० मुरुगय्यान** :

श्री पी० के० कोडियन :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी पुनरीक्षित कानूनों के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों को निर्धारित अवधि में लागू करने की प्रक्रिया पूरी करने की सरकार की क्या योजना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी पर आधारित एक विवरण सलंग्न है।

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वयन की स्थितियां अलग-अलग हैं। अतः इस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय अलग-अलग होगा। फिर भी राज्यों को इस कार्य को अति शीघ्र पूरा करने की सलाह दी गई है।

विवरण

(क्षेत्र एकड़ों में)

राज्य/संघ क्षेत्र	घोषित अभि-शेष क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वितरित	
			क्षेत्र	लाभानुभोगियों की संख्या
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	11,91,485	2,04,059	98,361	63,519
असम	5,57,148	5,44,137	2,52,615	2,10,968
बिहार	2,25,777	1,10,124	1,10,124	1,15,348
गुजरात	36,973	884	कुछ नहीं	कुछ नहीं
हरियाणा	2,639	35,387	31,905	11,035
हिमाचल प्रदेश	85,037	75,042	4,141	5,986
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—
कर्नाटक	1,09,441	कुछ नहीं	27,213	4,893
केरल	1,14,508	58,419	32,377	49,273
मध्य प्रदेश	2,82,379	1,11,580	27,074	10,914
महाराष्ट्र	3,46,748	2,47,884	2,47,884	66,346
मणिपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
उड़ीसा	1,12,402	90,982	63,558	48,195

1	2	3	4	5
पंजाब	20,336	3,015	4,197	2,169
राजस्थान	2,49,812	2,23,070	1,05,033	23,550
तमिलनाडु	44,535	40,343	39,014	22,021
त्रिपुरा	4,954	736	116	126
उत्तर प्रदेश	2,29,456	1,92,867	1,21,146	1,19,509
पं० बंगाल	85,319	64,413	39,041	61,511
दादर तथा नगर हवेली	7,220	4,374	1,179	501
दिल्ली	741	17	कुछ नहीं	कुछ नहीं
पांडिचेरी	1,731	697	586	680
योग: .	37,08,641	20,08,030	12,05,564	8,16,544

चीनी के मूल्य में वृद्धि

100. **श्री एस० जी० मुरुयान :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) उचित मूल्य की दुकानों से वितरित की जा रही लेवी चीनी के मूल्य देश भर में समान हैं और इन्हें दिसम्बर 1972 से देश भर में 2.15 रुपये प्रति किलोग्राम के इसी स्तर पर बनाए रखा जा रहा है।

मई, 1977 के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में स्थिरता से गिरावट की प्रवृत्ति रही। जून, 1977 के प्रथम तीन दिनों में, देश की प्रमुख मंडियों में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में लगभग 2/- रुपये प्रति क्विंटल की मामूली वृद्धि हुई। मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में कमी लाने की दृष्टि से सरकार ने मास जून 1977 में बेचने के लिए 15,000 मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की थी अर्थात् जून के लिए कुल 1.20 लाख मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की गई थी। यह मात्रा मई, 1977 में निर्मुक्त की गई मात्रा से 30,000 मीटरी टन अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप जून के प्रथम सप्ताह के उत्तरार्ध में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में 8/ रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आयी।

Agriculture Institute at Jhabua in M. P.

101. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) the reasons why even after the approval having been given for opening an agriculture institute at Jhabua in District Alirajpur, preliminary action is not still being taken there on ;

(b) the amount sanctioned so far for the agriculture institute by the Central Government and the State Government ;

(c) the area of land proposed to be acquired for the agriculture institute ;

(d) the action taken so far in regard to the scheme; and

(c) whether any final traget has been fixed for the completion of the scheme and if so, when it is lihely to be achieved?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) to (e) The Ministry of Agriculture and Irrigation, Government of India is not aware of any proposal for opening an agriculture institute at Jhabua in District Alirajpur, Madhya Pradesh. The State Government have been requested to furnish information relating to the proposal, if any. A reply will be furnished to the Honourable Member on receipt of information from the Madhya Pradesh Government.

Harassment of Small Farmers

102. **Shri Ishwar Chaudhary :**
Shri Meetha Lal Patel :

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received complaints to the effect that some land owners have forcibly occupied the land allotted to the weakersections of society under the land distribution policy laid down by the previous Government for such sections of society ; and

(b) whether the Central Government have received such complaints ; if so, from which States and steps taken in this regard?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal): (a) No.

(b) The question does not arise.

Proposed Amendment to Urban Land Ceiling Act

103. **Shri Ishwar Chaudhary** :Will the **Minister of Works and Housing** and **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received indications that provisions of many Sections of Urban Land Ceiling Act are impracticable and these require to be amended ; and

(b) if so, the relevant Sections of the Act ?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht) : (a) & (b) : Several representations have been received suggesting that the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 should be repealed or amended with a view to making the implementation of its provisions practicable. No decision has been taken on the lines on which the Act should be amended.

गोल पोस्ट आफिस, नई दिल्ली के निकट
केन्द्रीय सरकार की जमीन पर कब्जा

104. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नई दिल्ली में गोल पोस्ट आफिस के सामने केन्द्रीय सरकार की भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, यदि हां, तो कब से, और

(ख) क्या वह जिस भूमि पर कब्जा किए हुए है उसके लिए सरकार को कोई किराया अदा कर रहे हैं; और

(ग) अदा किए गए किराये का विवरण क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) तक : गोल डाकखाना के सामने वाली चैमरियां 2397 रुपये प्रतिमास के किराये पर 6 मार्च, 1969 से विश्वायतन योगाश्रम को आबंटित की गई थीं जिसके प्रबंध न्यासी श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे। चैमरियों के तले की भूमि विश्वायतन योगाश्रम को आबंटित करने के लिए 25 अगस्त, 1969 को मंजूरी दी गई थी। संरचनाएं 62,674 रुपये की मूल्यह्रास लागत पर बेची गई। चैमरियों के लिए दिया गया किराया इस रकम में समायोजित किया गया। संरचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर गिराया जाना था। योगाश्रम के प्रबंधकों ने मूल्य ह्रास लागत का भुगतान कर दिया और दो रसोई घरों को छोड़कर शेष संरचनाओं को निर्धारित अवधि के अन्दर गिरा दिया।

पहले आबंटित की गई भूमि के आसपास की 1053 वर्गगज अतिरिक्त भूमि विश्वायतन योगाश्रम को देने के लिए 16 सितम्बर 1970 को मंजूरी दी गई थी।

स्कूलों और कालेजों में परीक्षा प्रणाली

105. **श्री बशीर अहमद** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण प्रणाली तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या स्कूलों और कालेजों में वर्तमान परीक्षा प्रणाली की जांच करने और उसमें परिवर्तन करने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : हां श्रीमान जी, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकर बोर्ड द्वारा स्थापित समिति की परीक्षाओं के बारे में रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले ही कार्यवाही शुरु कर दी है। इस समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय शिक्षा मंत्री हैं और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा-विद इसके सदस्य हैं। परीक्षा में सुधार की कार्यवाही के लिए एक योजना सभी राज्य सरकारों में कार्यवाही हेतु परिचालित की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में सुधार लाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। राज्यों के शिक्षा विभागों

के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल स्तर की परीक्षाओं में सुधार के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। इन सुधारों के सिद्धान्त हैं :—

(क) परीक्षाएं छात्रों के विकास की वैध और विश्वस्त मापदण्ड होनी चाहिए।

(ख) वे (परीक्षाएं) पुनर्निवेशन के माध्यम से शिक्षण और शिक्षा प्राप्ति में सुधार की शक्तिशाली साधन होने चाहिए।

अल्प संख्यक समुदाय की संस्थानों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

106. **श्री बशीर अहमद :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अल्प संख्यकों की संस्थाओं को मान्यता देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्दर) : जी नहीं।

निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम का निरसन

107. **श्री बशीर अहमद :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम वर्ष 1950 के 31वें के निरसन तथा निराकरण करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी, नहीं।

कृषि उत्पाद के मूल्य

108. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में कृषि उत्पादन के प्रत्येक मद के मूल्य में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी कारण तथा तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण कृषि जिंसों की 26-2-1977 से 21-5-1977 तक की थोक मूल्यों (अद्यतन/उपलब्ध) का सूचकांक प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है? हालांकि प्रत्येक सप्ताह की स्थिति में भिन्नता है, फिर भी समग्रत चावल और दालों तथा पटसन, मूंगफली तथा गुड़ के मूल्य सूचकांक में कुछ वृद्धि हुई हैं। परन्तु गेहूं और कपास जैसी जिंसों के मूल्य सूचकांक में गिरावट आई है।

विभिन्न जिंसों के मूल्यों में वृद्धि अथवा गिरावट के विभिन्न कारण हैं। सामान्यतया खरीफ के मौसम में उत्पादित कृषि जिंसों के मूल्यों में वृद्धि कुछ हद तक मौसमी वृद्धि है। दालों, मूंगफली जैसे कुछ मामलों में यह वृद्धि उत्पादन में गिरावट के कारण है।

थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक
(आधार 1970–71-100)

को समाप्त होने वाला सप्ताह	धान्य	चावल	गेहूं	ज्वार	बाजरा	मक्का	दालें	कपास	पटसन	तिलहन (पांच प्रमुख तिलहन)	मूंगफली	तोरिया और सरसों	गुड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26-2-77	161.3	157.5	163.9	160.1	167.3	177.5	178.3	220.8	140.1	194.6	186.1	234.2	212.4
5-3-77	160.0	156.3	162.3	161.6	158.8	179.3	174.8	210.9	140.7	189.8	179.7	228.6	212.4
12-3-77	159.5	155.5	161.6	160.7	163.2	179.5	173.9	208.1	141.4	189.4	184.1	224.1	214.2
19-3-77	159.5	156.2	161.2	160.0	162.2	179.5	172.7	210.0	143.2	175.4	169.3	197.7	208.8
26-3-77	158.7	156.8	159.3	154.7	162.7	176.1	171.0	208.5	142.9	175.3	173.1	193.4	205.7
2-4-77	158.4	158.6	156.1	155.3	161.9	175.9	167.7	208.7	143.0	171.2	169.6	187.9	204.8
9-4-77	158.4	160.0	155.1	155.4	160.4	173.7	167.2	207.5	144.3	176.8	171.1	205.6	205.0
16-4-77	158.3	161.1	153.1	157.2	160.3	174.8	167.7	209.7	142.8	178.4	178.9	209.1	209.0
23-4-77	156.8	161.2	148.7	156.3	161.0	172.1	166.6	210.5	144.8	180.4	178.7	204.5	209.6
30-4-77	156.4	161.7	146.5	156.0	159.3	171.2	171.6	211.1	145.1	185.2	185.2	212.0	206.3
7-5-77	157.1	162.4	146.6	158.0	160.4	173.5	177.9	213.2	142.4	189.6	191.3	215.1	204.6
14-5-77	158.2	163.5	148.0	155.9	163.1	175.6	188.6	213.2	147.0	193.5	195.6	218.8	217.0
21-5-77	159.5	164.7	149.0	155.3	16[illegible].5	175.5	191.6	214.6	143.6	195.1	194.0	227.7	216.4

स्रोत : अर्थ सलाहकार का कार्यालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की व्यवस्था

109. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवारों को मकानों की आवश्यकता है,

(ख) गत दो वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने परिवारों को एक-एक मकान दिए गए हैं ;

(ग) शहरी क्षेत्रों में कितने परिवारों के पास मकान हैं ;

(घ) शहरी क्षेत्रों में कितने परिवारों को मकान दिए गए, और

(ङ) भविष्य में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परिवारों को मकान देने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1974 को इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में 118 लाख मकानों की कमी थी।

(ख) 13 राज्य सरकारों तथा 7 संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान उनके अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 3,33,151 मकान/कुटीर बनाए गये। इस सम्बन्ध में शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने अनुमान लगाया है कि पांचवीं योजना के प्रारम्भ में शहरी क्षेत्रों में परिवारों की संख्या तथा प्रयोगनीय मकानों की संख्या क्रमशः 217 तथा 179 लाख थी जिसमें मकानों की कमी 38 लाख थी।

(ङ) पांचवीं योजना में आवास कार्यक्रम का मुख्यतः ध्यान समाज के पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने की ओर था। इस उद्देश्य की प्राप्ति राज्य आवास बोर्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों के लिए वास-स्थल की व्यवस्था के कार्यक्रम व्यापक रूप से करके तथा आवासीय कालोनियों के निर्माण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देकर की जा सकती है। यद्यपि, इस कार्यक्रम का अधिकांश भाग राज्य योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है, किन्तु मकानों की इस बढ़ती हुई मांग को केन्द्रीय क्षेत्र में आवास तथा नगर विकास निगम की गतिविधियों को बढ़ाकर पूरा किया जा रहा है। पांचवीं योजना में राज्य क्षेत्र की आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तथा बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना, जो केन्द्रीय क्षेत्र में हैं, के लिए 510.56 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

राज्यों में छात्रों और अध्यापकों की मांग

110. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कई राज्यों में छात्र और अध्यापक अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इन मांगों के बारे में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को क्या निदेश दिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री पी० सी० चन्द्र) (क), (ख) और (ग) जी हां, अनिवार्य उपस्थिति को समाप्ति परीक्षाओं का स्थगन, अच्छे सुखसाधनों की व्यवस्था आदि विद्यार्थियों की मुख्य मांगें हैं। अध्यापकों के मामले में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परिशोधित वेतनमानों का कार्यन्वयन, परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक का भुगतान तथा वेतन निर्धारण में असमानताएं, मुख्य मांगे हैं।

राज्य सरकारों द्वारा अध्यापकों और छात्रों की मांगों की जांच होनी ही चाहिए और केन्द्र द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। तथापि यह, सलाह दी गई है की अध्यापकों और छात्रों की अपनी शिकायतों को कहने का अवसर दिया जाना चाहिए और उन पर फौरन ध्यान देना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

111. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के बारे में कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) विश्वविद्यालय स्तर पर मनमाने ढंग से की जाने वाली नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्दर) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के विरुद्ध छात्रों अध्यापकों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अभिभावकों से उनकी कठिनाईयों को दूर करने के बारे में शिकायत और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

ऐसी कठिनाइयों को, जिनकी विश्वविद्यालय द्वारा जांच की जा सकती है, आवश्यक कार्यवाही के लिए विश्वविद्यालय के पास भेज दिया जाता है। उन शिकायतों को, जिन पर सरकार द्वारा आगे विचार करना अपेक्षित है विश्वविद्यालय के पास उसके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है। इस के बाद मामले की यह देखने के लिए जांच की जाएगी कि क्या विश्वविद्यालय की कार्यवाई विश्वविद्यालय के अधिनियम, सांविधि और अध्यादेश के अनुरूप नहीं है और भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से उपयुक्त सलाह दी जाएगी।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत करना

112. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1 जनवरी, 1977 से कितनी अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत किया है ;

(ख) दिल्ली में उन कालोनियों के नाम क्या हैं जो अधिकृत हैं परन्तु जिन्हें दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार में नहीं लिया है ;

(ग) सरकार को 1 जनवरी, 1977 के बाद अनिधिकृत तथा अधिकृत कालोनियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रत्येक कालोनी से प्राप्त इन अभ्यावेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) अनधिकृत कालोनियों को अधिकृत घोषित करने में तेजी लाने तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिकृत कालोनियों की सेवाएं अपने हाथ में लेने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :(क) 1 जनवरी, 1977 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसी अनधिकृत कालोनी का नियमितिकरण नहीं किया गया है। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 16 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेशों के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिगरण के लिए प्रस्तावों पर कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) तथा (घ) : अनधिकृत कालोनियों से प्राप्त अभ्यावेदन मुख्यता कालोनियों के नियमितिकरण और कालोनियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था जैसे स्थानीय मामलों से संबंधित है। अधिकृत कालोनियों से अभ्यावेदन भी मुख्यता नागरिक सुविधाओं के देने से संबंधित है। इन्हे आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को भेज दिया जाता है।

(ङ) 16 फ़रवरी, 1977 को सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण और विकास की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए एक कार्यान्वियन निकास 2 मई, 1977 को गठित किया गया है। दिल्ली नगर निगम द्वारा उन अधिकृत कालोनियों की सेवाएं अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचार सक्रिय रूप से किया जा रहा है जिन्हें उसने अभी तक अपने अन्तर्गत नहीं लिया है।

दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

113. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 अथवा 6 के अन्तर्गत दिल्ली में कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और कब से की गई है ;

(ख) अब तक कितनी भूमि का विकास किया गया है तथा उसमें कितने फ्लैटों अथवा क्वार्टरों का निर्माण किया गया है ;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि का विकास करके कितने प्लाटों की नीलामी की है तथा कितने प्लाट बिना नीलामी किए अलाट किए गए हैं;

(घ) गत चार वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितना मुनाफा कमाया है, और

(ङ) यदि आगामी तीन वर्षों में जिन प्लाटों का विकास नहीं किया जा सकता तो उन्हें क्या सरकार उनके मालिकों को लौटा देगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भूमि अधिग्रण अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन अधिसूचित भूमि का कुल क्षेत्र इस प्रकार है :—

धारा 4 के अधीन	74,372.36 एकड़
धारा 6 के अधीन	64,790.84 एकड़

कार्यवाही 7 मार्च, 1957 को शुरू की गई थी।

(ख) (1) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित भूमि का कुल क्षेत्र 8100 एकड़* है।

*इन आंकड़ों में पुनर्वास कालोनियों और झुग्गी झोंपड़ी उन्मूलन योजना तथा गन्दी बस्ती टेनमेन्टस के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

(2) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए मकानों की संख्या 29350 है।

(ग) (1) नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या 7,786

(2) पर्ची निकाल कर बेचे गए प्लाटों की संख्या 21,300

(घ) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखों के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के व्यय करने के बाद शुद्ध लाभ इस प्रकार है :—

	(लाख रुपयों में)
1972-73	275.40
1973-74	254.33
1974-75	219.30
1975-76	57.05

(ङ) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर स्टेनोग्राफर श्री कमल कान्त चड्ढा की मृत्यु

114. **श्री अरविन्द बाला पजनौर** : क्या : **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर स्टेनोग्राफर श्री कमल कान्त चड्ढा ने किन परिस्थितियों के कारण आत्महत्या की;

(ख) क्या स्थानान्तरण पद त्याग की स्थिति में सेवा मुक्त करने के सम्बन्ध में नियमों तथा विनियमों का पुर्नविलोकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सभी विभागों में प्रचलित प्रक्रिया का पुर्नविलोकन करने का है ताकि इस प्रकार की मौतें रोकी जा सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) पुलिस से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) फिलहाल ऐसी कोई पुनरीक्षा करने का विचार नहीं है।

गन्दी बस्तियां हटाना तथा उनका सुधार

115. **श्री अरविंद बाला पजनौर : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्दी बस्तियां हटाने तथा उनका सुधार करने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ;

(ख) यह समस्या कितनी विस्तृत है ; और

(ग) गन्दी बस्तियां की वृद्धि तथा उनका प्रसार रोकने के लिए यदि कोई समयबद्ध योजनाएं बनाई गई हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार योजना मई, 1956 में आरम्भ की गई थी और योजना 1 अप्रैल, 1969 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दी गई थी। योजना जिन मूल सिद्धान्तों पर आधारित है, वह इस प्रकार हैं :—

(i) गन्दी बस्ती निवासियों को कम से कम विस्थापित किया जाना चाहिए तथा प्रयास यह कि जहां तक सम्भव हो, उन्हें गन्दी बस्ती के मौजूदा स्थान पर या उसके समीप स्थान पर पुनः बसाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने रोजगार वंचित न हो जाएं।

(ii) किराये को गंदी बस्ती निवासियों की अदायगी की क्षमता के भीतर रखने के लिए, किसी विस्तृत संरचना के निर्माण पर बल दिये जाने की बजाए

उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग

116. **श्री अरविन्द बाला पजनौर :**

श्री जी० वाई० कृष्णन:

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन की अधिकतम वृद्धि करने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिकों उर्वरकों की उचित उपयोग की मात्रा निर्धारित करने हेतु कोई मापदण्ड बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उर्वरकों का उपयोग करने की तकनीक का बड़े पैमाने पर प्रचार कहां तक किया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय समेकित नीति बनाने और उसे लागू करने का है ताकि स्वल्प संसाधनों को संरक्षित रखा जाय तथा उन्हें प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जाय ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां, खाद्य उत्पादन की अधिकतम वृद्धि करने के लिए उर्वरकों के उचित उपयोग की मात्रा निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में मापदण्ड बनाया गया है।

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों के लिए समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने उर्वरकों तथा कार्बनिक खादों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय समेकित नीति तैयार की हुई है। देश के चुने हुए जिलों में अधिक प्रभावशाली और कम खपत वाले उर्वरक के विषय में एक विशेष उर्वरक संवर्धन अभियान शुरू किया गया है। कार्बनिक खादों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें यांत्रिक कम्पोस्ट संयंत्रों व गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करना तथा हरी खाद बनाने के कार्य को गतिमान करने का कार्य शामिल है।

गेहूं का मूल्य निर्धारित करने के आधार

117. **श्री आर० के० महालगी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गेंहू का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विटल का निर्धारण किन आधारों पर किया गया था।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर और राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद 1977-78 में मूल्य साहाय्य उपाय के रूप में उचित औसत किस्म की गेहू के लिए 110 रुपये प्रति क्विटल के मूल्य निर्धारित किए गए हैं। 110 रुपए प्रति क्विटंल के मूल्य साथ-साथ उत्पादन लागत के उपलब्ध आंकड़ों, आदानों के मूल्यों में किए गए परिवर्तनों, पैदावार की सम्भावनाओं मूल्यों की सम्भावी प्रवृत्ति और कुल मिलाकर देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। गेहूं के संचालन पर लगे प्रतिबन्धों को भी हटा लिया गया है और आशा है कि इससे उत्पादकों को उनकी पैदावार का अधिक मूल्य मिलेगा।

Research by I.C.A.R.

118. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of Agriculture and Irrigation be pleased to state :

(a) facts of research work conducted by the Indian Council of Agricultural Research during the last two years with the help of gama rays ; and

(b) the efforts made to make these achievements available to farmers ?

Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) The I.C.A.R. has used gamma radiation for the following research work :—

(i) rectification of simply inherited defects in varieties of crop plants which are otherwise good. This approach has been used in rice, wheat, *bajra* barley and cotton;

(ii) post-harvest disease control Preliminary studies have been conducted for the control of a fungal disease of tomato fruits by the combined treatment of gamma radiation and hot water ;

(iii) control of insect pests of stored grains;

(iv) production of morphological and bio-chemical mutants at cellular level ; and

(v) production of radiation attenuated lungworm vaccine, both at the I.V.R.I. Izatnagar and its Regional Centre at Rawalpora, Srinagar, J & K State.

(b) Economically useful mutations of crop varieties are rigorously tested for their practical utility on the I.A.R.I. farms, and their promises verified in larger trials under the All-India Coordinated Crop Improvement Projects and in testing by the State Department of Agriculture. As a result of these efforts two strains of cotton have been released for cultivation in the States of Orissa and Maharashtra. Also, the disease resistant male sterile parent of *bajra* hybrids has been utilized for reconstituting new hybrids which have already been identified by the Workshop of the All India Coordinated Millet Improvement Project. Useful mutants of wheat, barley and rice are under further testing, as per the procedure devised by the respective All India Coordinated Research Projects before they can actually reach the farmers.

The vaccine developed at the I.V.R.I., Izatnagar and its Regional Centre at Rawalpora Srinagar (J & K) was found to be highly efficacious in controlling lungworm disease in sheep. Large numbers of doses were supplied to Animal Husbandry Departments in Bhutan, U.P. State Breeding Farm, Rishikesh and Sheep Department of J & K. The Vaccines were done on sheep in Govt. farms as well as private breeders. This vaccine has benefited the farmers economically.

Three Language Formula

†119. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the implementation of three-langauge formula and whether Government propose to introduce some changes in it and

(b) if so, the nature thereof and by what time ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a) & (b) The implementation of Three-Language Formula is basically a responsibility of the State Governments. The formula was evolved by the Government of India in consultation with the State Governments and on the advice of the Central Advisory Board of Education, which considered the language question in depth in 1956. The Meeting of the Chief Ministers of States and the Central Ministers held in August, 1961 simplified the formula and agreed to its adoption in the States.

According to the information available, the three-language formula, in some cases with local modifications, is being implemented in all the States except Tamil Nadu, Nagaland, Mizoram and Pondicherry (in the Pondicherry and Karaikal areas). In Tamil Nadu, the State is following two-language formula in view of adoption of a resolution in 1968 by the State Legislature. In Nagaland, English being the State language, the Three-Language Formula is not being followed. In Mizoram it has not so far been possible to introduce Hindi in the curriculam of studies. In Pondicherry (in the Pondicherry and Karaikal areas), schools have to follow the Tamil Nadu syllabi. Further, some of the Hindi speaking States have not found it possible yet to introduce a Southern language as one of the three-languages.

There is no proposal at present to introduce any change in the Three-Language Formula.

Foodgrains Procurement Centres in Aligarh

120. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased sto state :

(a) whether foodgrains procurement centres have not been opened in Aligarh district as was done last year ; and

(b) if so, the reasons therefor and whether a list of such centres opended last year and this year by various Government and Cooperative agencies will be placed on the Table of the House ?

The Minister of Agricultue and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) & (b) The Government of Uttar Pradesh have reported that 90 purchase centres have been opened in Aligarh District during 1977-78 as against 106 opened last year. Lesser number of centres have been opened this year because of discontinuance of levy on producers. Details of the purchase centres opened during the two years are indicated in the Statements enclosed as Annexures I & II. [Placed in Library. *See* No. L.T. 299/77]

Social Welfare Schemes in Aligharh

121. Shri Nawab Singh Chauhan : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the main social welfare schemes of his Ministry being carried out in Aligarh district and the man power engaged therefor and the results achieved so far ; and

(b) whether these schemes are being carried out through the State Govenemnt and if so, the extent of its participation therein ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chander) : (a) and (b) A statement giving the requisite information is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 300/77].

Wheat Production

122. Shri Yagya Datt Sharma :
Shri D.D. Desai :

Will the Minister of **Agriculture and Irriagation** be pleased to state :

(a) whether there has been less wheat production this year as compared to the production of wheat during the last three years;

(b) if so, the extent to which wheat production has fallen short this year;

(c) the factors responsible for less production; and

(d) the remedial steps proposed to be taken by Government?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal): (a) to (d) Estimates of production of wheat from all the producing States have not yet been received.

However, on present indications the total output of wheat during 1976-77 is not expected to show much difference from last year's record level of 28.34 million tonnes. The output is expected to be considerably higher than that in 1974-75 and 1973-74 when the total production was 24.10 million tonnes and 21.78 million tonnes respectively. Some of the factors which adversely affected the crop during 1976-77 were delay in the onset of winter rains, frost in frost-prone areas, hailstorms in Punjab and Haryana and unseasonal rains in April, 1977. However, larger supply of fertilisers and arrangements for their availability at easily accessible locations to the cultivators as also steps taken to minimise power shortages during the crucial periods of crop season helped to reduce the effect of adverse weather on the crop output.

Price of procurement and supply of wheat by F.C.I.

123. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the **Minister of Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the difference between the price at which wheat is procured by the Food Corporation of India from farmers and the price at which it is supplied to the consumers;

(b) the steps taken to reduce this difference; and

(c) the results achieved therefrom?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal): (a): Food Corporation of India and other state agencies are purchasing wheat of fair average quality at the support-price of Rs. 110 per quintal as fixed by the Government of India for 1977-78. Supplies are made to the State Govts. from the Central Pool at the issue price of Rs. 125 per quintal ex-FCI depot. To this, State Govts. add their distribution cost which include taxes, transport charges, wholesalers and retailers margins, etc. which vary from State to State. Consequently the retail price is different for different States.

(b) & (c) : Continuous efforts are being made to reduce the procurement and distribution costs incurred by the Food Corporation of India. The State Govts. have also been requested from time to time to reduce their handling costs. As a result, there has been some narrowing down of the difference between the procurement price and the retail price paid by the consumer.

Damage to Agriculture due to Rain

124. **Shri Yagya Datt Sharma:**

Shri K. Lakkappa:

Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether several parts of the country have had untimely rain this year;

(b) if so, the total damage caused to agriculture due to this untimely rain; and

(c) whether Government are formulating any scheme for giving relief to the farmers for this damage?

The Minister for Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) to (c) The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House as soon as the same is received.

Permanent Resettlement of persons rendered homeless in Indo-Pak War

125. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons rendered homeless during the 1971 Indo-Pak War who have since been resettled permanently;

(b) the names of places where the remaining persons have been housed at present along with their number;

(c) the medical and educational facilities provided at the places of their residence; and

(d) the time by which Government propose to resettle them?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikandar Bakht): (a) About 17,000 persons were uprooted from Chhamb Niabat in Jammu and Kashmir. Of these, 13,500 persons are in the resettlement phase.

(b) The remaining 3500 persons are staying in Kishanpur camp in Jammu Division.

(c) Medical and educational facilities are available to the displaced persons in Kishanpur camp. At the resettlement sites also these facilities are provided or made available from the nearby abadis.

(d) It is expected that remaining families in camp would also be moved to the resettlement sites by 1978-79.

Categories of houses available for M.Ps. and Officers in Delhi

126. **Shri Brij Bhushan Tiwari:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state;

(a) the number of various categories of houses available for M.Ps. and high officers in Delhi;

(b) the number by which they fall short of the requirement;

(c) whether most of the former Ministers M.Ps. and officers are not vacating the houses;

(d) if so, the names of those from whom market rent is being charged; and

(e) the action being taken by Government to get the unauthorised occupation of those houses vacated?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) and (b) The number of various categories of houses in Delhi available for Members of Parliament and officers of the rank of Joint Secretary and above, and the numbers by which they fall short of the requirements are as under:—

Category of house	No. of houses available		Number by which the houses fall short of requirement
	for M.Ps.	for Officers	
Type VI	83 (Types VI–VIII)	504	500
Type VII		126	248
Type VIII		25	28
M.Ps. Pool comprising flats and bungalows of types V to VIII	676	—	27
Total	759	655	803

(c) At present five former Ministers, 97 former Members of Parliament and 7 Government officers are unauthorisedly occupying Government residences. Another 67 former Members of Parliament have vacated the residential units but are still retaining the servant quarters and/or motor-garages.

(d) Rent for the Government residences occupied by former Ministers is being charged under 'FR-45-B' with departmental charges as per provisions of the Ministers' Salaries and Allowances Act. Rent for the residences occupied by former Members of Parliament and Government officers is being charged at market rates from the dates of expiry of the concessional period allowed to them. In the case of one officer, rent is being charged at thrice the market rate, as eviction order against him has been passed. The names of former Members of Parliament and Government officers, who are occupying Government residences and from whom market rents (or thrice the market rent) are being charged, are given in the statement (annexed). [Placed in Library. *See*. No. L.T. 301/77]

(e) Eviction proceedings have been initiated against the unauthorised occupants of Government residences, except in the case of one former Minister, namely, Shri V.C. Shukla and one ex-Member of Parliament, namely, Shri G. L. Nanda. Shri V. C. Shukla has undertaken to vacate the Government residence by 30th June, 1977. The case for regularisation of the Government residence in the name of Shri G. L. Nanda in his capacity as Vice-Chairman of the Central Citizens' Council is under consideration of Government.

खाद्यान्न के अपर्याप्त भण्डारण के कारण हुई हानि

127. **श्री आर० कोलनथाईवेलु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्न के दोषपूर्ण अथवा अपर्याप्त भण्डारण के कारण कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्न की हानि हुई है ;

(ख) भण्डारण की व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार भण्डारण से होने वाली हानि को कम से कम करने तथा खाद्यान्न के पोषक गुणों को बनाये रखने के बारे में केन्द्रीय आहार प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर द्वारा किए गए अनुसन्धानों से अवगत है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उनका बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) भारतीय खाद्य निगम अपने गोदामों में वैज्ञानिक तरीकों से खाद्यान्नों का भंडारण करता है। तथापि, ढके भण्डारण स्थानों की कमी के कारण भारतीय खाद्य निगम के पास 31 मार्च, 1977 को कैप में भण्डार किया गया लगभग 54 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था। 1976-77 के दौरान कैप में रखे 3.53 करोड़ रुपये के मूल्य के 25,352 मीटरी टन खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो गए थे और मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं रहे थे।

(ख) इस सम्बन्ध में जो पग उठाए गए हैं उनमें वर्तमान भण्डारण क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करना, अतिरिक्त ढके स्थानों को किराये पर लेने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारी पैमाने पर गोदामों का निर्माण करना और गारण्टीबद्ध अधिभोग आधार पर निजी पार्टियों द्वारा गोदामों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय खाद्य औद्योगिकी अनुसंधान संस्था, मैसूर में भण्डारण के दौरान हानि को कम करने और पौष्टिकता बनाए रखने से संबंधित अनुसंधान कार्य बराबर किया जाता है। इसके परिणामों को भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम आदि को उपलब्ध किया जाता है और जहां कहीं भी इनको लागू करने की आवश्यकता समझी गई, वहां उन्हें लागू किया जा रहा है। हाल ही में, संस्था ने कुछेक कीटनाशक उपायों का सुझाव दिया था और इनका केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

कालड़ा सिंचाई परियोजना

128. **श्री आर० कोलनयाईवेलु :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में स्वेच्छा से कार्य करने के उदाहरणों के बारे में जानकारी है जैसा कि मनकल्ला में वृहत कालड़ा सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत एक लम्बी नहर की खुदाई का कार्य है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का अन्य सभी राज्यों को सिंचाई तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए युवा शक्ति का सार्थक उपयोग करने के लिए उत्साहित करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचित किया है कि आम जनता से प्राप्त इन सिफारिशों के सन्दर्भ में कि कालड़ा परियोजना का काम बड़ी धीमी गति से हो रहा है, राज्य सरकार ने परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए जनता का सहयोग लेने का निश्चय किया है। इस प्रयास के भाग के रूप में कालड़ा परियोजना की दाएं किनारे की नहर की 3 किलोमीटर लम्बी सस्थामकोट शाखा नहर को, जिसमें अधिकांशत: मिट्टी का काम किया जाना था, जनता के सहयोग से क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया गया ; यह सहयोग राजनीतिक दलों और सामाजिक सेवा संगठनों की मार्फत लिया गया। 27-12-76 से लेकर 46 दिन तक की अवधि में श्रमदान द्वारा नहर की खुदाई के लिए लगभग 66665 घन मीटर मिट्टी का कार्य और भराई के लिए 21661 धन मीटर मिट्टी का कार्य किया गया। राज्य सरकार ने स्वयं सेवकों को पानी एवं बिजली, सफाई, विश्राम तथा ठ;रने के लिए कैम्प-शैड, बुनियादी डाक्टरी सुविधाएं तथा औजारों आदि की सुविधाएं प्रदान कीं। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य पर लगभग 2 लाख रुपए व्यय किए गए जबकि अन्यथा इस कार्य पर दस से बारह लाख रुपये व्यय होते ।

(ग) सिंचाई राज्य विषय हैं और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अनुसंधान तथा निर्माण कार्य राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है। राज्य सरकारें निर्माण सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध जन-शक्ति को जुटाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए स्वतन्त्र हैं। सरकार विभिन्न निर्माण-गतिविधियों में जनता के भाग लेने को प्रोत्साहन देती है तथा स्थानीय स्थितियों एवं अन्य बातों पर निर्भर करते हुए, ऐसे उद्देश्यों के लिए युवा-शक्ति तथा स्वेच्छा से कार्य करने को बढ़ावा दिया जाता है ।

Sugarcane Growers

129. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether the sugarcane growers have constantly been demanding abolition of reserve zones fixed for different sugar mills;

(b) whether this system of reserve zones causes much inconvenience to the sugarcane growers as the sugar mill owners act arbitrarily and they do not take any action either for timely purchases of sugarcane or timely payment ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) & (b) No Sir.

(c) Does not arise.

Disposal of sugar by dealers in Ratlam and Mandsaur in Madhya Pradesh during 1970-71

130. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** and **Irrigation** be pleased to state :

(a) whether certain sugar dealers of Ratlam and Mandsaur in Madhya Pradesh had disposed of sugar which they had brought from other States in 1970-71 somewhere else instead of bringing the same there and this had indulged in malpractice;

(b) whether a criminal case has been registered against such traders on the directive from the Centre ; and

(c) if so, the present position in regard thereto ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) Yes, Sir.

(b) Prosecutions have been launched by the State Government under the Essential Commodities Act/Indian Penal Code.

(c) In Mandsaur District 11 cases have been taken up by the State Government for prosecution and 2 cases in Ratlam District. Out of these 11 cases, 10 are pending in Court and one case is under scrutiny. Out of the two cases in Ratlam District one case is pending in Court and in another case prosecution is being launched by the Police.

Employees of Flood Control Department in Delhi

***131. Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state :

(a) whether more than 300 employees in the Flood Control Department under the Ministry in Delhi are still working in temporary (work charged) capacity for the last 12 years;

(b) the reasons for not making them permanent;

(c) whether any memorandum has been received on behalf of the registered Union of these employees regarding their confirmation ; and

(d) if so, the details of the action taken there on ?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal) : (a) There are 304 employees of different categories, who are working on workcharged basis viz recruited and charged against specific works, in the various Sub-Divisions of the Flood Control Wing of Delhi Administration. Out of these 90 have been working for the last 12 years.

(b) to (d) The representation received from the Delhi Flood Control Worker's Union has been under consideration of the Delhi Administration. As there are no permanent posts in the Flood Control Wing, which is still a temporary organisation under the Delhi Administration, these staff could not be declared as permanent under the present rules.

सफदरजंग पुल के ठेकेदार को परेशान किया जाना

132. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग पुल के ठेकेदार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा परेशान किया गया था और उसे कुछ मामलों में झूठ मूंठ फंसा दिया गया था क्योंकि उनके पुत्र संजय गांधी पर इस ठेकेदार को मारुति कारखाने के निर्माण कार्य के भुगतान के लिए पर्याप्त धनराशि बकाया थी; और

(ख) क्या इस मामले में निष्पक्षीय जांच के आदेश दिए गए हैं अथवा दिए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका के कहने पर सफदरजंग, हवाई अड्डे के समीप उपरिपुल बनाने वाले ठेकेदारों के खिलाफ निम्नलिखित मामले दायर किए गए :—

1. धोखेबाजी और अपराधिक न्यास भंग करने के लिए धारा 130-बी आई० पी० सी० के साथ पठित धारा 420 के अधीन डिफेन्स कालोनी पुलिस स्टेशन में दिनांक 19 मार्च, 1973 को एफ० आई० आर० 220

2. सरकारी कर्मचारी द्वारा अपराधिक न्यास भंग करने, अपराधिक षड़यन्त्र सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने तथा उन्हें अपनी ड्यूटी न करने देने के लिए आई०पी०सी० की धारा 409, 129-बी, 353 और 186 के अधीन विनय नगर पुलिस स्टेशन में 4 अप्रैल, 1973 की एफ० आई० आर० 199

3. निर्माण में घटिया किस्म की कंक्रीट इस्तेमाल करने के लिए 18 जून, 1974 को लोधी कालोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया मामला

उपर्युक्त सभी मामले न्यायाधीन हैं और जब तक न्यायालय इनका फैसला नहीं कर देता तब तक कोई राय नहीं दी जा सकती ।

(ख) उपर्युक्त, भाग (क) में बताई गई स्थिति को देखते हुए किसी अन्य जांच का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अमरीका के खाद्यान्नों के आयात में अनियमिततायें

133. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने गम्भीर अनियमिततायें की थीं जिसने अमरीका तथा अन्य देशों के प्राइवेट सप्लायरों से हाल के वर्षों (1971—77) में खाद्यान्नों की खरीद में एक आपराधिक षडयन्त्र में हिस्सा लिया था ;

(ख) क्या इन खाद्यान्न की सप्लाई घटिया किस्म की, कम मात्रा में तथा अधिक मूल्य पर थी ;

(ग) क्या इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी सरकार तथा पार्टी को धन प्राप्त हुआ था ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) और (ख) जी नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में खाद्यान्नों की खरीदारी सरकार द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जाती है। सार्बजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों, माल की सुपुर्दगी कब चाहिए और अन्य सम्बन्धित तथ्यों पर विचार करने के बाद विदेशों में हमारे मिशनों द्वारा अनुकूलतम मूल्य पर और उस समय जबकि हमारे लिए खरीदारी करना लाभदायक होता है, तब खरीदारी की जाती है। खाद्यान्नों के कुछ प्रेषणों का कम वजन था और माल की किस्म घटिया थी, यह मामला अलग से उठाया जा रहा है।

(ग) जहां तक सरकार को मालूम है, जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पूर्वी तट पर मत्स्य संसाधनों से लाभ उठाने की बृहद् योजना

134. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गहरे समुद्र में खारे जल के, विशेष रूप से पूर्वी तट पर जहां मछली अधिक खाई जाती हैं तटीय इलाके में पूर्णतया सघन रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों की उपेक्षा की गई है जिसके फलस्वरूप मछली का मूल्य बहुत अधिक है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार समुद्र में तथा देश के भीतर मत्स्य संसाधनों से लाभ उठाने के लिए एक बृहद् योजना तैयार करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां। भारत सरकार तटीय, गहरे समुद्र और खारे जल के क्षेत्रों में मत्स्यकी संसाधनों के बारे में पूरी तरह से अवगत है। अनुकूलतम उपयोग के लिए सरकार का निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव है; विदेशों से मत्स्यन पोत किराए पर लेना, विदेशी कम्पनियों के सहयोग से संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना, मत्स्यन पोतों का देश में ही निर्माण करना, नए और पुराने पोतों का आयात करना, मत्स्यन पोतों को आसानी से प्राप्त करने के लिए जहाज़रानी विकास के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना, मत्स्यन पोतों का देश में ही, निर्माण करने के लिए राज सहायता प्रदान करना, पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ-साथ अनेक केन्द्रों पर बड़े और छोटे मछली पकड़ने के बन्दरगाहों की व्यवस्था करना, भण्डारन और विपणन की अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना, विभिन्न स्तरों पर दक्ष मानवशक्ति के लिए समन्वेषी सर्वे कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को अद्यतन बनाना जिससे कि समुद्र और तट दोनों स्थानों पर उत्तरदायित्व को निभाना, समुद्री संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहायता का कार्यक्रम, गहरे समुद्र के संसाधनों का वाणिज्यिक आधार पर सर्वेक्षण करना और सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय प्लान स्कीमों तथा द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों द्वारा छोटे पैमाने पर मात्स्यकी का विकास किया जा रहा है। खारे जल में मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का विचार सभी समुद्री राज्यों में 50 हैक्टार की मार्गदर्शी परियोजनाएं स्थापित करने का है जिससे कि झींगा और खारे जल की मछलियों को वाणिज्यिक आधार पर पालने को प्रोत्साहित किया जा सके। सघन मत्स्यपालन के विकास के लिए सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 23 मत्स्यपालन विकास अभिकरण स्थापित किए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के ये कार्यक्रम मत्स्यन पोतों के यंत्रीकरण, डिम्प पोना उत्पादन और मत्स्यपालन तथा समस्त मात्स्यकी संसाधनों का आंशिक रूप से उपयोग करने के अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित राज्य कार्यक्रमों के अलावा हैं। ये योजनाएं बनाते समय पूर्वी तट के विकास की आवश्यकताओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

(ख) सरकार ने समुद्री और अन्तर्देशीय जल के संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाएं बनाई हैं। राज्य पलान स्कीमों तथा मत्स्य विकास के समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत सभी संसाधनों का उपयोग किया जाना है।

दिल्ली के महरौली क्षेत्र में बीज फार्म

135. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी के बीज फार्म के निकट दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित बीज फार्मों के मालिकों के नाम क्या हैं तथा उन में प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है; और

(ख) श्रीमती गांधी तथा वहां के अन्य पड़ौसी मालिकों को भारतीय बीज निगम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कितना अनुदान और सहायता दी गई?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) राजस्व रिकार्ड में बीज-फार्मों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। 1963 के दिल्ली भूमि राजस्व नियमों के अनुसार ग्राम-पटवारी सिर्फ खसरा गिरदावरी में फसलों के अभिलेख रखता है। हौज़रानी में लगभग 50 एकड़ की भूमि का एक सरकारी बीज फार्म है।

(ख) श्रीमती गांधी तथा वहां के अन्य पड़ौसी मालिकों को राष्ट्रीय बीज निगम या दिल्ली प्रशासन ने कोई अनुदान तथा सहायता नहीं दी है।

Reconstitution of Sports Council

†136. **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the sports Council is proposed to be reconstituted with a view to ensure promotion of sports; if so, by what time;

(b) the measures taken to keep the sports out of the quagmire of politics, internal as well as external;

(c) whether Government have under consideration any scheme which will enable India to make her mark in sports ; and

(d) if so, the outlines thereof and the time by which it will be implemented ?

The Minister of Education , Social Welfare and Culture (Dr. P. C. Chunder) : (a), (b), (c) & (d) It is proposed to undertake a comprehensive review of various sports programmes and policies shortly, keeping in view the stipulations laid down by International Olympic Committee and other bodies. This review would cover steps needed to remove obstacles in various sports bodies militating against proper promotion of sports in the country and to enable India to make her mark.

Cultural Delegations sent Abroad in 1975

†137 **Shri Nirmal Chandra Jain** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) the number of cultural delegations sent abroad during Emergency in 1975 and the number of politicians in the delegations;

(b) the number of troupes sent abroad for music and dance performances and the delegations sent for propagating the high ideals of Indian culture including religion and morals;

(c) whether any Central or the State Minister was also included in these delegations; and

(d) if so, the name thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) : (a), (b), (c) and (d) During the period of emergency in 1975 four non-performing Cultural delegations consisting of scholars, poets, writers, music director and seven cultural delegations comprising of musicians, dancers and puppeteers were sent abroad under the various Cultural Exchange/Activities Programmes of the Department of Culture. The main object of these cultural exchanges is to present artistically abroad India's cultural heritage with a view to promoting mutual understanding and fostering closer cultural relations with foreign countries. No politician or Central or State Minister was included in these delegations.

Registration for Allotment of DDA Plots and Flats

138. **Shri K. Lakkappa:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether registration for allotment of D.D.A. plots and flats has remained closed for a long time causing a lot of inconvenience to many such persons who do not own houses and want to acquire them; and

(b) if so, the efforts being made by Government to help these persons so that the persons belonging to the low and middle income groups are able to get some relief ?

The Minister of Works and Housing and Supply and Rehabiltation (Shri Sikander Bakht): (a) The last registration for allotment of flats was kept open from 27th January, 1976 to 31st May, 1976. There is no system of registration for allotment of plots. As and when plots become available applications are invited through the Press. In addition plots are allotted under the jhugghi and jhonpri scheme also.

(b) D.D.A. has a programme of constructing houses for L.I.G. and M.I.G. categories of population. In addition Cooperative Housing Societies are also allotted land for construction of houses.

कवि सूरदास की 500वीं जन्म शताब्दी

139. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दी कवि और सन्त सूरदास की 500वीं जन्म शताब्दी के बारे में सूरदास स्मारक समिति (हरियाणा) से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो देश में सामान्यतय और कवि के जन्म स्थल (सीही) हरियाणा और साधना स्थल (गऊघाट) उत्तर प्रदेश में इस राष्ट्रीय घटना को विशेष रूप से मनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) तथा (ख) सूर पंचशती राष्ट्रीय समारोह समिति तथा सीही में एक स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में, सूर स्मारक समिति सीही के अध्यक्ष का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है। मामला सरकार के विचाराधीन है।

Central Schools

†140. **Shri H. Lakkappa:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the number of Central Schools in the country and particularly in **Karnataka** is very limited;

(b) the number of Central Schools in each States and their location; and

(c) the action being taken by Government to open more such schools?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder) (a), (b) and (c): The Kendriya Vidyalayas (Central Schools) are primarily meant for children of transferable Central Government employees including Defence Personnel and their location in the country is determined keeping in view the concentration of Central Government employees at a particular station. Every year 12 Kendriya Vidyalayas are opened in the Defence Sector and 4 in the Civil Sector. Besides, Kendriya Vidyalayas are opened in places where Public Sector Undertakings are located, provided such undertakings agree to meet both recurring and non-recurring expenditure in full.

At present there are in all 222 Kendriya Vidyalayas in the country as per statement attached, out of which 9 are located in the State of Karnataka. (Placed in Library *See* No. LT. 302)].

गेहूं के लाने ले जाने पर रोक हटाना

141. **श्री निहार लास्कर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं के लाने ले जाने पर लगी रोक हटा दी है और कृषि मूल्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध गेहूं के वसूली मूल्य में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो गेहूं के लाने ले जाने पर लगी रोक को हटाने से किसान तथा उपभोक्ता को किस हद तक सहायता मिली है ;

(ग) क्या इस वृद्धि से किसान को अधिक लाभ नहीं हुआ है जैसा कि उसे सरकार ने आश्वासन दिया था ; और

(घ) अधिक उत्पादन करने के लिए किसान को दिए जाने वाले अन्य कौन-कौन से प्रोत्साहन हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

(ख) इससे किसान को खुले बाजार में अपने गेहूं का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विंटल से भी अधिक मिल सकेगा और कमी वाले राज्य में भी बाजार में बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, वसूली मूल्य में वृद्धि करने तथा संचलन पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने से किसानों को लाभ पहुंचा है। 55

(घ) किसान को उसकी पैदावार का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के अलावा, उर्वरक आदि जैसे आदानों के लिए राज-सहायता देकर और अधिक राहत देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

बंगलादेश से आए शरणार्थी

142. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से आए और आसाम में रह रहे ऐसे बहुत से अन्य शरणार्थी हैं जिनको भली-भांति देखभाल न करने का कारण मंत्रालय द्वारा उनकी उपेक्षा और अपर्याप्त धनराशि का अनुदान है;

(ख) यदि हां, तो आसाम राज्य में ऐसे कितने शरणार्थी हैं;

(ग) उन के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) उनके कल्याण के लिए अब तक मंत्रालय ने कुल कितना केन्द्रीय अनुदान दिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 25-3-71 को स्वतंत्रता की घोषणा किए जाने पर बंगला देश से आए सभी शरणार्थी, जबकि वह देश आज़ाद हुआ था, वापिस चले गए और आसाम में अब कोई भी शरणार्थी नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली, नई दिल्ली में बस्तियों के लिए कठिनाइयां पैदा करना

143. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों को जिन्होंने अनधिकृत रूप से जगहों पर कब्जा कर लिया था तथा जिन्हें उनके बदले जगह दे दी गई थी वापिस लाने के सरकार के निर्णय से वे लोग पुरानी जगहों पर फिर बस गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय से दिल्ली और नई दिल्ली की बस्तियों में पुनः कठिनाई पैदा कर दी है ;

(ग) क्या लोगों ने अपने मकानों में अतिरिक्त ढांचों का निर्माण और रूप परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया है जिन्हें पहले गिरा दिया गया था क्योंकि उन्हें सरकार की अनुमति के बिना बनाया गया था; और

(ध) क्या उन्होंने इसकी अनुमति ले ली है अथवा ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अब कोई भय नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) कुछ उन व्यक्तियों के मामलों में जिनको वैकल्पिक वास दिया जा चुका था और जिन्होंने झुग्गी झोंपड़ी कालोनियों में उनको आवंटित प्लाटों पर संरचाओं का निर्माण कर लिया था, वे पुनः उसी स्थान पर बस गए है जहां से वे पहले हटाए गए थे। 500 से अधिक नए उल्लघंनकर्ताओं को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पहले ही हटाया जा चुका है।

(ग) तथा (ध) : सूचना एकत्र की जा रही है।

आसाम में आवास समस्या

144. **श्री निहार लास्कर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राज्य में आवास समस्या अत्यन्त गम्भीर है और सरकार ने अब तक इस राज्य को अधिक सहायता प्रदान नहीं की है ;

(ख) यदि हां ; तो क्या आसाम सरकार केन्द्र से कम आय वर्ग के लिए भूमि का विकास करने हेतु सहायता देने का अनुरोध कर रही है ताकि वे मकान बना सकें ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य को अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क), (ख) और (ग) असम सरकार ने यह सूचित किया है कि राज्य के बड़े नगरीय क्षेत्रों में आवास समस्या काफी गंभीर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम है।

सिवाय बागान कर्मचारियों की सहायता-प्राप्त आवास योजना के, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र में है, अन्य सभी सामाजिक आवास योजनाएं जिसमें निम्न आय वर्ग आवास योजना भी शामिल है, राज्य क्षेत्र में है। अप्रैल, 1969 के सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता जिसमें आवास शामिल है, राज्य सरकारों को समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें विभिन्न राज्य क्षेत्र योजनाओं पर उनके द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकता के अनुसार निधिओं का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं। बागान कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत 206.40 लाख (76.17 लाख रुपये अनुदान और 130.23 लाख रुपये ऋण के रूप में) रुपये की राशि इसके कार्यान्वियन के लिए 1976-77 तक राज्य सरकार को दी जा चुकी है। केन्द्रीय समेकित सहायता तथा बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत दी गई राशि के अतिरिक्त, निर्माण और आवास मंत्रालय ने असम सरकार को 1976-77 तक विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 218.53 लाख रुपये की राशि जीवन बीमा निगम के ऋण के रूप में नियत की है। इसके अलावा, आवास तथा नगर विकास निगम ने राज्य के निष्पादन अभिकरणों को 145.07 लाख रुपये की ऋण भी राशि भी स्वीकृत की थी लेकिन राज्य के सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा सभी योजनाएं बाद में वापस ले ली गई। हुडको द्वारा दो नई योजनाएं सहायता के लिए प्राप्त हुई हैं।

10+2+3 पद्धति की जटिलताओं के बारे में प्राथमिकता तथा माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों को परिचित कराने संबंधी योजना

145. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने 10+2+3 शिक्षा पद्धति की जटिलताओं के बारे में परिचित कराने के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए एक पत्र-व्यवहार कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्यों में इस नई पद्धति को लागू करने पर पूर्ण निगरानी रखने के लिए शिक्षा विभाग में कोई सेल खोला है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

1 LSS/77—8.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) तथा (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि सेल के लिए आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी।

विवरण

देश के बहुत से राज्यों में 10+2 पाठ्य चर्चा को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने, विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, अजमेर, भोपाल, मैसूर तथा भुवनेश्वर स्थित सभी चारों क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में पत्राचार-एवं-सम्पर्क कार्यक्रमों को प्रारम्भ करके, माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लिए एक व्यापक अनुस्थापन कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली है।

कक्षा IX तथा X के माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लिए पत्राचार-एवं-सम्पर्क पाठ्यक्रम, विषय-वस्तु, कार्य-प्रणाली तथा मूल्यांकन ज्ञान के स्तरों को बढ़ाने तथा समृद्ध बनाने की दृष्टि से विशेषकर रा०शै०अनु०प्र०परि० द्वारा तैयार की गई कक्षा IX तथा X के लिए नई पाठ्यचर्या की विषय-वस्तु के संदर्भ में तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में शामिल विषय इस प्रकार हैं:—

क. विज्ञान तथा गणित

(i) भौतिकीय विज्ञान;

(ii) जीव विज्ञान ;

(iii) गणित।

ख. सामाजिक विज्ञान

(i) इतिहास तथा नागरिक शास्त्र,

(ii) भूगोल तथा अर्थ शास्त्र ।

ग. अंग्रेजी

घ. द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी

ङ. कला तथा संस्कृति

इस पाठ्यक्रम की अवधि पत्राचार पाठों के माध्यम से छः मास का शिक्षण है। पत्राचार कार्यक्रम की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, उम्मीदवारों को दलों में दो सप्ताह के सम्पर्क कार्यक्रम के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा कालेज में बुलाया जाएगा। यह सम्पर्क कार्यक्रम, उन अध्यापकों को कार्य अनुभव में प्रशिक्षण देने के लिए दो सप्ताह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो इस अतिरिक्त प्रशिक्षण को पाने के लिए राजी है ।

इस समय चारों क्षेत्रीय कालेजों में 11573 अध्यापक पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पत्राचार चरण जनवरी, 1977 में पहले से ही आरम्भ हो चुका है तथा जुलाई, 1977 में समाप्त होगा। अध्यापकों के पहले दल के लिए सम्पर्क कार्यक्रम लगभग उसी समय आरम्भ होगी तथा जनवरी 1978 तक जारी रहेगा। अध्यापकों की अधिकांश संख्या राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित की गई है। इसके अतिरिक्त, कुछेक केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं।

प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा ही पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाने वाला है। यह पाठ्यक्रम, अध्यापक शिक्षकों के विषय-एवं-कार्यप्रणाली के ज्ञान को बढाने के लिए, विशेषकर कक्षा I से VIII के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम के संदर्भ में तथा उन्हें प्राथमिक शिक्षा की विशिष्ट समस्याओं तथा तकनीकों की जानकारी करवाने के लिए तैयार किया गया है।

Wheat Procurement

146. **Shri Meetha Lal Patel :** Will the Minister of **Agriculture & Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat likely to be procured during the current year to meet the requirements of the country in view of the good crop;

(b) whether hundred of maunds of grains rot and are spoiled due to humidity in the stores caused by carelessness; and

(c) if so, the reasons for not looking after the grains carefully during the last year?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Prakash Singh Badal): (a) Under the new policy for the 1977-78 Rabi Marketing season, procurement is mainly done as a price support measure and there are no restrictions on the movement of wheat from one State to another. It is therefore difficult to estimate the likely quantity which will be procured.

(b) No Sir. Utmost care is being taken to maintain foodgrains in good condition. However, natural calamities such as heavy rains, floods, cyclones etc. which are beyond human control, do damage the foodgrains, especially under C.A.P. (cover and plinth storage).

(c) Does not arise.

समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा

147. **श्री जो०वाई० कृष्णन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा का लाभ दिलाना सुनिश्चित करने के लिए एक जोरदार कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र): (क) और (ख) उत्तरोतर योजनाओं ने समाज के कमजोर वर्गों और शैक्षित रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था की गति तेज करने पर जोर दिया है। सारे देश में स्कूल स्तर पर शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं को निर्धारित करने और ऐसे क्षेत्रों तथा निवासियों की, जिन्हें इन सुविधाओं की आवश्यकता है, जानकारी करने के लिए एक शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया था। इनमें पिछड़े क्षेत्र और जनसंख्या के वंचित वर्ग शामिल होंगे। प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वभौमिकता के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है ताकि उनसे जनसंख्या और पिछड़े क्षेत्रों की लड़कियों, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कम अधिकार प्राप्त वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राज्य आयोजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा के लिए व्यवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है।

मध्याह्न भोजन, निःशुल्क वर्दियां, पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री उपस्थिति, छात्रवृत्तियां जैसे प्रोत्साहन देकर समर्थन किया जाता है ताकि जनसंख्या के कमजोर वर्गों के छात्रों को स्कूलों में आकर्षित किया जा सके और उन्हें रोका जा सके। इन कार्यक्रमों को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार ग्रामीण छात्रवृत्तियों की एक योजना का संचालन करती है जिसमें साधन एवं-योग्यता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली छात्रों को शामिल किया जाता है।

गृह मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा जन जाति के कल्याण के लिए कुछेक योजनाओं का संचालन करती है जैसे लड़कियों के छात्रवासों के लिए सहायता, उत्तर-मैट्रिक छात्रावृत्तियां और सफाई करने, झाड़ू देने, आदि के गन्दे पेशों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां, एकीकृत जनजातियां विकास परियोजनाएं, बहुमुखी विकास को प्रोत्साहित करने के आशय से शुरू की गई हैं, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा भी शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों को कालेजों के विकास में सहायता प्रदान करने की योजनाएं बनाई हैं, जो समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। कमजोर वर्गों के लिए कालेजों तथा स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के पुस्तक बैंक खोले जाते हैं।

नेहरू युवक केन्द्र प्रौढ साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, ग्रामीण खेल आदि जैसे गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए है। केन्द्रीय सरकार भी 15—25 आयु वर्गों के युवकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा किसानों के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राज्यों के सहयोग से आयोजित कर रही है।

ऊपरी इन्द्रावती परियोजना

149. श्री पी० के० देव : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित इन्द्रावती की ऊपरी क्षेत्र की परियोजना को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग तथा योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति ने स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और कितनी बिजली का उत्पादन होगा तथा इसकी कुल लागत क्या होगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) तकनीकी सलाहकार समिति ने 18-12-1976 को हुई अपनी बैठक में अपर इन्द्रावती परियोजना पर विचार किया था। समिति का विचार था कि इस परियोजना के कुछ तकनीकी और अन्य पहलुओं के बारे में और अधिक विस्तृत अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इस बीच केन्द्रीय जल आयोग के एक सदस्य द्वारा परियोजना का दौरा किया गया है और राज्य सरकार को परियोजना के बारे में और आगे अन्वेषण करने और परियोजना रिपोर्ट को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की सलाह दी गई है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 2.19 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करने और 100 प्रतिशत भारानुपात पर 227 मेगावाट बिजली के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। फिलहाल परियोजना पर 208.14 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

Betwa Board

†150. **Shri Laxmi Narain Nayak** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the number of meetings held by the Betwa Board after its constitution by the Central Government and the dates and places at which the meetings were held;

(b) the decisions arrived at in these meetings and whether any action has been initiated in respect of any of these decisions; and

(c) the number and the names of the irrigation schemes being implemented in Madhya Pradesh for which the Central Government have contributed financially?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Prakash Singh Badal): (a) The Betwa River Board was constituted with effect from 25th October, 1976. It has not been possible to hold any meeting of the Board after its constitution. The members of the Board had, however, met at New Delhi on 12th September, 1976, under the Chairmanship of the Union Minister (Agriculture and Irrigation).

(b) Decisions taken at the above meeting are given in the enclosed statement. Action as necessary on these decisions has been initiated.

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are implemented by the State Governments. The Central assistance is given in the form of block loans and grants for the Plan as a whole and is not related to any specific scheme or sector of development.

Statement showing decisions arrived at in the meeting held at New Delhi on 12th September 1976

(i) The understanding reached between Chief Ministers of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh in the meeting held under the Chairmanship of Union Minister of Agriculture and Irrigation on 17-8-1976, at New Delhi in regard to generation of power at Rajghat and sharing the power and cost thereof in the ratio of 50/50 as also sharing of additional power, generated at Matatila by the two States on 50:50 basis was ratified.

(ii) The Rajghat Dam Project as prepared earlier by Uttar Pradesh should be revised in the light of the above understanding within a period of 6 months.

(iii) Composition of the Executive Committee to be set up under the Betwa River Board Act was approved.

(iv) It was decided that Jhansi should be the headquarters of the Betwa River Board and a Liaison Office should be set-up at New Delhi for liaison between the Centre and the States.

(v) The scales of pay for the posts of Chief Engineer of the Project and Secretary and Financial Adviser to the Board were approved.

(vi) Creation of certain posts required for commencing the project works was approved.

(vii) Constitution of a Committee to draft out rules and regulations to be notified under the Betwa River Board Act was approved.

(viii) Constitution of a Coordination Committee at an appropriate time to coordinate releases of water for Irrigation and Power generation was approved.

दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में मकानों का गिराया जाना

151. श्री के० ए० राजन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1976 में दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में बहुत से मकान गिराये गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इन मकानों को गिराने का निर्णय कब और किसने किया, किस अधिनियम तथा किस धारा के अन्तर्गत मकान गिराये गए;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस कार्य के लिए पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की सहायता मांगी थी, यदि हां, तो क्या सहायता दी गई थी ; और

(घ) क्या गोली चलने की घटना हुई यदि हां तो कितने व्यक्ति मरे और गोली चलाने के आदेश किसने दिए ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बक्त : (क) जी, हां ।

(ख) डी० डी० ए० के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार यह पता चला है कि यह निर्णय अप्रैल, 1976 में डी० डी० ए० तथा दिल्ली प्रशासन के उच्चतम स्तर पर किया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां । सरकारी रिपोर्टों के अनुसार 6 व्यक्ति मारे गए थे । निम्नलिखित चार अधिकारियों ने विभिन्न स्थल पर गोली चलाने के आदेश दिए ।

1. अतिरिक्त जिलाधीश (केन्द्रीय) ।
2. कमान्डेंट, प्रथम बटालियन ।
3. उप-मण्डलीय पुलिस अधिकारी, शाहदरा ।
4. उप मण्डलाधीश, कमला मार्किट ।

यह उल्लेखनीय होगा कि इस क्षेत्र में इमारतों को गिराने/गोली चलाने से संबंधित कई पहलुओं पर सामग्री सरकार द्वारा नियुक्त तथ्य अन्वेषण समिति द्वारा भी एकत्र किए जाने हैं ।

भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से कुल खरीद

152. श्री के० ए० राजन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से कुल खरीद हाल ही में घटकर गत वर्ष की अवधि स आधी रह गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी नहीं । जनवरी से अप्रैल, 1977 के महीनों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के स्टाक से खाद्यान्नों की औसत मासिक निकासी लगभग 7.80 लाख मीटरी टन हुई थी जबकि 1976 की उसी अवधि के दौरान औसत मासिक निकासी 5.07 लाख मीटरी टन हुई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयाकट, केरल में भू तथा जल प्रबन्ध

153. **श्री के० ए० राजन : क्या कृषि और सिचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुट्टीयाडी के आयाकट्स तथा मुवत्तुपूजा सिंचाई परियोजना में भू तथा जल प्रबंध के लिये प्रायोगिक परियोजना केन्द्र सरकार को उनकी अनुमति के लिये भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां ।

(ख) कुट्टीयाडी तथा मुवत्तुपूजा सिंचाई परियोजनाओं को पांचवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान समेकित कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिए शुरू नहीं किया गया है । अतः मार्गदर्शी परियोजनाओं के लिए स्वीकृति नहीं दी गई है।

खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता

154. **श्री एस० आर० दामाणि : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसूल किये गये खाद्यान्नों के भण्डार के लिए अब तक राज्यवार कितनी भण्डारण क्षमता बनाई गई है;

(ख) कितने खाद्यान्न खुले में रखे गए हैं तथा विभिन्न स्थानों पर ये कितने समय तक पड़े रहे हैं; और

(ग) कितनी नई क्षमता का निर्माण चल रहा है तथा नयी क्षमता के लिए क्या प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : **(क)** एक विवरण संलग्न है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले स्थान में रखे गये खाद्यान्नों की मात्रा 54.56 लाख मीटरी टन तक है । ये स्टाक लगभग $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक रखे गये हैं ।

(ग) चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा 17.94 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किए जाने का कार्यक्रम है और केन्द्रीय भण्डारण निगम का लगभग 5 लाख मीटरी टन का कार्यक्रम है । विश्व बैंक की सहायता से निकट भविष्य में बफर स्टाक रखने के लिए 32 लाख मीटरी टन क्षमता के गोदाम बनाने का विचार है ।

विवरण

1-4-1977 को निर्मित भण्डारण क्षमता बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

		भा० खा० नि०		के० भा० नि*		रा० भा० नि*	राज्य सरकारें
क्रम संख्या	राज्य का नाम	गोदाम	प्लिथ	गोदाम	प्लिथ	गोदाम	गोदाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आन्ध्र प्रदेश	284.53	91.69	379.02	210.18	72.12	56.80
2.	असम	140.80	—	24.10	—	35.03	19.80
3.	बिहार	274.30	20.00	23.40	41.00	7.90	11.60
4.	गुजरात	165.08	45.03	98.07	17.00	33.62	170.88
5.	हरियाणा	281.64	79.73	55.90	—	108.60	124.89
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	3.97
7.	जम्मू व कश्मीर	10.00	22.50	—	—	—	75.04
8.	कर्नाटक	74.00	21.00	58.24	4.00	82.70	31.58
9.	केरल	279.48	34.00	15.16	—	31.43	37.62
10.	मध्य प्रदेश	362.90	136.82	58.00	—	128.01	85.13
11.	महाराष्ट्र	790.80	173.30	64.20	2.50	100.79	569.59
12.	एन० ई० एफ० रीजन	10.50	—	—	—	—	17.50
13.	मेघालय	—	—	—	—	1.60	3.84
14.	नागालैण्ड	—	—	5.00	—	—	शून्य
15.	उड़ीसा	97.86	12.80	24.50	7.50	6.63	40.97
16.	पंजाब	1044.29	409.31	88.00	—	165.83	127.16
17.	राजस्थान	309.00	341.00	51.40	8.00	122.50	—
18.	तमिलनाडु	279.76	67.08	282.36	128.50	85.93	42.71
19.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	31.54
20.	उत्तर प्रदेश	794.94	251.29	89.15	51.50	109.78	84.91

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	पश्चिमी बंगाल .	491.45	—	7.00	—	13.60	269.26
22.	केन्द्र शासित प्रदेश .	165.77	47.44	35.00	4.00	—	59.32
	जोड़ .	5857.10	1852.99	1358.50	474.18	1106.07	1869.11

*केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भण्डागार निगमों के पास उपलब्ध स्थान केवल खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए नहीं है बल्कि वह सामान्य भाण्डारण के लिए भी है ।

@अद्यतन आंकड़े जोकि 1973 से 1977 तक की विभिन्न अवधियों के लिए उपलब्ध हैं ।

अनाज के सुरक्षित भंडार से अनाज का उठाया जाना

155. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान अनाज के सुरक्षित भण्डार से प्रतिमास औसतन कितना अनाज उठाया गया और गत दो वर्षों की तुलना में यह कितना कम है या अधिक है ;

(ख) राज्य सरकारों को इस वर्ष कितना अनाज दिया गया और चालू वर्ष से प्रत्येक राज्य की अनुमानित मांग क्या है; और

(ग) इस वर्ष के आरम्भ से ही गेहूं तथा धान की वसूली कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो वह क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : **(क)** 1976-77 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की औसत मासिक निकासी 8.47 लाख मीटरी टन हुई थी जबकि 1975-76 और 1974-75 के दौरान क्रमशः 8.56 और 9.26 लाख मीटरी टन निकासी हुई थी।

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान केन्द्रीय भण्डार से राज्यों को 72.7 लाख मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किया गया था । इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों की खाद्यान्नों की आवश्यकता खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता, उनके पास उपलब्ध स्टाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पिछले महीनों के दौरान निकासी और अन्य संगत तथ्यों जैसे विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करती है और संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से परामर्श कर समय-समय पर उनकी समीक्षा की जाती है । इसको देखते हुए, इस समय चालू वर्ष से खाद्यान्नों की वार्षिक प्रत्याशित मांग को बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) 1977-78 के मौसम के लिए रबी के अनाजों की नई मूल्य निर्धारण तथा वसूली नीति के अनुसार गेहूं का वसूली कार्य मुख्यतः समर्थन मूल्य के रूप में है और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से यह कहा गया है कि वे उत्पादक अथवा व्यापारी पर से अनिवार्य लेवी आदेश उठा लें। यहां तक

धान का सम्बन्ध है। चालू खरीफ विपणन मौसम, 1976-77 (नवम्बर, 1976 से अक्तूबर, 1977 तक) में वसूली कार्य में किसी परिवर्तन की परिकल्पना नहीं की जाती है। अगले विपणन मौसम की खरीफ नीति जोकि पहली नवम्बर, 1977 से लागू होगी, को तैयार करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विवरण

1976-77 के दौरान प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के निर्मुक्त खाद्यान्नों की मात्रा को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य	केन्द्रीय भण्डार से निर्मुक्त खाद्यान्नों की मात्रा
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	133
2.	असम	202
3.	बिहार	163
4.	गुजरात	104
5.	हरियाणा	54
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू एवं कश्मीर	227
8.	कर्नाटक	227
9.	केरल	1263
10.	मध्य प्रदेश	79
11.	महाराष्ट्र	1349
12.	मणिपुर	6
13.	मेघालय	62
14.	नागालैण्ड	21
15.	उड़ीसा	143
16.	पंजाब	171
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	14
19.	तमिलनाडु	535
20.	त्रिपुरा	24
21.	उत्तर प्रदेश	224

1	2	3
22.	पश्चिमी बंगाल .	1536
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	11
24.	अरुणाचल प्रदेश .	15
25.	चंडीगढ़ .	4
26.	दादरा और नागर हवेली	—
27.	दिल्ली .	538
28.	गोवा, दमन और दीव	61
29.	लक्षद्वीप	3
30.	मिजोरम	28
31.	पांडिचेरी	5
	जोड़	7266

उर्वरक की मांग और आयात

156. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उर्वरकों की संभावित मांग क्या है और गत दो वर्षों की वास्तविक खपत की तुलना में इसकी क्या स्थिति है;

(ख) समूची मांग को पूरा करने के लिये कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात करने की आवश्यकता है और स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों के मूल्यों की तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान 42.71 लाख मीटरी टन पोषक तत्वों के रूप में उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 1976-77 के दौरान वास्तविक खपत लगभग 34.02 लाख मीटरी टन और 1975-76 के दौरान खपत 28.94 लाख मीटरी टन थी । 1976-77 के दौरान खपत में पिछले वर्ष की अपेक्षा 17.6 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1975-76 के दौरान उस से पूर्व के वर्ष की तुलना में खपत 12.5 प्रतिशत अधिक थी ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की आयात होने वाली मात्रा अथवा उसके तुलनात्मक मूल्यों के बारे में बताना सार्वजनिक हित में नहीं है । इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और उपलब्धि के अनुसार मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है ।

यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अधिकतम मूल्यों पर संविधिक नियंत्रण कर लिया गया है तथा इन तीनों प्रकार के उर्वरकों का आयातित और स्वदेशी मूल्य बराबर है । देश में म्यूरिएट आफ पोटाश और सल्फेट आफ पोटाश उपलब्ध नहीं हैं। इन दोनों प्रकार के उर्वरकों की समस्त आवश्यकताओं को आयात द्वारा पूरा किया जाता है । इसी प्रकार सिंगल सुपर फासफेट की समस्त आवश्यकताएं देशी उद्योग द्वारा पूरी की जाती हैं । कम्पलेक्सों के बारे में देशी और आयातित एन पी के (15-15-15) में कोई अन्तर नहीं है । अन्य ग्रेडों के बारे में एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध क) ।

(ग) किसानों को उर्वरकों की सामायिक सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों में राज्य सरकारों और विनिर्माताओं के साथ परामर्श करके आवश्यकताओं का काफी पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए सप्लाई योजना तैयार कर ली गई है और इस योजना का प्रत्येक माह् निरीक्षण किया जाता है। यदि सप्लाई में कोई कठिनाई अथवा कमी आती है तो उसे देश भर में 600 से अधिक स्थानों पर जमा किए गए आयातित उर्वरक से पूरा किया जाता है।

अनुबन्ध—क

उर्वरकों की आयात की गई और देशी किस्मों के महत्वपूर्ण तुलनात्मक ग्रेडों के बिक्री मूल्यों का तुलनात्मक विवरण।

उर्वरक का नाम	रु० प्रति मीटरी टन	
	आयातित किस्म का बिक्री मूल्य	देशी किस्म का बिक्री मूल्य
यूरिया (46 प्रतिशत एन)	1650	1650
अमोनियम सफेल्ट (50 किलोग्राम के पैकिंग में)	935	935
अमोनियम नाइट्रेट-फास्फेट		
20-20-0-	1590 एफ ए सी टी	1845
	एफ सी आई	1760
24-24-0	2045 एम एफ एल	2045
	आई एफ एफ सी ओ	2080
एन पी के		
15-15-15	1520	1520
17-17-17	1810	1810
14-28-14	1855	1950

राज्यों द्वारा शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली स्वीकार किया जाना

*157. **श्री एस० आर० दामाणी** :
श्री आर० कोलनथाइवेलु :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने शिक्षा की नई 10+2+3 प्रणाली को एक नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है;

(ख) किन राज्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नई प्रणाली से शिक्षकों तथा छात्रों दोनों के ही दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार सुधार आयेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) हां श्रीमान जी, सभी राज्यों ने सिद्धान्तरूप में 10+2+3 पद्धति को अपनाना स्वीकार कर लिया है। तथापि वर्तमान सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है।

(ग) निम्नलिखित सुधार होंगे :—

(1) एक व्यापक सामान्य शिक्षा उन छात्रों के लिए लागू की जा रही है, जो यह सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल करेंगें कि वे विज्ञान और गणित सहित सभी विषय पढ़ सकते हैं।

(2) शिक्षा को शुद्ध रूप से शैक्षिक होने की बजाए इसे कार्य और उत्पादकता के अनुकूल बनाया जाएगा।

(3) जिनसे विश्वविद्यालय शिक्षा तक पंहुचाने की आशा नहीं की जाती उनके लिए एक ऐसी पद्धति देना जिससे उन्हें द्वि-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम करने के बाद रोजगार दिया जा सके अथवा वे स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकें।

(4) इस शिक्षा पद्धति में उच्चतर माध्यमिकतक ऐसे वातावरण पर विचार किया जा रहा है जिसमें उन विषयों पर बल देना है जो छात्रों के लिए लाभ-प्रद होंगे।

(5) विश्वविद्यालयों में प्रथम स्नातक तक सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा स्तर ऊंचा किया जाएगा ताकि इसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से की जा सके।

(6) फलस्वरूप शिक्षकों को कोटि में अत्यधिक सुधार किया जाएगा, उन्हें इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और आवश्यक शिक्षण सामग्री आदि में भी सुधार किया जाएगा।

नई दिल्ली में स्वर्गीय कामराज के नाम पर किसी सड़क का नाम रखने का प्रस्ताव

158. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कीक्या नई दिल्ली में स्वर्गीय श्री कामराज के नाम पर किसी सड़क का नाम रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जो नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिंचाई के लिए बृहद योजना

159. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य इंजीनियर तथा तमिलनाडु और केरल के मुख्य इंजीनियरों की एक समिति पश्चिमी घाटों से पश्चिम की ओर बहते हुए फालतू पानी को तमिलनाडु की ओर मोड़ने के लिए सिंचाई आयोग 1972 की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए रूप रेखा तैयार करने हेतु नियुक्त की थी और यदि हां तो क्या समिति ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और इसके कार्य की क्या प्रगति है;

(ख) इस मामले में संसद सदस्यों द्वारा 5 तथा 7 अप्रैल, 1977 को दिए गए अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस जल को एकत्र करने के लिए जिसमें फालतू पानी की उपलब्धता 1000 टी०एम० सी० होने का अनुमान है जो 1.2 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई के लिए पर्याप्त है, केरल सरकार ने कोई बृहद योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) :(क) केरल और कर्नाटक की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के फालतू जल का पूर्व की ओर व्यपवर्तन करने की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के एक सदस्य हैं तथा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य इंजीनियर इसके सदस्य हैं। इस समिति ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है क्योंकि इस समिति के विचारार्थ विषयों के बारे में केरल सरकार की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) माननीय संसद सदस्य से 7 अप्रैल, 1977 का एक पत्र प्राप्त हुआ था। माननीय संसद सदस्य को 13 मई, 1977 को उत्तर भेज दिया गया था जिसमें स्थिति बता दी गई थी।

(ग) केरल सरकार के अनुसार उनकी बृहद योजना (मास्टर प्लान) में यह नहीं बताया गया है कि 1000 टी०एम०सी० पानी फालतू हैं।

राज्यों में शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का क्रियान्वयन

160. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां शिक्षा की 10+2+3 नई प्रणाली लागू की जा चुकी है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम तथा लाभ प्राप्त हुए हैं;

(ग) राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 में कितने-कितने सरकारी वित्तीय अनुदान दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को समस्त देश में लागू करने का है और यदि हां तो कब तक और किस प्रकार; और

(ङ) यदि नहीं तो क्यों ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्यारह राज्यों और आठ संघ शासित क्षेत्रों ने शिक्षा को 10+2+3 की नई प्रणाली पहले ही लागू कर दी है। ये राज्य निम्नलिखित हैं:

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. जम्मू और काश्मीर
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र

षष्ठम माला, खंड 2, अंक 1, शनिवार, 11 जून, 1977/21 ज्येष्ठ, 1899

लोक सभा वादविवाद

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

का शुद्धि पत्र

पृष्ठ 1, कालम 2, पंक्ति 8 में 'हेनरी आश्टन' के स्थान पर 'डा० हेनरी आस्टिन' पढ़िये ।

पृष्ठ 7 पर 'र' के नीचे पंक्ति 2 'रथ रामैया' के स्थान पर 'रघु रामैया' पढ़िये ।

पृष्ठ 23 पर 30·5·77 को गाड़ी संख्या 13अप तेजपुर एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य शीर्षक के नीचे पंक्ति संख्या 5-7 को पृष्ठ संख्या 26 पर वक्तव्य के बाद पढ़ा जाये ।

पृष्ठ 31 पर मद संख्या 14, पंक्ति 2 में 'फ्रोटोटाइप' के स्थान पर 'प्रोटोटाइप पढ़िये ।

8. सिक्किम
9. तमिलनाडु
10. त्रिपुरा
11. पश्चिम बंगाल
12. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
13. अरुणाचल प्रदेश
14. चण्डीगढ़
15. दादरा और नागर हवेली
16. दिल्ली
17. गोवा, दमन और दीव
18. लक्ष्य द्वीप
19. पांडिचेरी

(ख) नई प्रणाली के व्यावहारिक लाभों का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे लाभों का पता केवल +2 स्तर के छात्र कार्य क्षेत्र में आने के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) परिवर्तन के लिए योजना आयोग द्वारा वार्षिक राज्य योजनाओं में किए गए वित्तीय परिव्यय के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने असम, कर्नाटक, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यों को जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए 1976-77 के दौरान 1,30,000 रुपये के सहायक अनुदान दिए।

	रु०
असम	40,000
कर्नाटक	60,000
सिक्किम	20,000
त्रिपुरा	10,000
	1,30,000

(घ) और (ङ) उक्त प्रणाली को अपनाने के लिए राज्यों से सिफारिश की गई थी परन्तु अब ऐसा सोचना गलत है कि केन्द्र द्वारा इसे अनिवार्य बना दिया जायेगा। प्रत्येक राज्य से अब यह आशा की जाएगी कि वह अपने वित्तीय, भौतिक और जन साधनों एवं अन्य बातों को ध्यान में रखकर इस मामले में निर्णय लेगा।

आवास योजनाएं

161. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि निजी तथा सार्वजनिक निर्माण एजेंसियों के सम्मुख गम्भीर व्यावहारिक तथा कानूनी समस्याओं के कारण देश के बहुत से भागों में विशेषकर गुजरात के नगरीय क्षेत्रों में बहुत सी आवास योजनाएं बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 बनने के तुरन्त बाद गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में भवन-नक्शों को पास करने के बारे में अनिश्चितता थी और भवन-निर्माण गतिविधियां धीमी पड़ गई थी। इस मामले पर विचार किया गया था और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रिक्त भूमि और अधिकतम सीमा से ज्यादा रिक्त भूमि पर भवन-निर्माण के नक्शे पास करने क लिए मार्ग निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्ग निर्देशों का उपयुक्त कार्यान्वियन किया जाए ताकि रिहायशी या गैर-रिहायशी भवन बनाने या उनमें परिवर्तन करने के लिए नागरिकों की यथार्थ आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों का उल्लंघन भी न हो।

सरकारी आवासों में रह रहे भूतपूर्व मंत्री तथा संसद सदस्य

162. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं लोक सभा के बहुत बड़ी संख्या में सदस्य तथा भूतपूर्व मंत्री अभी भी उन आवासों में रह रहे हैं जो उन्हें उनकी सदस्यता के दौरान रियायती दरों पर दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों से रियायती दर के आवासों को खाली करने का अनुरोध किया जा रहा है; और

(ग) इन आवासों का खाली कराया जाना सुनिश्चित कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ताकि आवास छठी लोकसभा के सदस्यों को उपलब्ध हो सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) 5 भूतपूर्व मंत्रियों सहित पांचवीं लोक सभा के 102 सदस्य अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 5वीं लोकसभा के 96 सदस्यों और 4 भूतपूर्व मंत्रियों, जो अभी भी अनधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रह रहे हैं के विरुद्ध निष्कासन कार्रवाई की गई है।

गेहूं की वसूली तथा वितरण के बारे में नीति

163. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समस्त देश में गेहूं की वसूली तथा वितरण के लिये एक नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त नीति तथा कार्यक्रम के आरम्भिक कुछ सप्ताहों में क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) :(क) जी हां ।

(ख) सरकार ने विपणन वर्ष 1977-78 के लिए मूल्य वसूली और वितरण संबंधी नीति 15 अप्रैल, 1977 को घोषित की थी। इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:--

(1) उचित औसत किस्म के गेहूं का वसूली मूल्य 105 रुपये से बढ़ाकर 110 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है जोकि सभी किस्म के गेहूं के लिए है। सरकार किसानों द्वारा इस मूल्य पर बिक्री के लिए लाई गई सारी मात्रा को खरीदेगी।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और गेहूं के उत्पादों को बनाने हेतु रोलर फ्लोर मिलों को देने के लिए केन्द्रीय भण्डार से दिए गए गेहूं के स्टाक का निर्गम मूल्य 125 रुपये प्रति क्विन्टल पर बनाए रखा गया है।

(3) एक राज्य से दूसरे राज्य को गेहूं भेजने पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा लिया गया है ।

(4) गेहूं के उत्पादों का संचलन देश भर में मुक्त रूप से चलता रहेगा।

(5) फ्लोर फ्लोर मिलों द्वारा खुले बाजार में गेहूं की खरीदारी पर रोक लागू रहेगी।

(6) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उत्पादकों तथा व्यापारियों पर लगी लेवी समाप्त कर दें और समर्थन मूल्य के रूप में गेहूं की वसूली करें।

(7) गेहूं की वसूली की प्रोत्साहन बोनस योजना खत्म कर दी गई है।

(8) इस वर्ष गेहूं के वसूली लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि वसूली कार्य समर्थन मूल्य के रूप में किया जाएगा और यह अनुमान लगाना व्यवहार्य नहीं है कि कितना समर्थन मूल्य सम्बन्धी कार्य आवश्यक होगा।

(ग) 10 जून, 1977 तक कुल 41.92 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई है।

दुग्ध चूर्ण का आयात

164. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश के दुग्ध उत्पाद कारखानों में दुग्ध उत्पाद भारी मात्रा में जमा हो गये हैं;

(ख) यदि हां तो दुग्ध उत्पादों के उक्त भारी जमाव को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अन्य देशों से दुग्ध चर्ण का आयात किया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय किसी भी देश से दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आधार पर आयात नहीं हो रहा है। परन्तु विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत स्किम मिल्क पाउडर को उपहार के रूप में प्राप्त किया जा रहा है।

1 LSS/77—9.

चन्दन की लकड़ी

165. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चन्दन की लकड़ी किस किस राज्य में उपलब्ध है ; और

(ख) क्या सरकार अन्य राज्यों में इस लकड़ी के वृक्ष लगाने का विचार कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) चन्दन की लकड़ी कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पाई जाती है।

(ख) सरकार अन्य दूसरे राज्यों में भी चन्दन की लकड़ी पैदा करने का प्रयास कर रही है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल, में परीक्षण शुरू किये गये हैं।

Reorganisation of U.G.C.

166. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether University Grants Commission is proposed to be reorganised and if so the time by which reorganisation work would be completed; and

(b) whether University Grants Commission made distribution of funds in an arbitrary manner during the emergency and if so, whether any enquiry in this regard has so far been conducted or is proposed to be conducted by Government?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Dr. Pratap Chandra Chunder): (a) A Committee was appointed by the Central Government in August, 1974 to review the working of the University Grants Commission and it submitted its report in February 1977. The Committee has, inter alia, made recommendations regarding reorganisation of the Commission. The recommendations of the Committee are under examination.

(b) According to the information furnished by the University Grants Commission it sanctions funds according to the prescribed norms and procedures and not in an arbitrary manner. If any specific arbitrary act by the Commission is brought to notice of Government action will be taken.

वाई०एम०सी०ए० इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग के छात्रों की मांग

167. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाई०एम०सी०ए० इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, फरीदाबाद (हरियाणा) के हड़ताली छात्रों ने किस प्रकार की मांगें रखी हैं; और

(ख) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने यदि कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० पी०सी० चन्द्र) : (क) छात्रों ने यह मांग की थी कि इस समय इस संस्थान में चल रहे चार वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के स्थान पर उसे एक डिग्री कालेज में बदल दिया जाए।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा प्रबन्ध-मण्डल के एक प्रतिनिधि के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल

168. **श्री पी०के० देव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ के कुछ सदस्यों ने अपनी बहुत सी शिकायतें दूर कराने के लिए और मूलतः आपातकालीन स्थिति के दौरान सेवा से निकाले गए अथवा निलम्बित किए गए अपने साथियों की बहाली के लिए अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी हां। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और संघ के बीच समझौता हो गया है। संघ ने 27-5-77 को हड़ताल समाप्त कर दी है।

पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र के परिरक्षण के लिए योजना

169. **श्री पी० के० देव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्र के परिरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उन पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) जी हां।

सन् 1977-78 से हिमालय क्षेत्र में मृदा तथा जल संरक्षण नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित वानिकी योजना को कार्यरूप देने का प्रस्ताव है।

(ख) इस समय इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम संघ क्षेत्र, व्यास, सतलुज, गिरिबाटा तथा गंगा के पर्वतीय श्रवण क्षेत्रों व इसकी सहायक नदियों, यमुना तथा इसकी सहायक नदियों में तथा टेस्टा व बारक में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम पर प्रतिवेदन

170. **श्री पी०के० देव** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम पर चटर्जी समिति, बेग समिति तथा संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

1 LSS/77—10.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने दिसम्बर 1959 में चैटर्जी समिति नियुक्त की थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को 31 दिसम्बर, 1960 को प्रस्तुत की थी। बेग समिति न तो सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी न ही यह विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई थी और न ही इसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों, पुराने छात्रों तथा गैर-शिक्षण स्टाफ के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार्यकारी परिषद् के अनुरोध पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिनियम के संशोधन तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। कुलपति द्वारा इस समिति की सिफारिशें इस मंत्रालय को अप्रैल, 1977 के अन्तिम सप्ताह में भेज दी गई हैं।

(ख) चटर्जी समिति तथा संयुक्त समिति की रिपोर्टों की प्रमुख बातें जहां तक उनका सम्बन्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन से है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया इस प्रकार है :—

1. चैटर्जी समिति :

(1) कोर्ट में जूनियर शिक्षण स्टाफ का प्रतिनिधित्व 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया है।

(2) उपकुलपति तथा अनुशासक को हटाकर डीनों का प्रतिनिधित्व 3 से बढ़ाकर 7 करके और प्रधानाचार्यों का प्रतिनिधित्व 3 से घटाकर एक करके कार्यकारी परिषद् का पुनर्गठन किया गया है।

(3) कुलपति के चयन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पद्धति को इस संशोधन के साथ अपनाया गया है कि चयन समिति पेनल में शामिल किए गए मांगों में प्राथमिकता के क्रम को भी उल्लेख करे।

(4) शिक्षण पदों की विभिन्न चयन समितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रखे जाने वाले पेनल में से विशेषज्ञों की नियुक्ति।

(5) गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए एक चयन समिति की व्यवस्था।

(6) उप कुलपति के पद की समाप्ति।

(7) अवैतनिक कोषाध्यक्ष के अलावा वित्त अधिकारी के पद की व्यवस्था।

विश्वविद्यालयों की अभिशासन सम्बन्धी गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों के आधार पर ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का संशोधन 1972 में किया गया था। जिसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 1971 में प्रस्तुत की थी। तथापि अधिनियम को 1972 में संशोधित करते समय चटर्जी समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया था।

2. संयुक्त समिति :

(1) "विश्वविद्यालय" शब्द की परिभाषा में परिवर्तन जिसका अर्थ "भारत के द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय" है।

(2) विश्वविद्यालय के अधिकारों में परिवर्तन जिससे कि यह व्यवस्था की जा सके कि विश्वविद्यालय प्रथमतः भारत के मुसलमानों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को प्रोत्साहित करेगा।

(3) विजीटर द्वारा नियुक्ति की वर्तमान व्यवस्था की बजाय कोर्ट द्वारा चयन के जरिए कुलपति तथा सम कुलपति की नियुक्ति।

(4) छात्र परिषद् छात्र संघ अथवा शिक्षकों शैक्षिक स्टाफ या विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों के संघ के स्थापना सम्बन्धी उपबन्धों में संशोधन।

(5) कोर्ट को और अधिक प्रतिनिधित्वशाली बनाना जिससे कि वह संविधि-निर्माण तथा नीति-निर्माण में व्यापक रूप से भाग ले सके।

(6) वित्त अधिकारी के वर्तमान पद के अतिरिक्त कोर्ट द्वारा चुने जाने वाले अवैतनिक कोषाध्यक्ष के पद के लिए व्यवस्था।

(7) कुलपति की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति के स्थान पर 1951 वाली पद्धति को अपनाना।

(8) चयन के सिद्धान्त के स्थान पर एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाना।

उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

Shifting of Government Offices Outside Delhi

171. **Shri Uggrasen:** Will the Minister of **Works and Housing and Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to shift some of its offices outside Delhi; and

(b) if so, the details thereof and whether any policy of criterian has been laid down in regard to shifting of these offices?

The Minister of Works & Housing and Supply and Rehabilitation (Shri Sikander Bakht): (a) Yes, Sir.

(b) Details thereof are still under examination.

Seed Production

172. **Shri Uggrasen:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the National Seeds Corporation is unable to meet the seed requirement of the country, if so, the present seed production capacity of the Corporation and the extent to which it has been meeting country's requirement in this respect;

(b) whether the Corporation has formulated a comprehensive programme with the cooperation of the World Bank for making the country self-sufficient in the matter of improved seeds, and if so, the facts thereof; and

(c) the measures being taken by Government to review the working of the National Seeds Corporation so as to put it in a satisfactory shape?

The Minister of Agriculture and Irrigation (Shri Parkash Singh Badal): (a) The seed requirements of the country include breeders seed, foundation seed, certified seed and the seed multiplied and used by the farmers themselves. The total seed requirements of the

country are being met jointly by a number of agencies such as Breeders, Agricultural Universities, Seed Producing Agencies such as National Seeds Corporation, Tarai Development Corporation, State Farms Corporation of India, Government Seed Farms, State Seed Corporations and private seed producers. The National Seed Corporation produces seeds of varities of national importance; the seeds for local varities are generally produced by other agencies.

During the year 1974-75 the National Seeds Corporation attained a production level of 69,500 tonnes of seeds for the five main cereal crops, namely, wheat, paddy, maize, jowar and bajra.

(b) The Government of India with the cooperation of the State Governments and the assistance of the National Seeds Corporation is engaged in formulating and securing implementation of a programme to meet the country's requirements of high quality seeds. The programme envisages adequate production of breeders seeds, foundation seeds and certified seeds and creation of necessary infrastructure therefor, setting up of State Seeds Corporation to take up diversified seed production, establishment of independent quality control agencies in the States, coordinated inter-State marketing by the National Seeds Corporation, the establishment of a reserve stock of seeds at the national level to meet shortfall in years of inadequate supplies and the sponsoring of research and trials in the production of breeder and foundation seeds of vegetables. The World Bank has agreed to fund this programme in a large measure.

(c) The Government oversees the working of the Corporation to ensure that it carries out its role in the national programme of seed production satisfactorily.

भारत और अन्य देशों में प्रति एकड़ उत्पादन

173. **श्री बी०सी० काम्बले** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण भारत में और प्रत्येक राज्य में प्रति एकड़ औसत वार्षिक उत्पादन कितना रहा ; और

(ख) भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) प्रति हैक्टर औसत उपज के बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 (क) से (ङ) तक में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 302/77]

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न उगाने के क्षेत्र में विस्तार करके, सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर तथा फसलों की उपज में सुधार के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन तथा वाणिज्यिक फसलों में वास्तविक प्रगति की जानी है । फसल की उपज में विकास के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :--

समस्या मूलक अनुसंधान को गतिमान करना, कृषि विस्तार और प्रशासन को सुदृढ़ बनाना, प्रमाणीकृत बीजों के गुणन और वितरण के कार्यक्रम का विस्तार करना, अधिक उत्पादनशील किस्मों के क्षेत्र में विस्तार करना, रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना, उर्वरक उपयोग की कार्य-क्षमता में सुधार करना, कीटनाशी औषधियों का न्यायोचित उपयोग करना, जल प्रबन्ध तथा संस्थागत ऋण का विस्तार करना । इन उपायों को गतिमान करने का प्रस्ताव है ।

भागलपुर में केन्द्रीय विद्यालय

174. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्यण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भागलपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार छोड़ दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब और किस स्थान पर खोला जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक केन्द्रीय स्कूल खोलने का विचार छोड़ा नहीं गया है बल्कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के विचार-विमर्श से यह विचाराधीन है ।

पटना विश्वविद्यालय का अधिग्रहण

175. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय का केन्द्र शासित विश्वविद्यालय के रूप में अधिग्रहण करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका अधिग्रहण कब तक किये जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अधिसूचनाएं, समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं श्री प्रकाश सिंह बादल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) आसाम वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) नियम, 1977 जो दिनांक 25 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 34 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आसाम वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) नियम, 1977 जो दिनांक 25 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 35(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) मेघालय वन्य प्राणी (पशु धन घोषणा) नियम, 1977 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 154(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) मेघालय वन्य प्राणी (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) नियम, 1977, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 155(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 268/77]

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 823(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 269/77]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) (क) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० 270/77]

(दो) भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 271/77]

(तीन) (क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मई, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 31 मई, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 272/77]

(चार) (क) केन्द्रीय मत्स्य-उद्योग निगम लिमिटेड, हावड़ा के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम लिमिटेड, हावड़ा का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(4) उपर्युक्त मद (3) (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 273/77]

(5) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा की के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की

धारा 619क की उपधारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु वन रोपण निगम लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 274/77]

(6) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 275/77]

मदुरै सिटी नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 1977

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

तमिलनाडु राज्य विधान मंडल [शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मदुरै सिटी नगर निगम संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 7] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 अप्रैल, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 276/77]

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 277/77]

(2) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के वर्ष 1974-75 के लेखे संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति) ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 278/77]

(3) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 279/77]

(4) दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा तत्संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 280/77]

(5) हैदराबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 1974 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 281/77]

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां-खण्ड 1--अप्रत्यक्ष कर तथा खण्ड 2--प्रत्यक्ष कर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 282/77]

(दो) भारत के नियंत्रक--महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975-76 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 283/77]

(तीन) भारत के नियंत्रक--महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975 का प्रतिवेदन--संघ सरकार (वाणिज्यिक)--भाग 4--विभिन्न रुचिकर विषय तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सार।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 284/77]

(चार) नियंत्रक--महालेखापरीक्षक का वर्ष 1976 का प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 3--नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 285/77]

(2) वर्ष 1975-76 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग 1--समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) वर्ष 1975-76 के लिये विनियोग लेखे, रेल, भाग 2--विस्तृत विनियोग लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 286/77]

(4) वर्ष 1975-76 के लिये ब्लाक लेखे (जिनमें ऋण लेखे सहित पूंजी विवरण शामिल हैं), तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखे, रेल (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 287/77]

(5) आर्थिक सर्वेक्षण, 1976-77 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 288/77]

(6) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (खण्ड 1 से 3) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी० 289/77]

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

(एक) **महासचिव** : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गए तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) वित्त विधेयक, 1977

(2) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1977

(दो) महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) पैट्रोलियम पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977

(2) आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण (निरसन) विधेयक, 1977

(3) संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संस्करण) विधेयक, 1977

(4) विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) विधेयक, 1977

(5) काल्टैक्स [काल्टैक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा काल्टैक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक, 1977

श्री वयालार रवि : एक मिनट में कृपया मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेता हूं।

श्री वायलार रवि : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा के लिये स्थगित करने के सम्बन्ध में एक पूर्वोदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार खड़े होते जायें तो कैसे काम चलेगा।

श्री वायलार रवि : 26 आदमी मर गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई समस्या मेरी सूचना में लायें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। लेकिन आप हर समय खड़े ही होते जायें तो इससे अन्य लोगों को ही लाभ पहुंचेगा। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ANTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

27 मई 1977 को बिहार के बेलची गांव में हरिजनों को जिन्दा जला दिये जाने की घटना

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"27 मई, 1977 को बिहार के बेलची गांव में हरिजनों को जिंदा जला दिये जाने की कथित घटना"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है कि हरिजनों पर अत्याचार करने के मामले के रूप में प्रेस में विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है। बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, यह झगड़े का मामला पक्के अपराधियों के दो दलों के बीच का था जिनमें बहुत पुरानी शत्रुता थी। वारदात 27 मई, 1977 को हुई थी जिसमें प्रतिद्वन्दी दलों के बीच हुए झगड़े में 8 हरिजन तथा गैर हरिजन मारे गए थे और मृतकों के शवों को 50—60 व्यक्तियों की एक सशस्त्र भीड़ ने जला दिया था। इस घटना के अनेक पीड़ित प्रतिद्वन्दी दल जिसका नेतृत्व महाबीर महतो और परशुराम धानुक ने किया है के व्यक्तियों की हत्या के मामले में अर्न्तग्रस्त है। ये व्यक्ति भी पक्के अपराधी समझे जाते हैं जो हत्या और डकैती के मामलों में अन्तर्ग्रस्त है। ये दोनों दल एक दूसरे को समाप्त करने में लगे हुए हैं और उनका अपने संचालन के क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। पिछले दिनों उनके बीच अनेक मुठभेड़ें हुई थी जिसमें अग्नेस्त्रों का प्रयोग किया गया था और हत्याएं की गई थी।

बिहार सरकार के अनुसार इस घटना का जाति, सम्प्रदाय भूमि अथवा राजनैतिक मामलों से कोई संबंध नहीं है और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार करने से भी कोई सम्बन्ध नहीं है जैसा कि प्रेस के कुछ भागों में दिया गया है। राज्य सरकार ने तत्काल कारवाई की है। आयुक्त तथा महानिरीक्षक मौके पर गए है और एक मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/149/302/201 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दर्ज किया है। दो पुलिस अधिकारियों को कथित लापरवाही के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। 19 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखी जायेगी।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : पिछले कुछ दिनों से हम हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में समाचार पढ़ते आ रहे हैं, स्वतंत्रता का अर्थ हरिजनों पर अत्याचार करना नहीं है।

पुलिस भी उस स्थान पर सूचना मिलने के छः घंटे बाद पहुची। हरिजनों पर पहले गोली चलायी गयी, उन पर मिट्टी तेल छिड़काया गया और फिर उनकी लाशों को जलाया गया।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि सारे मामले की जांच के लिये एक निष्पक्ष आयोग का गठन किया जाये।

श्री चरण सिंह : यह दंगा मुजरिमों के दो गुटों के बीच हुआ था जिनमें से कुछ हरिजन थे। इसका अर्थ यह नहीं कि दंगा स्वर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों के बीच हुआ था। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ था।

माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिये कि यह दंगा स्वर्ण हिन्दुओं तथा हरिजनों के बीच वाला नही बल्कि दो गुटों वाला था। मारे गये 11 लोगों में से 3 सुनार थे। हमला करने वालों में से सात महतो थे। अतः यह दंगा दो जातियों के बीच वाला नही है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): I want to know whether the State Government has taken prompt action in the matter. You have suspended Sub-Inspector and Assistant Sub-Inspector. The Government has not taken any action against the High Officials. I want that an enquiry may be made through a Central Agency.

Shri Charan Singh: All those who held the destiny of the country for 30 years are responsible for the present law and order situation in the country. Shri Chavan should not run away from his responsibility.

Shri Yashwantrao Chavan: You are also running away from the responsiblity.

Shri Charan Singh: There is hardly any necessity of CBI probe into the matter. We are satisfied with the investigations already going on.

We will try to moderanise the police. Some persons will have to be sent abroad for training. It will require sufficient funds and training.

श्री बी०पी० मंडल : (माधेपुरा) : मैंने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम प्रतिदिन एक ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। आपके विषय पर विचार किया जायेगा।

श्री बी०पी० मंडल : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। बिहार में 22 आदमी मारे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा है तो आप एक दो मिनट के लिये मेरे पास आयें ताकि हम विचार विमर्श कर सकें।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : शेख अब्दुला के त्यागपत्र के बाद कश्मीर में जो घटनायें हुई हैं, मंत्री महोदय को उन पर भी विचार करना चाहिये। शेख अब्दुला के लोगों ने बालिका कालेज पर भी आक्रमण किया। कल ही राष्ट्रीय मार्ग पर 20 घर जलाये गये। गृह मंत्री को जानना चाहिये कि शेख अब्दुला ने पांच हज़ार लोगों की निजी सेना बना रखी है। जो गुडागर्दी में व्यस्त रहती है। ऐसी दशा में वहां निष्पक्ष चुनाव नही हो सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री वक्तव्य दें।

बिहार में 10 जून, 1977 को चुनावों में हुई मुठभेड़ तथा पुलिस की गोलीबारी के फलस्वरूप कुछ व्यक्तियों की कथित मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

Statement re. Reported death of some persons in Bihar as a result of poll clashes and police firing on 10th June, 1977

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : महोदय, यद्यपि देश के शेष भाग में चुनाव आमतौर पर शान्तिपूर्ण रहा परन्तु बिहार में 10 जून को चुनाव के पहले दिन अनेक घटनाओं का होना खेदजनक है। मुझे भी इस बात का बहुत शोक है कि इन हिंसक घटनाओं के दौरान व्यक्ति मारे गये हैं।

बिहार सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से यह मालूम पड़ता है कि अन्तर दलीय झगड़े के दौरान अग्नेस्त्रों, बमों, तथा अन्य घातक हथियारों का खुलकर प्रयोग किया गया था। मतदान केन्द्रों

पर अधिकार करने के भी प्रयत्न किये गये थे। प्रशासन ने तुरन्त हस्तक्षेप किया और मतदान में गड़बड़ी को रोका तथा मतदान केन्द्रों पर अधिकार करने के सभी प्रयत्न विफल कर दिये। अधिकारियों ने लगभग 16000 मतदान केन्द्रों में से केवल 3 मामलों में दोबारा मतदान की सिफारिश की है।

10 जून को सूचित घटनाओं में 20 व्यक्तियों की जानें गईं और लगभग 40 घायल हुए। 20 की संख्या में एक कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु भी शामिल है जो होम गार्ड की राइफल से हुई। पुलिस ने मतदान केन्द्रों पर अधिकार करने, जीवन तथा सम्पत्ति की क्षति को रोकने और विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए 9 अवसरों पर गोली चलाई। ये थिटकिया (जिला औरंगाबाद), कोकार्सा भगवानपुर (जिला गया), कोरई (जिला पटना) सिआनी, समसखुर्द खसांडो (जिला मुंगेर), लौकही पिराही (जिला मधुबनी) और राम थाड़ी (जिला सन्थाल परगना) में हुई। किन्तु उपर्युक्त पुलिस गोली बारी के परिणामस्वरूप किसी की मृत्यु होने अथवा घायल होने का कोई समाचार नही है।

सबसे अधिक प्रभावित चुनाव क्षेत्र गोह था जहां चार गम्भीर घटनाएं हुईं जिनमें 10 व्यक्ति मारे गये। सागरपुर गांव में एक हिंसक झड़प हुई जिसमें अग्नेस्त्रों और विस्फोटकों का खुलकर प्रयोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप 8 जानें गईं और 18 व्यक्ति घायल हुए। गांव झिथिया में इसी प्रकार की झड़प हुई जिसमें दो व्यक्ति मारे गये। इस चुनाव क्षेत्र के सलेमपुर और हसपुरा गांव में भी विरोधी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हुई।

पटना जिले के पालीगंज विधान सभा चुनाव क्षेत्र में गांव फौरानी, थाना विक्रमगंज में कुछ बदमाशों ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के एक समर्थक को मार डाला था। उसी चुनाव क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने गांव कोरई में मतदान केन्द्र के पास गोली चला दी जिसके परिणामस्वरूप गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी हुआ। बदमाशों और पुलिस दल के बीच गोली बारी हुई और हथियारों के साथ बदमाशों की एक जीपकार पकड़ी गई।

एक सशस्त्र भीड़ ने शेखपुरा चुनाव क्षेत्र में गांव सिआनी में मतदान केन्द्र नं० 113 पर आक्रमण किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। बताया जाता है कि एक व्यक्ति मारा गया और एक अन्य व्यक्ति बम विस्फोट से घायल हुआ। इसी प्रकार बारबीघा विधान सभा चुनाव क्षेत्र में ग्राम समसकुर्द में, एक सशस्त्र भीड़ ने अग्नेस्त्रों तथा बम से मतदान केन्द्र पर आक्रमण किया। पुलिस दल ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप भीड़ तितर बितर हो गई। एक पटाखा बेगूसराय कस्बे के वार्ड नं० 8 के पास रतनपुर में भी फटा जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आई।

जिला गया, पुलिस स्टेशन घोसी, ग्राम कोकर्सा भगवानपुर में विरोधी दलों के समर्थकों के बीच झगड़े में, बताया जाता है कि दो व्यक्तियों की जानें गई। गस्ती पुलिस दल ने भी झगड़ालू भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई पर इसके परिणामस्वरूप किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

बिहार सरकार ने पर्याप्त मात्रा में शस्त्र तथा गोला बारूद पकड़ा है और लगभग 50 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जिनमें चार निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं।

वारदातें वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मैं, जिन व्यक्तियों की जानें गई हैं, उनके परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार को दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार शीघ्र कार्रवाई करने हेतु इन घटनाओं की शीघ्र जांच पड़ताल करने के लिए सलाह दी गई है। बिहार सरकार को सावधान कर दिया गया है और वह शान्तिपूर्ण तथा व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित

करने के लिए उपयुक्त उपाय कर रही है। हमने उन्हें यह भी सलाह दी है कि जो व्यक्ति दंगों के लिए जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

श्री वयलार रवि : अन्य राज्यों के बारे में आप को क्या कहना है? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। (**अन्तर्बाधाएं**)।

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करेंगे। हमें सभी विषयों को बारी-बारी से लेना है। आप मेरे चेम्बर में आ सकते हैं और हम वहां पर ऐसे मामलों को तय कर सकते हैं।

श्री वयालार रवि : मैंने इस सम्बन्ध में आपको पत्र भी लिखा है

अध्यक्ष महोदय : आपके पत्र पर विचार किया जायेगा। (**अन्तर्बाधा**) आप कृपया बैठ जायें। मैं आपको अभी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

रेलवे बजट, 1977-78 सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1977-78—GENERAL DISCUSSION

श्री टी०ए० पाई (उदीपी) : रेल बजट प्रस्तुत करने से पहले मंत्री महोदय ने कहा था कि 13 अप तेजपुर एक्सप्रेस रेल की दुर्घटना दैविक है। मैं आशा करता हूं कि आगे से रेल मंत्रालय के कार्यकरणो को ईश्वरीय कार्य नहीं समझा जायेगा। अनेक ऐसी बातें हैं जिनकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो गम्भीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

प्रो० मधुदंडवते : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्री टी० ए० पाई : हो सकता है किसी और ने कहा हो। हमें बताया गया था कि इस वर्ष का रेल बजट अभूतपूर्व होगा। परन्तु इसमें कोई विशेष बात नहीं है। कुछ वर्ष पहले मैं भी रेल मंत्री रह चुका हू। हम रेल मंत्रालय का काम सुचारू रूप से चलने की ओर अधिक ध्यान देना है। रेल मंत्री ने उन सभी रेल कर्मचारियों को पुनः काम पर ले लिया है जिन्हें निकाल दिया गया था। इस काम के लिये मंत्री महोदय सराहना के पात्र हैं। साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता पार्टी सरकार यह स्पष्ट करे कि वह कर्मचारियों को किस प्रकार की अनुशासनहीनता की अनुमति देगी। रेलों में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि वह रेल की टिकटों में चोर बाजारी को समाप्त करना चाहते हैं। इसके बारे में विशेष प्रयास की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि मुट्ठी भर रेल कर्मचारी यात्री जनता की सुविधा का ध्यान न करते हुए व्यक्तिगत लाभ उठाते हैं।

माननीय मंत्री ने प्लेटफार्म टिकट के दाम कम करने की बात कही है। इससे वित्तीय स्थिति पर कोई विषेश प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे मैं समझता हूं कि प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 50 पैसे करना एक गलत निर्णय था। माननीय मंत्री ने रेल किरायों और भाड़ों में वृद्धि नहीं की है। यह एक अच्छी बात है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि पिछले साल ही किराये तथा भाड़े में वृद्धि की गई थी। आपात स्थिति के दौरान बढ़ाये गये किराये तथा भाड़े में कमी की जानी चाहिये।

रेल मंत्री महोदय मुनाफे के बजट का श्रेय लेना चाहते हैं परन्तु हमें मानना होगा कि यह मुनाफा गत वर्ष के अच्छे कार्य के कारण है। पिछले वर्ष 65 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया गया था।

1 LSS/77—12.

अब इस वर्ष यह 32 करोड़ रुपये के लगभग है । पिछले वर्ष में रेलों द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या पहले की वर्षों की अपेक्षा कहीं अधिक थी । क्या यह बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या कम होने के कारण है ।

मंत्री महोदय ने छात्रों से अपील की है कि रेलगाड़ियों की जंजीर न खींचें । अब प्रतिदिन जंजीर खींचने की 1500 घटनाएं होती हैं । परन्तु यह कहना कठिन है कि यह काम छात्र ही करते हैं । बिना टिकट के यात्रियों की संख्या कम करने के लिये सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए । इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जाये ।

भारतीय रेलवे की वार्षिकी से पता चलता है कि भारतीय रेलवे हर बात में अपने लक्ष्य से बहुत पीछे है । यह 1975-76 का प्रतिवेदन है परन्तु यह 1977 में क्यों पेश किया जा रहा है ? सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सदस्यों को नवीनतम जानकारी मिले ।

सरकार कहती है कि अधिक यातायात वहन करने के बावजूद यातायात के स्वरूप में परिवर्तन होने तथा गाड़ियों की गति कम हो जाने से 33.40 करोड़ रुपये कम लाभ हुआ है । इस वर्ष बेहतर आय के लिये सरकार का क्या अनुमान है ? मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष अधिक कोयला ढोया नहीं जायेगा । संभवतः लौह अयस्क अधिक मात्रा में ढोयी जायेगी बशर्ते निर्यात में वृद्धि हो और विशाखापटनम, हल्दिया और मद्रास के बाहरी बन्दरगाहों का अधिक उपयोग किया जाए । परन्तु हम देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल नहीं होता । इस कारण से सही अनुमान नहीं लगा सकते ।

हमारी रेलों के लगभग 11,000 इंजनों का रखरखाव ठीक नहीं है । सरकार स्टीम इंजनों के स्थान पर सुधरी किस्म के डीज़ल इंजन चलाना चाहती है परन्तु उसमें अधिक प्रगति नहीं हुई है । विद्युतचालित इंजनों में भी अधिक प्रगति नहीं हुई है । इसलिये तीन प्रकार के इंजन हमारी रेल व्यवस्था में चलाये जा रहे हैं । यह भारतीय रेलवे पर एक बड़ा भार है ।

घाटे वाली ब्रांच लाइनों को लाभप्रद बनाने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये । रेलवे वर्कशापों के सुधार के लिये आवश्यक धन उपलब्ध किया जाना चाहिये । हमारे कर्मकार तथा इंजीनियर बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता हैं । उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहियें । इस के लिये रेलवे संसाधनों पर पुन विचार करके महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाये। रेलवे प्रशासन में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये । हमें यात्रियों को अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिये।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

(The Lok Sabba then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.)

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बज कर पांच मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(The Lok Sabha-re-assemble after lunch at 14.05 hours of the Clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

रेलवे वजट, 1977-78 सामान्य चर्चा-जारी

RAILWAY BUDGET, 1977-78—GENERAL BUDGET—Contd.

श्री टी०ए० पाई (उदीपी) : महोदय 1950 में रेलों द्वारा माल की ढुलाई 90 प्रतिशत तक और यात्री यातायात 75 प्रतिशत तक पहुंच गया था । लेकिन 1973-74 से पूर्व यह घट कर क्रमशः

65 प्रतिशत और 35 प्रतिशत रह गया । इसका साधारण सा कारण यह है कि रेलों द्वारा माल शीघ्रता से नहीं पहुंचाया जाता । इसीलिए कोई आदमी रेल द्वारा माल नहीं भेजना चाहता । इसके अतिरिक्त माल के सुरक्षित पहुंचने का भी भरोसा नहीं रहता ।

माल की चोरी होने के कारण रेलों को प्रतिवर्ष 13 करोड़ रुपये की हानि होती है । इसे रोका जाये और क्लेम के भुगतान भी शीघ्र किये जाएं । सोवियत संघ और चीन की तरह भारत में भी माल की ढुलाई मे तेजी लाई जानी चाहिये । हमने रेलों में 1250 करोड़ रुपये लगा रखे हैं । हमें इस राशि से अधिकतम लाभ उठाना चाहिये। माल शीघ्रता से गन्तव्य स्थान पर पहुंचाया जाना चाहिये।

माल गाड़ियों को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिये । हमें एक समय-तालिका तैयार करनी चाहिये । यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि माल गंतव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंचता तो रेलवे हरजाने के रूप में राशि दे । इसी प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में भी है ।

हमारे यहां 132 अलाभकारी ब्रांच लाइनें हैं जिन्हें आवश्यक परिवर्तन द्वारा लाभकारी बनाया जाना चाहिए । उन लाइनों पर ढुलाई व्यय में कमी की जा सकती है या उन क्षेत्रों में उद्योग-धंधे लगाने पर भी विचार किया जा सकता है । बहुत से बांध समय-सीमा लांघ चुके हैं । छोटी-मोटी मरम्मत से उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा । उन्हें सुदृढ़ किया जाना जरूरी है ।

हमें सार्वजनिक यातायात प्रणाली को बहुत विकसित और मजबूत करना है । दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि बड़े नगरों में महानगर परिषदें बनायी गई हैं । फिर भी इस कार्य के लिए केवल 10 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है ।

श्रेणी रहित गाड़ी सर्वप्रथम मैंने 1972 में चलाई थी । उससे पर्याप्त आय भी होने लगी थी । इस गाड़ी को बन्द नहीं किया जाना चाहिये ।

मैं कुछ बातें प्रशासन सम्बन्धी भी कहना चाहता हूं । प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें पूरी की पूरी स्वीकार कर ली जानी चाहिये । रेलवे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है । उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए । रेलवे के प्रतिदिन के प्रशासन में राजनीति आने से हानि ही हो सकती है । वहां अनुशासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यदि आप प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा दल आपका इस मामले में समर्थन करेगा ।

हम भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि देश के इस बड़े उपक्रम का कार्य सुचारू रूप से चले और उससे लाभ प्राप्त हो ।

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : महोदय मैं रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेलवे बजट का समर्थन करता हूं । यह बजट चाहे अपने आप में पूर्ण न हो परन्तु पिछले अनेक वर्षों से इतना अच्छा बजट पेश नहीं हुआ ।

आपातकाल के पिछले 19 महीनों के दौरान रेलवे कर्मचारियों पर क्या-क्या जुलम नहीं किये गये । अब जनता पार्टी ने उन लाखों कर्मचारियों को अवसर दिया है कि इस विशाल उपक्रम के विकास में सहयोग दें । छः सप्ताह से कम समय के भीतर अनेक कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है । इससे देश भर में औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हुआ है । रेलों में अब माल की अधिक ढुलाई होने लगी है । उत्पादन एककों में अधिक उत्पादन हो रहा है ।

जब हम विपक्ष में थे तो बराबर यह मांग करते रहे कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जायें । हमारी मांग थी कि रेलवे बोर्ड पर इतना अधिक व्यय न किया जाये उसमें

नौकरशाही का बोलबाला न हो । उसे केवल नीति निर्धारित करनी चाहिए । अब इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने सिफारिशों पर विचार किये जाने की बात कही है । उन सिफारिशों पर पुनः विचार आवश्यक है क्योंकि वे सिफारिशें भिन्न परिस्थितियों में की गई थीं । उनमें कुछ और सुझाव भी शामिल किये जायें ताकि वे और भी प्रभावशाली बन जायें ।

शक्तियां बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथों में ही केन्द्रित नहीं होनी चाहिये । मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहिये कि आयोग की सिफारिशों को एक नियत अवधि के भीतर लागू कर दिया जायेगा ।

मुझे खुशी है कि रेलवे बोर्ड में श्रमिक भागीदारिता की ओर भी ध्यान दिया जाने लगा है । हमें इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और वास्तव में श्रमिकों को भागीदार बनाना चाहिये ।

पुनर्गठित रेलवे बोर्ड में सभी कार्मिक संघों को भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिये । इस सम्बन्ध में नीति की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये । यह देखा जाना चाहिये कि क्या एक उद्योग में एक यूनियन के सिद्धान्त को अपनाना सम्भव है । उपयुक्त विधायी परिवर्तन करके पुनर्गठित बोर्ड में सदस्य निर्वाचित किये जाने चाहियें जहां पर वे नीतियों के निर्धारण में भाग ले सकें और उनके कार्यान्वयन में भी वे भाग ले सकें ।

मुझे प्रसन्नता है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये कदम उठाये गये हैं । भ्रष्टाचार से रेलों की कुशलता समाप्त हो गई है । कई प्रकार के सुझाव और विचार व्यक्त किये गये हैं परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कृपलानी समिति ने 1955 में इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं । परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समिति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ताकि रेल व्यवस्था में आये नये प्रकार के भ्रष्टाचारों को भी समाप्त किया जा सके । आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक शक्ति का इतना दुरुपयोग किया गया कि रेल व्यवस्था में भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है । केन्द्र और राज्यों में राजनीतिक शक्ति को बनाये रखने के लिये भ्रष्ट रेल कर्मचारियों को भी वफादार घोषित किया गया और उन्हें रेलवे में प्रतिष्ठित स्थान दिये गये ।

भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि इसे पूरी तरह समाप्त करना बहुत कठिन है । मुझे मालूम है कि रेलों में बैगनों की बुकिंग आदि और कोयले और ईंधन के उपयोग के स्तर पर काफी भ्रष्टाचार है । इसके अलावा टेंडर दिये जाने के मामले में भी काफी भ्रष्टाचार होता है । छोटे व्यवसायियों को अवसर ही नहीं मिलता । इसकी जांच की जानी चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय भ्रष्टाचार की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक छोटी समिति गठित करें । यह समिति छह महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन दे और मंत्री महोदय सुनिश्चित करें कि उसकी सिफारिशें लागू हों ।

रेलों पर कुछ ठेकेदारों को पीढ़ी दर पीढ़ी ठेके मिलते चलते आ रहे हैं । अब समय आ गया है कि इन्हें ठेके देने के तरीके पर पुनर्विचार किया जाए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और नौजवान व्यक्तियों को इस क्षेत्र में अवसर मिल सके ताकि बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक दूर हो सके ।

रेलों पर लाखों आकस्मिक मजदूर हैं । उनकी स्थिति बहुत दयनीय है । उन्हें आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिये । कम से कम अर्ध-कुशल आकस्मिक मजदूरों के स्तर तक कोई स्थायी बनाये जाने की सूची होनी चाहिये और उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछायी जाएंगी । इसके साथ पिछड़े क्षेत्रों में नये उत्पादन यूनिट भी स्थापित किये जाने चाहियें ।

उड़ीसा में प्रति एक लाख व्यक्तियों के पीछे सबसे कम मार्ग किलोमीटर लाइन है। अतः मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिये हैं उन्हें पूरा किया जाना चाहिये। इसके अलावा इन आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये एक वृहत योजना बनाई जानी चाहिये ताकि सभी नई लाइनें और कर्मशालाएं इन पिछड़े राज्यों में स्थापित की जा सकें। रूपसा तालाबंद छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये और इसे करंसपुर तथा बम्बई तक बढ़ाया जाना चाहिये। जगपुरा को बांसपानी के साथ जोड़ा जाना चाहिये। यदि इसमें देर हुई तो अयस्क के स्टाक से लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। तालचेर-बिमलगढ़ रेल लाइन का क्या हुआ? मुझे खुशी है कि तालचेर-सम्बलपुर लाइन राउकेला और उड़ीसा के अन्य भागों को जोड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कालाहांडी–फूलबनी–बोलांगीर आदिवासी क्षेत्र में रेल लाइनों की संख्या बढ़ायी जाये।

गत दो या तीन वर्षों से भुवनेश्वर के निकट मयूर भंज में एक रेल कर्मशाला स्थापित किये जाने की बात की जा रही है। परन्तु, पता नहीं इसका क्या हुआ। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में किसी स्थान पर यह कर्मशाला स्थापित की जाये। यदि भूमि आदि प्राप्त करने के बारे में कोई कठिनाई है तो राज्य सरकार से कहा जा सकता है ताकि इस काम को शीघ्र शुरू किया जा सके।

रेल प्रशासन में मितव्ययिता लाने के लिये एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिये। हम अत्यन्त गम्भीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि जहां ऐसी मितव्ययता संभव है, बरती जानी चाहिये। जहां तक सैलूनों का सम्बन्ध है, इस बात की जांच की जानी चाहिये कि क्या सैलूनों के उपयोग को समाप्त करना संभव है।

श्री पाई ने कहा है कि रेलवे व्यापारिक ढंग से चलाई जानी चाहिये। रेलवे को अवश्य ही व्यापारिक ढंग से चलाई जानी चाहिये। परन्तु इसे केवल लाभ कमाने के लिये ही नहीं होना चाहिये। इसे यात्रियों को राहत और सुविधायें देनी चाहिये और इसे मजदूर प्रधान होना चाहिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : इस प्रकार का रेल बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्र में नई लाइनें बिछाये जाने के बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। रेल मंत्री कृपया यह बताएं कि क्या निजामाबादीं से कुन्दू तक बारास्ता करीमगंज एक नई रेल लाईन, जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, के निर्माण को शुरू करने का प्रस्ताव है।

यह प्रसन्नता की बात है कि रेल मंत्री ने दूसरे दर्जे के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने का आश्वासन दिया है, परन्तु प्लेटफार्मों और स्टेशनों पर सफाई रखने के लिये पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री ने रेलवे विभाग को प्लेटफार्मों पर अधिक बेंच और शौचालयों की व्यवस्था करने की हिदायत दी है।

इसके अलावा प्लेटफार्मों पर भिक्षा मांगने वाले बहुत होते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। जब तक यह समस्या दूर नहीं होती तब तक हम विदेशियों के मन में अच्छा प्रभाव पैदा नहीं कर सकते। प्लेटफार्मों पर भिक्षावृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिये।

यह अच्छी बात है कि प्लेटफार्म टिकट का मूल्य 50 पैसे से कम करके 30 पैसे कर दिया गया है। परन्तु मेरे विचार में 30 पैसे भी अधिक है। जब रेल मंत्री कहते हैं कि इसका मूल्य कम करके भी रेलवे को कोई हानि नहीं होगी तो इसका मूल्य कम करके 20 पैसे या 15 पैसे क्यों नहीं कर दिया जाता? मेरे विचार में यह ठीक रहेगा।

यदि मंत्री महोदय प्लेटफार्म टिकट 20 अथवा 15 पैसे का कर दें तो और भी अच्छा रहेगा।

स्थानीय रेल अधिकारियों को अधिक शक्तियां देने का मैं स्वागत करता हूं। रेल बजट में नई लाइनों के निर्माण पर व्यय होने वाले धन में 21 करोड़ रुपए की कमी की गई है। रेल मंत्री इस कमी को समाप्त करें और नई लाइनों के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करें। आजकल रेल गाड़ियां समय पर नहीं चल रही हैं। गाड़ियों के चलने में नियमितता लाई जाये। गाड़ियों में सुरक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठाये जायें। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद रेलों में सुरक्षा में कमी आई है। इसका प्रभाव दूसरे दर्जे के यात्रियों पर पड़ा है। उन्हें ही इस कारण कष्ट सहने पड़ते हैं। रेलों में अच्छा खाना नहीं मिलता है। इस पर ध्यान देना चाहिए।

तमिलनाडु एक्सप्रेस वारंगल में नहीं रुकती है। इस बारे में बहुत समय से मांग की जा रही है। रेल मंत्री महोदय इसे पूरी करें।

हैदराबाद एक्सप्रेस दिल्ली से हैदराबाद 24 घंटे में पहुंचती है। मेरे ख्याल में इसे और घटाया जा सकता है। दक्षिण एक्सप्रेस पहले नई दिल्ली से चलती थी परन्तु अब वह निजामुद्दीन से चलती है। जिसके परिणामस्वरूप बहुत कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। मेरे पास तथा मेरे आन्ध्र प्रदेश के साथियों के पास बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि इस गाड़ी को नई दिल्ली स्टेशन से चलाया जाये। मंत्री महोदय कृपया इस ओर ध्यान दें।

हैदराबाद – बंगलौर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाये। यदि आप ऐसा करते हैं तो दिल्ली से बंगलौर की दूरी में कमी आएगी। क्योंकि नई लाइन बन जाने से मद्रास नहीं जाना पड़ेगा।

पीड़ित कर्मचारियों को बहाल किये जाने पर मुझे खुशी है। परन्तु यदि इस प्रकार आप सभी कर्मचारियों को लेते जायेंगे तो कठिनाई पैदा हो जाएगी।

मंत्री महोदय कृपया बतायें कि क्या निजामाबाद और रामगोदाम, बरास्ता करीमनगर लाईन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। क्या इस लाईन को वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिया जा सकेगा अथवा नहीं ?

Dr. Bapu Kaldate (Aurangabad) : The Railway Minister deserves compliments for having kept his promise to reinstate these railway employees whose services were terminated for participating in Railway strike of 1974. So far the policy had been to say one thing and do something else.

The statistics given by the Law Minister regarding additional loading of one million tonne by the railways during April 1977 has been possible because of the initiative and more co-operation of the workers.

It is heartening to note that the Railway Minister has taken initiative to implement the recommendations of the Administrative Reforms Commission. The recommendations of the commission were not implemented for a long time. The previous government did not implement for year of political intervention. When we look at the railway Administration and the public enterprises it is found to be top heavy. It is therefore suggested that measures should be taken for decentalization of authority. But it should be born in mind that if decentralization is necessary, coordination is also as much necessary as decentralization. If decentralisation and coordination do not go together then decentralization lead to degeneration.

The Railway Minister's announcement that long distance trains would be classless trains is welcome. The railways can set an example to bring about a classless society by abolishing the classes in trains the railways should abolish the first class as soon as possible.

The Railway Act was enacted in 1890. It is proper to continue this Act for long.

The Railway budget shows that both the perspective planning and immediate problems in Railways have been taken into account in formulating the schemes of development. It appears that the Railways Minister has put forward a new philosophical approach in tackling the immediate problems of the Railways. There is a great urgency of paying special attention to the backward areas such as Marathwad a region of Maharashtra. A number of demands for new railway lines have been pending for long. The proposals for undertaking convertion such as Mannad-Purli line and Miraj-Solu line be implemented. We have been told uptill now that work in regard to these lines is in progress but it is dis - appointing to note that these schemes remained only on papers and actually there has been no progress in the matter. The Railway Minister should seriously look into the matter.

The population of Marathwada region is 30 percent of the population of Maharashtra where as the plan allocation is only 6 per cent. The industrialisation of Marathwada is very slow. The industrialists when asked to establish industries in the area complain of absence of railway facilities where as when the Railways are asked to set up Railway lines they state that there are no industries in the area .

Provision for two Railway lines has been made in the budget for two railway lines Setur-Miraje and Setur-Selur road only a taken provision of Rs. 5 lakhs has been made. The work cannot be undertaken unless the final location survey is completed. The previous government has done nothing in this direction and therefore in order to inspire confidence among the people the final location survey should be immediately undertaken. It is essential that work on constructing new lines in backward areas of Maharashtra region is taken up immediately.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे (अहमदनगर): मैं प्रो० मधु दण्डवते को रेल मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिये शुभ कामनाएं देता हूं।

रेलवे में 60 प्रतिशत व्यय कर्मचारियों पर तथा 20 प्रतिशत ईंधन पर होता है। जहां तक कर्मचारियों पर व्यय का प्रश्न है उसमें बचत करने की गूंजाइश है। इस पर विचार किया जाना चाहिये। रेलें नई लाईनों पर व्यय के लिये धन की व्यवस्था नहीं कर पाती। यदि भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहती है तो उसे उसके लिये योजना तैयार करनी चाहिये।

[**श्री एस० डी० पाटिल पीठासीन हुए**
Shri S.D. Patil in the chair]

कुछ क्षेत्रों पर हम अधिक व्यय कर रहे हैं। नई लाइनों के निर्माण में विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय रहना चाहिये। बस्तर का क्षेत्र सम्पदा सम्पन्न क्षेत्र है। तथा रत्नगिरि क्षेत्र में तेल के पाये जाने की संभावना है। कोंकण के पूरे क्षेत्र का तथा तटीय क्षेत्र का बागवानी की दृष्टि से विकास किया जाना चाहिये ।

सरकार को नई लाईनों के विकास के लिये किसी के दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिये।

जनता पार्टी ने कहा है कि उनके कार्यक्रम ग्रामोन्मुख होंगे। अतः मेरा सुझाव है कि कृषक वर्ग के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाये ताकि रेलों के कार्यकरण में सुधार लाया जा सके ।

प्रो० मधु दण्डवते :–अपने बजट भाषण में मैंने दावों के निपटारों का उल्लेख किया है। जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं से बैठक का उल्लेख किया गया है वे सभी कृषक हैं ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भारत सेवक समाज जैसे बहुत से संगठन इस देश में कार्यरत हैं। उन सबके प्रतिनिधियों से आप बातचीत कर सकते हैं ।

कई खाद्य पदार्थों की ढुलाई खुले माल डिब्बों में की जाती है। अनाजों के लिये खुले डिब्बों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

खाद्यान्न एक अनिवार्य वस्तु हैं और इसे ढके हुये डिब्बों में लाना लेजाना चाहिये । भारतीय खाद्य निगम ने इस सम्बन्ध में रेलवे कंवेंशन कमेटी को एक ज्ञापन दिया था ।

उर्वरक कृषि उत्पादन के लिये बहुत जरूरी है। करोड़ों रुपए की लागत का उर्वरक प्रतिवर्ष रेलवे में बर्बाद होता है। उर्वरक लाने-लेजाने की सारी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। रेलवे टनों के हिसाब से भाड़ा वसूल करती है। किसानों के पास खाद का जो बोरा पहुंचता है उसमें 5 से 10 किलो तक कमी होती है। उनकी शिकायतों को कोई नहीं सुनता। राज्य सरकारों की शिकायतों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में मंत्रालयों के बीच आपस में कोई भी तालमेल नहीं है। जनता सरकार ने उर्वरक के दाम कम करने की जो घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।

इससे पहले शहरों के कूड़ा कर्कट को कृषि कार्य के लिए ले जाने हेतु सुविधा दी जाती थी। लेकिन अब इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती। कूड़ाकर्कट कृषि उत्पादन के लिए लाभदायक होता है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

कृषि उत्पादन के मार्केटिंग में रेलवे को भी सहायता प्रधान करनी चाहिए। रेलों द्वारा फल और सब्जी का लाना ले जाना बहुत कम हो गया है। रेलवे ने हिमाचल प्रदेश सेबा सेब लाने के लिए स्पैशल रेलें चलायी थीं। रेलवे को हिमालय क्षेत्र से अधिकाधिक सेब लाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

गाड़ियों द्वारा लाने ले जाने वाले गाय भैंस जैसे जानवरों के लिए उचित प्रबन्ध नहीं हैं, यहां तक कि इसमें उनके लिए पानी की व्यवस्था भी नहीं होती। जानवरों के साथ निर्ममता से व्यवहार किया जाता है।

रिसर्च, डिजाइन तथा स्टैन्डर्ड संस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। अनुसंधान कार्यकर्ताओं के वेतनमानों का जिक्र बजट में किया जाना चाहिए मुझे आशा है कि रेलवे इन बातों की ओर उचित ध्यान देगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। रेल मंत्री ने जो नया रास्ता अपनाया है उसमें कठिनाईयां अवश्य आयेंगी । हमें आशा है कि वे इन कठिनाइयों का सामना करने में सफल होंगे। आपातकालीन स्थिति के दौरान जो कर्मचारी दमन के शिकार बने, उन्हें यथाशीघ्र नौकरी पर बुलाया जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति से पहले के कर्मचारियों को दमन का शिकार होना पड़ा था और इसका कारण मजदूर संघ की गतिविधियां ही थीं।

अनुशासन कई प्रकार के होते हैं। एक अनुशासन नौकरशाही का होता है और दूसरा स्वैच्छिक। हमें कर्मचारियों के अन्दर स्वैच्छिक अनुशासन की भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए।

मजदूर संघों के दमन की ओर मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिए। मजदूर संघों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामलों को

अभी तक भी नहीं निपटाया गया। इस प्रकार के कई मामले मैंने रेल मंत्री के नोटिस में लाए हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान 1200 कर्मचारियों को दमन का शिकार बनाया गया लेकिन यह संख्या रेल मंत्री के अनुसार 1900 है।

अब हर प्रकार से तंग किये गये कर्मचारियों, चाहे उन्हें नौकरी से निकाला गया हो चाहे कोई और सजा दी गई हो, के मामले सहानुभूतिपूर्वक निपटाये जाने चाहिएं ताकि वे समझ सकें कि नई सरकार का दृष्टिकोण क्या है। इस प्रकार प्रशासन में एक नया वातावरण पैदा होगा।

रेल मंत्री को रेल कर्मचारियों ने एक चार्टर आफ डिमांड पेश किया था, सभी छः मांगों के लिए वित्तीय व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है।

एक मांग यह भी है कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी समझा जाये। सरकार को इस मांग की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

अन्य मांगों के बारे में मजदूर संघों के नेताओं से वार्ता की जानी चाहिए। यह मांग भी की गयी है कि काम के घंटे आठ होने चाहिए। लोगों को दस घंटे तक काम करने के लिए कहा जाता है। लोगों के बीच इस संबंध में बहुत असंतुष्ट है। आठ घंटे की डिउटी के समय को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

इस समय प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने संबंधी मंत्री महोदय के प्रयोग संबंधी कोई भी टिप्पणी मैं न दे सकूंगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि रेलवे की मान्यता प्राप्त फैडरेशनों के अन्तर्गत सभी रेल कर्मचारी नहीं आते हैं। मुझे यह समझ नही आता कि ऐसा क्यों है परन्तु हां, मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमें इसके लिये कुछ तरीका निकालना होगा। हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसके अन्तर्गत कि उन संघों को भी स्थान दिया जा सके जिन्हें इससे वंचित रखा गया है। हमें इसके बारे में नई नीति तैयार करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिस संघ को मान्यता प्राप्त हो जाये, उसका मतदान नई गुप्त मतदान प्रणाली से करवाया जाना चाहिए।

श्रम मंत्री द्वारा लोको रनिंग स्टाफ फेडरेशन के साथ एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार फेडरेशन को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाना था परन्तु आपात स्थिति के दौरान उसे समाप्त कर दिया गया तथा श्री कुरेशी ने यह कहा कि इस प्रकार का कोई समझौता नहीं हुआ था। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि कर्मचारियों के साथ जो भी समझौता सरकार द्वारा किया गया है। उसका स्वागत किया जाना चाहिए अन्यथा कर्मचारियों का सरकार से विश्वास उठ जायेगा।

अब यदि विकेन्द्रीकरण के नाम पर महाप्रबन्धकों को और अधिकार दिये जाते हैं तो उसके फलस्वरूप निम्न स्तर की तानाशाही में वृद्धि होगी। यह आश्चर्य की बात है कि केन्द्र में नई सरकार के बन जाने के उपरान्त भी अभी तक नौकरशाही के रवैये में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। अभी कुछ ही समय पूर्व दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्मिक अधिकारियों द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें यह निदेश दिया गया है कि यूनियन के नेताओं के क्रियाकलापों पर कड़ी निगरानी रखी जाय। इसी प्रकार एक अन्य परिपत्र जारी करके रेलवे बोर्ड ने यह निर्देश दिया है और कि जिन कर्मचारियों को बहाल किया गया है उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि यदि अबकी परिवर्तित परिस्थितियों में भी इस प्रकार के रवैये में परिवर्तन न हो पाया तो फिर कब होगा?

मेरा एक सुझाव यह भी है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत विवादों को तय करने की व्यवस्था रेलों के संबंध में भी लागू की जानी चाहिए। काफी समय पहले एक परिपत्र जारी किया गया

था जिसके द्वारा रेल कर्मचारियों की सेंट्रल इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स मशीनरी के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। अब समय आ गया है कि इस परिपत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए। विवादों के निपटारे के लिए औद्योगिक विवाद तंत्र को पुनः बनाया जाना चाहिए।

त्रिपुरा में रेल व्यवस्था के विकास के बारे में जो मांग की जा रही है उससे तो मंत्री महोदय भलीभांति अवगत ही हैं। यह काम बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इसे जितना शीघ्र किया जायगा उतना ही अच्छा होगा।

हावड़ा आमता लाइट रेलवे के लिए केवल 36 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। इससे तो रेलवे लाइन के पूरा होने में काफी समय लग जायगा। सरकार को इस राशि में वृद्धि करनी चाहिए। इसी प्रकार कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल में अन्य स्थानों पर यातायात की जो भारी कमी है, उसका उचित समाधान करने की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए योजना आयोग तथा अन्य स्रोतों से धन जुटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी रेलवे में वैगनों के आबंटन तथा सीटों के आरक्षण आदि के बारे में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समय आ गया है जबकि हमें यह सब समाप्त करना होगा। रेल मंत्री को इसके लिये उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी तथा यह रेलवे कर्मचारियों का उपयुक्त सहयोग प्राप्त कर इसके समाधान के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिएं। यदि रेलवे कर्मचारियों का उपयुक्त सहयोग प्राप्त हो जाये तो रेलवे के राजस्व में काफी वृद्धि की आशा की जा सकती है भले ही फिर इस राशि का उपयोग रेल विकास के कार्यों के लिए ही किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं तथा श्री दण्डवते को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस नीति की घोषणा की थी, उसे उन्होंने निरन्तर क्रियान्वित करने का प्रयास किया है।

Shri Jagdish Parsad Yadav (Godda): I welcome and support the revolutionary attitude adopted in the railway budget. Ii is a matter of satisfication that the assutance given with regard to the renistatement of employees retrenched during emergency has also been fulfilled. But in this connection I want to draw the attention of hon. Minister towards the employees of Jamalpur and other places who were forced for pre-matured retirement. Steps should also be taken to take back such employees. Similarly the case of casual labour whose refrence is alomost a common feature of every budget discussion should also be looked into. My other humble submission is that the platform ticket should be brought down to twenty paise insted of thrity paise.

Regarding your proposal for laying down new railway lines in backward areas, I would like to know on how many lines work has been started or is likely to be started and where survey was got conducted by late Railway Minister, Shri L.N. Mishra. Santhal Pargana is the most backward district of Bihar. The people of the area have a longing for seeing and travelling by rail but it is difficult to see any train in the area. It is submitted that necessary railway facility should be provided in the area.

It is a matter of concern that the railway traffic is decreasing day by day. But on the other hand the percentage of road traffic is on the increase. The railway service should be developed in such a way that it can compete with road traffic. It is a strange irony that the highly paid officials are employed in railway but the efficiency of road traffic is increasing whose officers are not as highly paid as those of railways.

think railway platform can be called a good bazar, because almost all items are sold there. But it is a matter of pity that lot of cheating there and the most third rate things

are sold there and that too on much higher rates. Something must be done in this regard too. In this connection I would like to appreciate Shri K. Kamumentoyya our former Railway Minister who made the arrangement for keeping a complaint book on platforms for lodging complaints in this regard.

Jamalpur is a very old workshop. But during the course of last five year plans, the number of workers of this workshop has been brought down to 9 or 10 thousand from 22 thousand. Several workers who have completed their apprenticeship are lying un-employed. This should be looked into.

It is strange that the suggestions of Members of Parliament and Assemblies are invited by your Ministry but those are rarely accepted. Then what is the point in inviting suggestions ? My other suggestion is that Sahabganj railway line should be doubled the other small platforms which are on the stations of this line lack the amenities of water and electricity.

The corruption in railways is on such a large scale in railway as is the department. Janta party must take initiative for the eradication of corruption which is mainly in booking of wagons and reservation. Similary necessary steps should also be taken to prohibit begging and checking of pick-pocketting on the platforms.

The introduction of class-less trains is of course a very welcome measure and so are the other revolutionary measures such as providing of liabraries in the trains.

May I know what efforts the Government is making to make it mere dynamic.

During the last elections the Janta party led to face two allegations. One was why the trains started running late. The second was the rising prices of commodities. No reason could be advanced for late running of trains.

We are planning to increase employment avenues. The railways can contribute to a large extent in this direction.

Village is the soul of India. So long as we do not develop villages the country cannot progress. The railways should serve our villages.

Railways suffered losses because goods were transported in open wagons. We do not have adequate arrangements to protect the goods from rain. Proper steps should be taken in this matter.

There is a double line from Sahibganj to Barharha. The line from Barhasha should also be doubled.

The Minister of Communications (Shri George Fernandes): A former Railway Minister has stated that there is nothing new in the Railway Minister's budget speech. It has to be realised that progress of the Railways formed part of the development of the entire country. It would take sometime to clear the rot accumulated during 30 years of the Congress rule.

It is estimated in the Fourth Plan that the originating freight traffic would be about 280 to 290 million tonnes. In the fifth plan it is stated that at the end of the plan the railways would be equipped to carry an estimated originating freight traffic of 250 to 260 million tonnes. This is low target. The envisaged target for traffic has come down.

Now the Railway Minister in his budget speech has said that in 1977-78 we hope to have an originating revenue-earning traffic upto 220 million tonnes. This was the state of

economy brought about by the previous government . It will take quite sometime for the new government to improve the situation. It is not possible to cure all the ills and bring about all ground developments with in a span of two and a half months.

A good beginning has been made by reinstating the victimised railway employees. This is a very important step taken because without the cooperation of the railway workers railway administration cannot improve.

It has been said that 40 per cent of railway staff is surplus. There is no basis for this statement. It does not appear that the railway is over staffed.

Lot of Railway employees can be improved by increasing productivity in the railways.

I have been engaged in trade union activities for 29 years. I have never said that the workers should be paid money from outside. Productivity should be increased and margin portion of the earning should be spent on the welfare of the workers. We would like to move in that direction and take steps to improve the working of the railways with the cooperation of the employees.

The question of corruption in railways has been referred to. But the corruption that prevailed in the high ups remained overlooked. The country had been taken on the path of moral degradation especially during the past 11 years. During the past 3 years the country had fallen very low. We have to take the country out of that situation.

In the past there were cases when Railway workers were victimised when they brought corrupt practices to the notice of higher authorities. That was the approach of the previous government to the question of the eradication of corruption.

The railways can play a vital role in showing unemployment problem. The ver y first thing we ought to do in this regard is to give due attention towards construction of new railway lines. There are certain areas which do have railway facilities but are backward economically. This ought to be connected. A lot of publicity used to be given to the inaugratlons of new railway lines but most of these lines remained on paper alone.

I feel that so far as the development of the Railways is concerned, it shouldtake place in the areas which require to be developed. There are lakhs and crores of young persons who need to be employed on profitable jobs.

I appeal to the Railway employees that they should realise that the time has changed. I want that our best moral values may be re-established. The railway employees should do their best to improve the working of the railways.

More attention has to be paid to the development of rail facilities. Construction of new lines would have to be taken up on a big scale. Special attention has to be paid to backward areas. Work of doubling of lines should also be taken up. That way the railways can help in tackling the problem of unemployment.

There is no need for a competition between rail and road transport. Both systems should work in cooperation.

श्री बी० रचैया (चामराजनगर) : सर्वप्रथम मैं रेल मंत्री को रेलवे प्रशासन को नई दिशा प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं।

मंत्री महोदय ने रेल प्रशासन से सम्बन्धित प्रशासनिक सुधार आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार की हैं। इससे रेल प्रशासन में काफी सुधार होगा।

शुरू-शुरु में तर्क दिया गया था कि रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के लिए सचिवालय का कार्य करता है।

[**श्री एम सत्यानारायण राव** : पीठासीन हुए।]
[**Shri M. Satyenarayen Rao in the Chair.**]

रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन करने के लिए कई बार प्रयत्न किये गये परन्तु अभी तक उस दिशा में कुछ नहीं हो सका। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन करने के लिए शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

भारत का रेलवे उपक्रम विश्व में चौथा विशालतम उपक्रम है। इन में लगभग 17 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। रेलवे की समस्याएं बहुत कठिन और जटिल हैं। मुझे यह प्रसन्नता है कि रैलवे बोर्ड की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो जायेगा। विकेन्द्रीकरण का अर्थ लोकतन्त्र और रेलवे कर्मचारियों में विश्वास पैदा करना है।

जिन रेल कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया था उन्हें फिर सेवा में बहाल कर दिया जायेगा। अतः उन कर्मचारियों से सहयोग मिलने से यह 32.5 करोड़ रुपए के लाभ वाला बजट होना उचित ही है। यदि कार्य की वर्तमान गति बनाये रखी जाय तो आगामी वर्षों में रेलवे को 50 करोड़ से भी अधिक लाभ होगा। अतः 20 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में कमी करने का कोई कारण नहीं है। इस कटौती से लोकोमोटिवों को विद्युत चालित और डीजल चालित किया जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस बारे में शीघ्रता की जाये। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय पिछड़े क्षेत्रों को लाइनें देने में न्याय करेंगे। अनेक गेज की रेल लाइनों को एक ही गेज की बनाने के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। इससे माल लाने ले जाने में तथा यात्रियों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

कर्नाटक में हसन–मंगलौर लाइन का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि मीटर गेज लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाये। जिससे कि पिछड़े क्षेत्र को लाभ पहुंचे।

यदि इसे मीटर लाइन के बजाय बड़ी लाइन बनाया जाये तो मद्रास तक सीधे जाया जा सकता है। अतः मैं रेल मंत्री से अपील करता हूं कि इस मीटर लाइन को तोड़ दिया जाये और उसके स्थान पर बड़ी लाइन बनायी जाये ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

गुन्टाकल–बंगलौर लाइन को बदलने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। रेल प्रशासन इसे निर्धारित समय तक पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रावधान की गई राशि बहुत कम है। बंगलौर में यातायात की काफी कठिनाई है। अतः बंगलौर-मैसूर को बदलने के लिये और इसे ईरोड से मिलाने के लिये राज्य सरकार और संसद सदस्यों से अभ्यावेदन दिये गये हैं। राज्य सरकार ने मुक्त स्लीपर सप्लाई करने और आवश्यक भूमि देने का भी प्रस्ताव रखा था। मैसूर सिटी औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। यदि मैसूर-चामराज नगर को ईरोड़ से जोड़ा जाता है तो इससे इस क्षेत्र को लाभ होगा। किसी और

राज्य ने इतनी सहायता देने का प्रस्ताव नहीं रखा है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस काम को आरम्भ किया जाये।

जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है, इनमें मानव तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। अतः रेल कर्मचारियों को सन्तुष्ट रखा जाना चाहिये और उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और गलती करने वाले कर्मचारियों के साथ उचित सलूक किया जाना चाहिये।

सरकार को रेलवे को व्यवसाय के तौर पर चलानी चाहिये, परन्तु इसमें समाज सेवा का भी तत्व है। अतः इसे राजस्व की कुछ हानि उठानी पड़ती है। उन्हें अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। उन्हें यात्रियों को स्टेशनों पर पीने के पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करनी होती है। मुझे प्रसन्नता है कि रेल मंत्री जनता के लिये श्रेणी रहित गाड़ियां चलाने और गद्देदार सीटें उपलब्ध कराने की बात सोच रहे हैं। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह किसी भी कर्मचारी की सेवा तब तक नहीं बढ़ायेंगे जब तक उसका तकनीकी रूप से नितान्त आवश्यक न हो। यह अच्छा प्रस्ताव है। इससे कुछ हद तक बेरोजगार लोगों को सहायता मिलेगी।

Shri Dharma Vir Vasisht (Faridabad): I would like to congratulate the Railway Minister for presenting a budget with a surplus of more than Rs. 32 crores.

Faridabad is a big industrial town, but the existing train services between Delhi and Faridabad and beyond are quite inadequate. I would request the hon. Minister that some additional trains may be started between Delhi and Mathura. Then, the proposal of electrification of track between Delhi-Mathura-Agra should be implemented. The administration of railways should be decentralised and more powers should be given to zonal offices.

It is a welcome feature of the budget that the price of the platform ticket has been reduced from 50 paise to 30 paise and there has been no increase in railway fare and freight and still, a surplus budget has been presented.

It is learnt that there is a proposal to build up a dry port at Palwal and so, if it is linked with Khurja (U.P.) through rail connection, it will facilitate smoother transhipment of goods and it will provide a good connection with national capital region. It is not known as to how far laying down the underground railway line in Delhi is feasible but it will certainly provide a good connection between Delhi and Palwal.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Sir, I welcome and suppor tthe Railway Budget presented by the hon. Minister. The present railway budget has been welcomed by almost every section of the society in this country.

The Railway Minister has done well in reducing the price of platform ticket,but it would have been better if the railway fares for the second class are reduced.

The Railway Minister deserves compliments for reinstating those employees who had taken part in railway strike in 1974. But it is a matter of concern that several cases are still pending in which the pay disputes of employees have not been settled. I request the hon. Minister to make some sort of declaration about settlement of pay disputes of employees.

Government have accorded recognition to too trade unions which had supported emergency and their membership is negligible. Government should review their policy of according recognition to trade unions and they should grant recognition to Bhartiya Rail Mazdoor Sangh which has always supported us.

The employees, who opposed the strike, were given promotion but the employees who supported the strike and opposed emergency and 20-point programme were deprivedof their rights and they suffered a lot. There is heavy resentment among them as a result thereof. I want that steps be taken to solve their problem. I also request that the employees transferred may again be posted at their original place of duities.

The method of making allotment of railway stalls should be streamlined. No one should be given more than one stall.

The speed of Sabarmati Express between Ahmedabad and Firozabad Via Ratlam Ujjain and Bhopal should be increased. Punctuality of trains should be ensured. The meals served in trains is costly and less in weight. Attention should be paid towards this.

Steps should be taken to regularise and make permanent the casual workers working in railways.

More and more use of Hindi should be ensured on the Railways. There are lot of malpractices so far as settlement of claim cases is concerned. I request that claim cases may be disposed of expeditiously.

श्री बी० एम० सुधीरन (अलेप्पी) : रेल बजट में सिवाय इसके कि प्लेटफार्म टिकट की दर घटा दी गई है कुछ नई और खास बात नहीं दिखाई देती। श्रेणी रहित गाड़ी की बात नई नहीं है। कोचीन-दिल्ली जयन्ती गाड़ी देश की सबसे पहली श्रेणी रहित जनता गाड़ी है। उसमें एक पुस्तकालय भी बना हुआ है जो यात्रियों को पढ़ने के लिये पुस्तकें और पत्रिकाएं देता है। श्रेणी रहित गाड़ी चलाने का श्रेय भूतपूर्व रेल मंत्री को है। बहरहाल फिर भी चार नई गाड़ियां चलाने की बात जो रेल मंत्री ने अपने भाषण में कही है वह स्वागत योग्य है। दक्षिण में बम्बई-कोचीन और दिल्ली-कोचीन सेक्शनों में अधिक जनता एक्सप्रेस गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता है।

जहां तक केरल के लोगों का सम्बन्ध है उनके लिए रेलवे बजट बहुत निराशाजनक है। अतीत में भी केरल में रेलों के विकास की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। रेल मंत्री ने केरल राज्य की उपेक्षा की है। केरल में जिन रेल लाइनों को बनाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है उनके लिये बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मंत्री महोदय ने एरणाकुलम-अलेप्पी लाइन के संबंध में जो वायदे किये हैं उनसे हम बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हैं। एरणाकुलम-अलेप्पी लाइन के निर्माण को इस बजट में ही शामिल किया जाना चाहिये। यह केरल की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। अलेप्पी रेलवे लाइन के बन जाने से इस राज्य के एक पिछड़े तथा सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। इस लाइन को तत्काल बनाये जाने का एक कारण यह भी है कि अब एरणाकुलम और अलेप्पी के बीच तीन मुख्य औद्योगिक संयत्र लगाये जा रहे हैं जिसके लिये आशयपत्र भी प्राप्त हो चुके हैं।

अलेप्पी नारियल जटा उद्योग का केन्द्र है। इस उद्योग में लगभग 2 लाख कर्मचारी लगे हुए हैं। 1.5 लाख टन के नारियल जटा उत्पादों में से लगभग 45,000 टन विदेशों में निर्यात किया जाता है जिससे लगभग 20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष कमाई जाती है। केरल का मत्स्य उद्योग भी इसी क्षेत्र में है। यदि अलेप्पी से कोचीन बन्दरगाह तक रेल परिवहन की व्यवस्था कर दी जाये तो नारियल जटा और मछली उत्पादों से होने वाली विदेशी मुद्रा की आय में बृद्धि हो सकती है क्योंकि रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में कहीं अधिक सस्ता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण रेल लाइन कुट्टीपुरम-गुरुवयूर-त्रिचूर लाइन है। गुरुवयूर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। देश के कोने-कोने से प्रतिदिन हजारों यात्री यहाँ तीर्थयात्रा पर आते हैं। मंत्री महोदय को इस लाइन को स्वीकृति देने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहियें। तेल्लीचेरी-मैसूर लाइन बिछाए जाने का काम भी शीघ्र शुरू किया जाना चाहिये।

सस्ती बिजली उपलब्ध होने के कारण केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण किये जाने की काफी गुंजाइश है। कालीकट-एरणाकुलम और त्रिवेन्द्रम-कोचीन रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किये जाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। यह काफी लाभप्रद भी होगी।

रेल दुर्घटनाओं में भी काफी वृद्धि हो रही है, यह चिन्ता की बात है। रेल मंत्री को स्वयं तथा इस संबंध में अपने विभाग को भी सतर्क करना चाहिये। दुर्घटनाओं के रोकने के लिये शीघ्र ही कुछ पूर्वोपाय करने चाहियें ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[तत्पश्चात लोक सभा, मंगलवार, 14 जून, 1977/24 ज्येष्ठ, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई]

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, June 14, 1977 Jyaistha 24, 1899 (Saka)]

GIPRRND—1 LSS/77—Sec-III-D—2-8-77—200